

बिहार गजट

असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 भाद्र 1939 (श0) (सं0 पटना 784) पटना, शुक्रवार, 1 सितम्बर 2017

वाणिज्य कर विभाग

अधिसूचना 1 सितम्बर 2017

एस0 ओ0 143 दिनांक 1 सितम्बर 2017—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का बिहार अधिनियम 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते है:--

- 1. (1) यह नियमावली बिहार माल और सेवा कर (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2017 कही जा सकेगी।
 - (2) यह दिनांक 1 जुलाई, 2017 के प्रभाव से प्रवृत्त होगी ।
 - 2. बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 44 में संशोधन।-
 - (क) बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 44 के उपनियम (2) में शब्द "एकीकृत कर और केन्द्रीय कर" शब्द "केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर" द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे;
 - (ख) बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 44 के उपनियम (6) में, शब्द "आई.जी.एस.टी. और सी.जी.एस.टी.", शब्द "केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर" द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे;

- 3. बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 96 में संशोधन-
 - (क) बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 96 के उपनियम (1) के खंड (ख) में शब्द एवं अंक "प्ररूप जीएसटीआर 3," के बाद शब्द, अंक और अक्षर "यथास्थिति,या प्ररूप जीएसटीआर-3ख; " अंतःस्थापित किये जायेंगे;
 - (ख) बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 96 के उपनियम (3) में, शब्द एवं अंक "प्ररूप जीएसटीआर 3," के बाद शब्द, अंक और अक्षर "यथास्थिति, या प्ररूप जीएसटीआर-3ख; " अंतःस्थापित किये जायेंगे;
- 4. नियम 96 के पश्चात निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा :-

"96क. बंधपत्र या परिवचनपत्र के अधीन माल या सेवाओं के निर्यात पर संदत्त एकीकृत कर का प्रतिदाय—(1) एकीकृत कर का संदाय किए बिना निर्यात के लिए माल या सेवाओं के प्रदाय के विकल्प का उपभोग करने वाला कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, निर्यात से पहले, अधिकारिता आयुक्त को,-

- (क) यदि माल का भारत के बाहर निर्यात नहीं किया जाता है तो निर्यात के लिए बीजक जारी करने की तारीख से तीन मास की समाप्ति के पश्चात् पंद्रह दिन की अविध के भीतर : या
- (ख) यदि निर्यातकर्ता को यदि ऐसी सेवाओं का भुगतान संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त नहीं होता है तो निर्यात के लिए बीजक जारी करने की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् पंद्रह दिन की अविध के भीतर या ऐसी और अविध के भीतर जो आयुक्त द्वारा अनुज्ञात की जाए,

धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट ब्याज के साथ देय कर का संदाय करने के लिए स्वयं को बाध्यकर बनाने हेतु प्ररूप जीएसटी आरएफडी-11 में बंधपत्र या परिवचन पत्र देगा ।

- (2) सामान्य पोर्टल पर प्रस्तुत प्ररूप जीएसटीआर-1 में अंतर्विष्ट निर्यात बीजकों के ब्यौरे इलैक्ट्रोनिक रूप से सीमा शुल्क द्वारा नामित सिस्टम को पारेषित किए जाएंगे और यह संपुष्टि कि उक्त बीजकों में अंतर्निहित माल का भारत से बाहर निर्यात किया गया है, उक्त सिस्टम से, इलैक्ट्रोनिक रूप से,सामान्य पोर्टल को पारेषित की जाएगी।
- (3) जहां उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर माल का निर्यात नहीं किया जाता है और रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उक्त उप नियम में उल्लिखित रकम का संदाय करने में असफल रहता है वहां बंधपत्र या परिवचनपत्र के अधीन यथा

- अनुज्ञात निर्यात को तुरंत वापस ले लिया जाएगा और रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से, धारा 79 के उपबंधो के अनुसार उक्त रकम की वसूली की जाएगी ।
- (4) उप नियम (3) के अनुसार वापस लिए गए बंधपत्र या परिवचन पत्र के अधीन यथा अनुज्ञात निर्यात को, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा देय रकम का संदाय करते ही तुरंत पुनःस्थापित कर दिया जाएगा ।
- (5) बोर्ड, अधिसूचना द्वारा ऐसी शर्तें और रक्षोपाय विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिनके अधीन किसी बंधपत्र के स्थान पर परिवचन पत्र दिया जा सकेगा ।
- (6) उपनियम (1) के उपबंध, यथा आवश्यक परिवर्तन सहित किसी विशेष आर्थिक जोन के विकासकर्ता या किसी विशेष आर्थिक जोन इकाई को, एकीकृत कर का संदाय किए बिना, शून्य दर पर माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में लागू होंगे।"
- 5. बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 119 में संशोधन।- बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 119 के शीर्षक में शब्द "प्रधान और अभिकर्ता" के पूर्व शब्द " प्रधान और छुट-पुट कार्य करने वाले कर्मकार या " अंतःस्थापित किये जाएंगे ;
- 6. बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 122 का प्रतिस्थापन।- बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 122 को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जायेगा :-
 - "122. प्राधिकरण का गठन।- प्राधिकरण का गठन केंद्रीय माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 122 के प्रावधानों के अनुरूप होगा ।"
- 7. बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 123 का प्रतिस्थापन।- बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 123 को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जायेगा:-
 - "123. स्थायी समिति और छानबीन समिति का गठन।- स्थायी समिति और छानबीन समिति का गठन केंद्रीय माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 123 के प्रावधानों के अनुरूप होगा ।"
- 8. बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 124 का प्रतिस्थापन।- बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 124 को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जायेगा:-
 - "124. प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें।- प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें केंद्रीय माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 124 के प्रावधानों के अनुरूप होगा ।"

9. बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 125 का प्रतिस्थापन।- बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 125 को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

"125. प्राधिकरण का सचिव ।- प्राधिकरण का सचिव केंद्रीय माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 125 के प्रावधानों के अनुरूप होगा ।"

10. बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 126 का प्रतिस्थापन।- बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 126 को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

"126. पद्धति और प्रक्रिया अवधारित करने की शक्ति।- प्राधिकरण की पद्धति और प्रक्रिया अवधारित करने की शक्ति केंद्रीय माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 126 के प्रावधानों के अनुरूप होगी।"

11. बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 137 का प्रतिस्थापन।- बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 137 को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

"137. प्राधिकरण की अवधि।- प्राधिकरण की अवधि केंद्रीय माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 137 के प्रावधानों के अनुरूप होगी।"

- 12. बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 138 का प्रतिस्थापन।- बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के 'अध्याय XVI ई-वे नियमावली' के हिंदी पाठ में शब्द समूह 'ऐसे समय तक' के पूर्व क्रमांक एवं शब्द समूह '138. ई-वे नियम' अन्तःस्थापित किया जायेगा।
- 13. बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 138 के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय-नियम, प्ररूप, कथन, अनुसूची उपाबद्ध अंतःस्थापित किये जायेंगे, यथा :-

"अध्याय 17

निरीक्षण, तलाशी और अभिग्रहण

- 139. निरीक्षण, तलाशी और अभिग्रहण -- (1) जहां किसी उचित अधिकारी, जो संयुक्त आयुक्त की पंक्ति से नीचे का न हो, के पास यह विश्वास करने का कारण है कि धारा 67 के उपबंधों के अनुसार, यथास्थिति, निरीक्षण या तलाशी या अभिग्रहण के प्रयोजनों के लिए कारबार के स्थान या किसी अन्य स्थान का दौरा किया जाना है, वहां वह अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को, यथास्थिति, निरीक्षण या तलाशी या अभिग्रहण किए जाने योग्य माल, दस्तावेजों, पुस्तकों या वस्तुओं का अभिग्रहण करने के लिए प्ररूप जीएसटी आईएनएस-01 प्राधिकृत करते हुए एक प्राधिकार पत्र जारी करेगा।
- (2) जहां कोई माल या दस्तावेज या पुस्तकें या वस्तुएं धारा 67 की उपधारा (2) के अधीन अभिग्रहण किए जाने योग्य हैं वहां उचित अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी प्ररूप जीएसटी आईएनएसए-02 में अभिग्रहण का आदेश करेगा।

- (3) उचित अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी माल के ऐसे स्वामी या अभिरक्षक को, जिसकी अभिरक्षा से ऐसे माल या वस्तुओं का अभिग्रहण किया गया है, माल की सुरक्षित देखरेख करने के लिए ऐसे माल या वस्तुओं की अभिरक्षा सौंप सकेगा और उक्त व्यक्ति, ऐसे अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के सिवाय ऐसे माल या वस्तुओं या उसके किसी भाग को न तो हटाएगा और न ही अन्यथा उसके संबंध में कोई कार्रवाई करेगा।
- (4) जहां ऐसे किसी माल को अभिगृहीत करना व्यवहार्य नहीं है वहां उचित अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी, माल के स्वामी या अभिरक्षक पर प्ररूप जीएसटी आईएनएस-03 में ऐसे प्रतिषेध आदेश की तामील कर सकेगा कि वह ऐसे अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के सिवाय माल या उसके किसी भाग को न तो हटाएगा और न ही अन्यथा उसके संबंध में कोई उस पर कोई कार्रवाई करेगा।
- (5) माल, दस्तावेजों, पुस्तकों या वस्तुओं का अभिग्रहण करने वाला अधिकारी, ऐसे माल या दस्तावेजों या पुस्तकों या वस्तुओं का विवरण, परिमाण या इकाई, बनावट, चिन्ह या माडल, जहां कहीं लागू हो, के साथ-साथ उनकी एक सूची तैयार करेगा और उस पर ऐसे व्यक्ति के हस्ताक्षर लेगा जिससे ऐसा माल या दस्तावेज या पुस्तकों या वस्तुओं का अभिग्रहण किया गया है।
- 140. अभिगृहीत माल के निर्माचन के लिए बंधपत्र और प्रतिभूति।-- (1) अभिगृहीत माल को, प्ररूप जीएसटी आईएनएस-04 में माल के मूल्य के लिए एक बंधपत्र का निष्पादन करके और संदेय लागू कर, ब्याज और शास्ति की रकम के बराबर की बैंक प्रत्याभूति के रूप में प्रतिभूति देकर अनंतिम आधार पर निर्मीचित किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण—इस अध्याय के उपबंधों के अधीन नियमों के प्रयोजनों के लिए "लागू कर" के अंतर्गत, यथास्थिति, केन्द्रीय कर और राज्य कर या केन्द्रीय कर और संघ राज्यक्षेत्र कर तथा माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 (2017 का 15) के अधीन संदेय उपकर, यदि कोई हो, भी है।

- (2) यदि ऐसा व्यिक्त, जिसको अनंतिम रूप से माल का निर्मीचन किया गया था, उचित अधिकारी द्वारा यथा उपदर्शित नियत तारीख और स्थान पर माल प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो प्रतिभूति का नगदीकरण कर लिया जायेगा और ऐसे माल के संबंध में संदेय कर, ब्याज और शास्ति तथा जुर्माने, यदि कोई हों, के प्रति समायोजित किया जाएगा।
- 141. अभिगृहीत माल के संबंध में प्रक्रिया।-- (1) जहां अभिगृहीत माल या वस्तुएं शीघ्र ख़राब होनेवाला या खतरनाक प्रकृति की है और यदि कराधेय व्यक्ति, ऐसे माल या वस्तुओं की बाजार कीमत के बराबर रकम का या ऐसे कर, ब्याज और शास्ति की रकम का, जो कराधेय व्यक्ति द्वारा संदेय है या हो गई है, के बराबर, इनमें से जो भी निम्नतर हो, संदाय कर देता है वहां, यथास्थिति, ऐसे माल या वस्तुओं को, संदाय के सबूत के आधार पर प्ररूप जीएसटी आईएनएस-05 में आदेश द्वारा तुरंत निर्मीचित कर दिया जाएगा।
- (2) जहां कराधेय व्यक्ति उक्त माल या वस्तुओं के संबंध में उपनियम (1) में निर्दिष्ट रकम का संदाय करने में असफल रहता है वहां आयुक्त ऐसे माल या वस्तुओं का व्ययन कर सकेगा और उसके द्वारा वसूल की गई रकम को ऐसे माल या वस्तुओं के संबंध में संदेय कर, ब्याज, शास्ति या किसी अन्य रकम के प्रति समायोजित कर सकेगा।

अध्याय 18

मांग और वसूली

- 142. अधिनियम के अधीन संदेय रकम की मांग के लिए सूचना और आदेश।-- (1) उचित अधिकारी,--
 - (क) धारा 73 की उपधारा (1) या धारा 74 की उपधारा (1) या धारा 76 की उपधारा (2) के अधीन सूचना, उसके संक्षिप्त विवरण की, इलैक्ट्रानिक रूप से प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01 में, या
 - (ख) धारा 73 की उपधारा (3) या धारा 74 की उपधारा (3) के अधीन कथन, उसके संक्षिप्त विवरण की, इलैक्ट्रानिक रूप से **प्ररूप जीएसटी डीआरसी-02** में,

उसमें संदेय रकम के ब्यौरे विनिर्दिष्ट करते हुए तामील करेगा ।

- (2) जहां सूचना या कथन की तामील से पहले कर से प्रभार्य व्यक्ति, यथास्थिति, धारा 73 की उपधारा (5) के अनुसार कर और ब्याज का या धारा 74 की उपधारा (5) के उपबंधों के अनुसार कर, ब्याज और शास्ति का संदाय कर देता है, वहां वह उचित अधिकारी को, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 में, ऐसे संदाय की सूचना देगा और उचित अधिकारी, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-04 में उक्त व्यक्ति द्वारा किए गए संदाय को स्वीकार करते हुए एक पावती जारी करेगा।
- (3) जहां, कर से प्रभार्य व्यक्ति उपनियम (1) के अधीन सूचना की तामील होने के तीस दिन के भीतर, यथास्थिति, धारा 73 की उपधारा (8) के अधीन कर और ब्याज का या धारा 74 की उपधारा (8) के अधीन कर, ब्याज और शास्ति का संदाय कर देता है वहां वह उचित अधिकारी को, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 में ऐसे संदाय की सूचना देगा और उचित अधिकारी उक्त सूचना के संबंध में कार्यवाहियों को समास करते हुए प्ररूप जीएसटी डीआरसी-05 में आदेश जारी करेगा।
- (4) धारा 73 की उपधारा (9) या धारा 74 की उपधारा (9) या धारा 76 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट अभ्यावेदन **प्ररूप जीएसटी डीआरसी-06** में होगा ।
- (5) धारा 73 की उपधारा (9) या धारा 74 की उपधारा (9) या धारा (76) की उपधारा (3) के अधीन जारी संक्षिप्त आदेश को इलैक्ट्रोनिक रूप से प्ररूप जीएसटी डीआरसी-07 में, उसमें कर से प्रभार्य व्यक्ति द्वारा संदेय कर, ब्याज और शास्ति की रकम विनिर्दिष्ट करते हुए अपलोड किया जाएगा ।
 - (6) उपनियम (5) में निर्दिष्ट आदेश को वसूली की सूचना के रूप में माना जाएगा ।
- (7) उचित अधिकारी द्वारा, धारा 161 के उपबंधों के अनुसार परिशुद्धि का आदेश **प्ररूप** जीएसटी डीआरसी-08 में दिया जाएगा ।
- 143. किसी देय धनराशि से कटौती द्वारा वसूली।-- जहां अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों में से किन्हीं उपबंधों के अधीन सरकार के प्रति किसी व्यक्ति द्वारा (जिसे इस

अध्याय के उपबंधों के अधीन नियमों में "व्यतिक्रमी" कहा गया है) संदेय की रकम का भुगतान नहीं किया गया है, वहां उचित अधिकारी, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-09 में विनिर्दिष्ट अधिकारी से, धारा 79 की उपधारा (1) के खंड (क) के उपबंधों के अनुसार ऐसे व्यतिक्रमी को दी जानेवाली कोई रकम से उक्त रकम की कटौती करने की अपेक्षा कर सकेगा।

स्पष्टीकरण—इस अध्याय के नियमों के उपबंधों के अधीन नियमों के प्रयोजनों के लिए "विनिर्दिष्ट अधिकारी" से केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी संघ राज्यक्षेत्र की सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या बोर्ड या निगम या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र की सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के पूर्ण या अंशतः स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी कंपनी का कोई अधिकारी अभिप्रेत है।

- 144. उचित अधिकारी के नियंत्रणाधीन माल के विक्रय द्वारा वस्ली।-- (1) जहां किसी व्यतिक्रमी से वकाया कोई रकम, धारा 79 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपबंधों के अनुसार ऐसे व्यक्ति के माल के विक्रय द्वारा वस्ल की जानी है वहां उचित अधिकारी, ऐसे माल की सूची तैयार करेगा और उसके बाजार मूल्य का प्राक्कलन करेगा और केवल उतने माल के विक्रय के लिए कार्यवाही करेगा जितना वस्ली प्रक्रिया पर उपगत प्रशासनिक व्यय के साथ संदेय रकम की वस्ली के लिए अपेक्षित हैं।
- (2) उक्त माल का, नीलामी, जिसके अंतर्गत ई-नीलामी भी है, की प्रक्रिया के माध्यम से विक्रय किया जाएगा, जिसके लिए प्ररूप जीएसटी डीआरसी-10 में विक्रय किए जाने वाले माल को और नीलामी के प्रयोजन को स्पष्ट रूप से उपदर्शित करते हुए एक सूचना जारी की जाएगी।
- (3) नीलामी की तारीख या बोली प्रस्तुत करने के लिए अंतिम तिथि उपनियम (2) में निर्दिष्ट सूचना जारी करने की तारीख से पन्द्रह दिन से पहले की नहीं होगी ।

परन्तु जहां माल शीघ्र ख़राब होनेवाला या खतरनाक प्रकृति का है या जहां उसके अभिरक्षा करने का व्यय उसकी कीमत से अधिक होने की संभावना है, वहां उचित अधिकारी उसका तुरंत विक्रय कर सकेगा ।

- (4) नीलामी में भाग लेने के लिए बोली लगाने वालों को पात्र बनाने के लिए, उचित अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में दी जाने वाली पूर्व निक्षेप की ऐसी रकम विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा जिसे, यथास्थिति, असफल बोली लगाने वालों को वापस किया जा सकेगा या यदि सफल बोली लगाने वाला पूरी रकम का संदाय करने में असफल रहता है तो उसे जब्त किया जा सकेगा।
- (5) उचित अधिकारी, सफल बोली लगाने वाले को प्ररूप जीएसटी डीआरसी 11 में नीलामी की तारीख से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर उससे संदाय करने की अपेक्षा करते हुए सूचना जारी

करेगा । बोली की पूरी रकम के संदाय पर उचित अधिकारी उक्त माल का कब्ज़ा सफल बोली लगाने वाले को अंतरित करेगा तथा **प्ररूप जीएसटी डीआरसी-12** में प्रमाणपत्र जारी करेगा ।

- (6) जहां व्यतिक्रमी उपनियम (2) के अधीन सूचना जारी करने से पूर्व, वसूली के अधीन रकम का, जिसके अंतर्गत वसूली की प्रक्रिया पर उपगत व्यय भी है, संदाय कर देता है, वहां उचित अधिकारी नीलामी की प्रक्रिया रद्द करेगा और माल विमुक्त कर देगा ।
- (7) जहां कोई बोली प्राप्त नहीं होती है या नीलामी को पर्याप्त भागीदारी की कमी या कम बोलियों की कारण से गैर-प्रतियोगी समझा जाता है, वहां उचित अधिकारी प्रक्रिया रद्द करेगा और पुन: नीलामी के लिए कार्यवाही करेगा।
- 145. किसी तृतीय व्यक्ति से वसूली।-- (1) उचित अधिकारी, धारा 79 की उप-धारा (1) के खंड (ग) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति पर, (जिसे इस नियम में इसके पश्चात "तृतीय व्यक्ति" कहा गया है) प्ररूप जीएसटी डीआरसी 13 में, उसे सूचना में विनिर्दिष्ट रकम जमा कराने का निदेश देते हुए, सूचना की तामील कर सकेगा।
- (2) जहां तृतीय व्यक्ति, उपनियम (1) के अधीन जारी सूचना में विनिर्दिष्ट रकम का संदाय कर देता है, वहां उचित अधिकारी तृतीय व्यक्ति को प्ररूप जीएसटी डीआरसी 14 में ऐसे दायित्व निर्वहन के ब्योरे स्पष्टतः उपदर्शित करते हुए प्रमाणपत्र जारी करेगा ।
- 146. किसी डिक्री आदि के निष्पादन के माध्यम से वसूली।— जहां किसी रकम का किसी सिविल न्यायालय की डिक्री के निष्पादन में व्यतिक्रमी को संदेय है या किसी बंधक या भार के प्रवर्तन में विक्रय के लिए है वहां उचित अधिकारी प्ररूप जीएसटी डीआरसी 15 में उक्त न्यायालय को अनुरोध करेगा और न्यायालय, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के उपबंधों के अध्यधीन, संलग्न डिक्री का निष्पादन करेगा और वसूलीय रकम के परिनिर्धारण के लिए शुद्ध आगमों को जमा करेगा।
- 147. जंगम या स्थावर संपत्ति के विक्रय द्वारा वसूली।-- (1) उचित अधिकारी, व्यतिक्रमी की जंगम और स्थावर संपत्ति की एक सूची तैयार करेगा, प्रचलित बाजार मूल्य के अनुसार उसकी कीमत का प्राक्कलन करेगा और कुर्की या करस्थम का आदेश जारी करेगा तथा प्ररूप जीएसटी डीआरसी 16 में, ऐसी स्थावर और जंगम संपत्ति जो देय रकम की वसूली के लिए अपेक्षित है, के संबंध में किसी संव्यवहार को प्रतिषिद्ध करते हुए विक्रय के लिए सूचना जारी करेगा :

परंतु कोई ऋण जो परक्राम्य लिखत द्वारा, किसी निगम में कोई अंश या अन्य जंगम संपत्ति द्वारा प्रतिभूत नहीं है, में किसी संपत्ति की कुर्की जो व्यतिक्रमी के कब्जे में नहीं है, किसी न्यायालय में निक्षेपित या अभिरक्षा में संपत्ति से भिन्न, नियम 151 में उपबंधित रीति से कुर्क की जाएगी।

(2) उचित अधिकारी, कुर्की या करस्थम् आदेश की एक प्रतिलिपि संबंधित राजस्व प्राधिकारी या परिवहन प्राधिकारी या किसी ऐसे प्राधिकारी को, स्थावर या जंगम संपत्ति पर ऋणभार रखने को भेजेगा जो केवल उचित अधिकारी द्वारा उस प्रभाव के लिखित निदेशों पर हटाया जाएगा ।

- (3) जहां उपनियम (1) के अधीन कुर्की या करस्थम् के अध्यधीन, कोई संपत्ति--
 - (क) स्थावर संपत्ति है, कुर्की या करस्थम् आदेश उक्त संपत्ति पर चिपकाया जाएगा और विक्रय की पुष्टि होने तक चिपका रहेगा ।
 - (ख) कोई जंगम संपित है, वहां उचित अधिकारी उक्त संपित को इस प्रकार अधिनियम के अध्याय 14 के उपबंधों के अनुसार उक्त संपित का अभिग्रहण करेगा और उक्त संपित की अभिरक्षा या तो उचित अधिकारी के द्वारा स्वयं या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी।
- (4) कुर्की या करस्थम् की गई संपत्ति नीलामी के माध्यम से विक्रय की जाएगी, जिसके अन्तर्गत ई-नीलामी भी है, जिसके लिए प्ररूप जीएसटी डीआरसी 17 में सूचना, विक्रय की जाने वाली संपत्ति को स्पष्टतः उपदर्शित करते हुए और विक्रय का प्रयोजन देते हुए,जारी किया जाएगा।
- (5) इस अध्याय के उपबंधों के अधीन इन नियमों में किसी भी बात के होते हुए, जहां विक्रय की जाने वाली संपत्ति, परक्राम्य लिखत या किसी निगम में कोई अंश है, वहां उचित अधिकारी इसे लोक नीलामी से विक्रय करने के बजाय ऐसे लिखत या अंश को किसी दलाल के माध्यम से विक्रय कर सकेगा और उक्त दलाल वसूली के अधीन यथा अपेक्षित रकम को जमा करने के लिए, अपने कमीशन को घटाकर ऐसे विक्रय के आगम को सरकार को जमा करेगा और अधिशेष रकम, यदि कोई हो, का संदाय ऐसे लिखत या अंश के स्वामी को करेगा।
- (6) उचित अधिकारी, नीलामी में भाग लेने के लिए बोली लगाने वालों को पात्र बनाने के लिए, ऐसे अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में बोली से पूर्व जमा की जानेवाली ऐसी रकम विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिसे, यथास्थिति, असफल बोली लगाने वालों को वापस किया जा सकेगा या यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम का संदाय करने में असफल हो जाता है तो उसे जब्त किया जा सकेगा।
- (7) नीलामी की तारीख या बोली प्रस्तुत करने के लिए अंतिम तिथि उपनियम (4) में निर्दिष्ट सूचना जारी होने की तारीख से 15 दिन से पहले नहीं होगा ।

परन्तु जहां माल शीघ्र ख़राब होनेवाला या खतरनाक प्रकृति का है या जहां उनको अभिरक्षा में रखने का व्यय उनकी कीमत से अधिक होना संभावित है, तो अधिकारी उन्हें तुरंत विक्रय कर सकेगा।

(8) जहां कोई दावा या आपित किसी संपित की कुर्की या करस्थम् के संबंध में इस आधार पर किया जाता है या उठाया जाता है कि ऐसी संपित ऐसी कुर्की या करस्थम् के लिए दायी नहीं है, वहां उचित अधिकारी ऐसे दावे या आपित का अन्वेषण करेगा और विक्रय को ऐसे समय के लिए, जैसा वह ठीक समझे, स्थगित कर सकेगा।

- (9) दावा या आपित करने वाला व्यक्ति साक्ष्य देगा कि उपनियम (1) के अधीन जारी आदेश की तारीख को कुर्की या करस्थम् के अधीन प्रश्नगत संपित उसके कब्ज़े में था या उसका उसमें कुछ हित था।
- (10) जहां अन्वेषण पर, उचित अधिकारी, दावे या आक्षेप में कथित कारणों से संतुष्ट हो जाता है कि उक्त तारीख को ऐसी संपत्ति, व्यतिक्रमी या उसकी ओर से किसी अन्य ऐसे व्यक्ति के, कब्जे में नहीं थी या वह उक्त तारीख को जो व्यतिक्रमी के कब्जे में थी, वह उसके स्वयं की या उसके स्वामित्वाधीन संपत्ति नहीं थी अपितु किसी अन्य व्यक्ति की या उसके न्यास की थी या अंशतः उसकी स्वयं की और अंशतः किसी अन्य व्यक्ति की थी, वहां उचित अधिकारी, ऐसी संपत्ति को, पूर्णतः या ऐसे विस्तार तक, जो वह ठीक समझे, कुर्की या करस्थम् से विमुक्ति अधिकार देगा।
- (11) जहां उचित अधिकारी संतुष्ट हो जाता है कि उक्त तारीख को संपत्ति व्यतिक्रमी के कब्जे में उसकी अपनी संपत्ति के रूप में थी, न कि किसी अन्य व्यक्ति की जिम्मेदारी पर, उसके लिए न्यास में किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में था या किसी किरायेदार या किसी अन्य व्यक्ति जो उसे किराया दे रहा था, के अधिभोग में था उचित अधिकारी दावा नामंजूर करेगा और नीलामी के माध्यम से विक्रय की प्रक्रिया अग्रसर करेगा।
- (12) उचित अधिकारी, सफल बोली लगाने वाले को प्ररूप जीएसटी डीआरसी 11 में सूचना, उससे यह अपेक्षा करते हुए कि रकम का संदाय ऐसे सूचना की तारीख से 15 दिन की अविध के भीतर करे, जारी करेगा और जब उक्त संदाय हो जाता है तो वह प्ररूप जीएसटी डीआरसी 12 में संपित के ब्योरे, अंतरण की तारीख, बोली लगाने वाले के ब्योरे और संदत्त रकम, करते हुए प्रमाणपत्र जारी करेगा और ऐसा प्रमाणपत्र जारी होने पर ऐसे बोली लगाने वाले को संपित में अधिकार, हक और हित अंतरित समझे जाएंगे:

परन्तु जहां अधिकतम बोली एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा लगाई जाती है और उनमें से एक संपत्ति का सहस्वामी है वहां वह सफल बोली लगाने वाला समझा जाएगा।

- (13) उपनियम (12) में विनिर्दिष्ट संपत्ति के अंतरण के संबंध में देय कोई रकम, जिसके अंतर्गत स्टाम्प शुल्क, कर या फीस भी है, उस व्यक्ति द्वारा सरकार को संदत्त की जाएगी जिसे ऐसी संपत्ति में हक अंतरित किया जाता है।
- (14) उपनियम (4) के अधीन सूचना जारी करने से पूर्व, जहां व्यतिक्रमी वसूली अधीन रकम का संदाय करता है, जिसके अंतर्गत वसूली की प्रक्रिया पर उपगत व्यय भी हैं, वहां उचित अधिकारी नीलामी की प्रक्रिया को रद्द करेगा और माल को विमुक्त करेगा ।
- (15) जहां कोई बोलियां प्राप्त नहीं होती है या नीलामी को पर्याप्त भागीदारी की कमी या कम बोलियों के कारण गैर-प्रतियोगी समझा जाता है, वहां उचित अधिकारी प्रक्रिया को रद्द करेगा और प्न:- नीलामी के लिए कार्यवाही करेगा।
- 148. अधिकारी द्वारा बोली लगाने या क्रय करने का प्रतिषेध।-- कोई अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो इस अध्याय के उपबंधों के अधीन नियमों के अंतर्गत किसी विक्रय के संबंध में किसी

कर्तव्य का निर्वहन करता है, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, विक्रय संपत्ति में किसी हित का अर्जन या हित अर्जन करने का प्रयास करने के लिए बोली नहीं लगाएगा ।

- 149. अवकाश-दिन पर विक्रय करने का प्रतिषेध।-- इस अध्याय के उपबंधों के अधीन नियमों के अंतर्गत, रविवार या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त अन्य साधारण अवकाश-दिन पर या किसी अन्य दिन, जो सरकार द्वारा उस क्षेत्र के लिए जिसमें विक्रय किया जाना है अवकाश-दिन घोषित किया गया है, कोई विक्रय नहीं किया जाएगा।
- 150. पुलिस द्वारा सहायता।-- उचित अधिकारी, अधिकारिता रखने वाले पुलिस स्टेशन के प्रभारी से ऐसी सहायता जो उसके कर्तव्यों के निवर्हन के लिए आवश्यक हो, मांग सकेगा और उक्त प्रभारी ऐसी सहायता उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस अधिकारियों को तैनात करेगा।
- 151. ऋणों और शेयरों आदि की कुर्की।— (1) कोई ऋण जो परक्राम्य लिखत द्वारा सुनिश्चित नहीं किया गया है, निगम में शेयर या अन्य जंगम सम्पत्ति जो व्यतिक्रमी के कब्जे में नहीं है, सिवाए ऐसी सम्पत्ति के जो जब्त की गई है या किसी न्यायालय की अभिरक्षा में है, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-16 में लिखित आदेश द्वारा निर्णय करेगा,--
 - (क) ऋण के मामले में लेनदार को ऋण की वसूली करने से और ऋणी को उसका संदाय करने से जबतक कि उचित अधिकारी से अतिरिक्त आदेश प्राप्त नहीं किया जाता ;
 - (ख) शेयर के मामले में व्यक्ति जिसके नाम में शेयर धारित हो, को उसे अंतरित करने से या उस पर कोई लाभांश प्राप्त करने से :
 - (ग) किसी अन्य जंगम सम्पत्ति के मामले में, उसका कब्जा रखने वाले व्यक्ति को इसे व्यतिक्रमी को देने से ।
- (2) ऐसे आदेश की एक प्रति उचित अधिकारी के कार्यालय के किसी सहजदृश्य भाग पर चिपकाया जाएगा, और एक अन्य प्रति ऋण के मामले में, ऋणी को भेजी जाएगी, और शेयरों के मामलों में, निगम के रजिस्ट्रीकृत पते पर भेजी जाएगी और अन्य जंगम सम्पत्ति के मामले में, उसका कब्जा रखने वाले व्यक्ति को भेजी जाएगी।
- (3) उप नियम (1) के खण्ड (क) के अधीन प्रतिषिद्ध कोई ऋणी, अपने ऋण की राशि का संदाय उचित अधिकारी को कर सकेगा, और ऐसा संदाय व्यतिक्रमी को संदेय किया गया समझा जाएगा ।
- 152 .न्यायालयों या लोक अधिकारी की अभिरक्षा में सम्पत्ति की कुर्की।— जहां कुर्की की जाने वाली सम्पत्ति किसी न्यायालय या लोक अधिकारी की अभिरक्षा में है, वहां उचित अधिकारी ऐसे न्यायालय या अधिकारी को यह अनुरोध करते हुए कुर्की का आदेश भेजेगा कि, ऐसी सम्पत्ति, उस पर संदेय कोई ब्याज या लाभांश, संदेय राशि की वसूली तक धारित कर लिया जाए।

- 153. भागीदारी में हित की कुर्की।--(1) जहां कुर्की की जाने वाली सम्पित में, व्यितक्रमी का किसी भागीदारी में एक भागीदार होने पर हित सम्मिलित है, वहां उचित अधिकारी प्रमाणपत्र के अधीन, बकाया राशि के ऐसे संदाय के साथ भागीदारी सम्पित में ऐसे भागीदार के हिस्से और लाभों को प्रभारित करते हुए एक आदेश कर सकेगा और उसी या पशचात्यवर्ती आदेश द्वारा ऐसे लाभों जो पहले से ही घोषित हों या प्रोद्भृत हुए हैं और ऐसे अन्य धन जो उसे भागीदारी के सम्बन्ध में उस पर देय हो गए हों में ऐसे भागीदार के हिस्से के सम्बन्ध में रिसीवर नियुक्ति कर सकेगा, लेखा और जाँच के लिए निदेश दे सकेगा और ऐसे हित के विक्रय के लिए आदेश कर सकेगा या ऐसा अन्य आदेश कर सकेगा. जैसा कि मामले की परिस्थितियों में अपेक्षा हो।
- (2) अन्य भागीदारों को किसी भी समय, प्रभारित हित का मोचन करने या विक्रय का निदेश किए जाने की दशा में, उसका क्रय करने की स्वतंत्रता होगी।
- 154. माल और जंगम या स्थावर सम्पत्ति के विक्रय के आगमों का व्ययन।-- किसी व्यतिक्रमी से बकाया की वसूली के लिए, माल, जंगम या स्थावर सम्पत्ति के विक्रय से इस प्रकार प्राप्त की गई रकमें,--
 - (क) प्रथमतया, वसूली प्रक्रिया पर हुए प्रशासनिक व्यय के विरुद्ध विनियोजित की जाएगी :
 - (ख) तत्पश्चात वसूली की जाने वाली रकम के विरुद्ध विनियोजित की जाएगी ;
 - (ग) तत्पश्चात अधिनियम, या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन व्यतिक्रमी से बकाया किसी अन्य रकम के विरुद्ध विनियोजित की जाएगी ; और
 - (घ) व्यतिक्रमी को संदत्त किए जाने वाले किसी अधिशेष के विरुद्ध विनियोजित की जाएगी ।
- 155. भू-राजस्य प्राधिकारी के माध्यम से वसूली।-- जहां किसी रकम की धारा 79 की उपधारा (1) के खण्ड (ङ) के उपबंधों के अनुसार वसूली की जानी है, वहां उचित अधिकारी जिले के कलक्टर या उपायुक्त को या इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को प्ररूप जीएसटी डीआरसी-18 में विनिर्दिष्ट रकम की वसूली के लिए भेजेगा, जैसे कि यह भू-राजस्व की बकाया रकम थी।
- 156 .न्यायालय के माध्यम से वसूली।-- जहां किसी रकम की ऐसे वसूली की जानी है जैसे कि यह दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन अधिरोपित जुर्माना हो, वहां उचित अधिकारी धारा 79 की उपधारा (1) के खण्ड (च) के उपबन्धों के अनुसार समुचित मजिस्ट्रेट के समक्ष प्ररूप जीएसटी डीआरसी-19 में सम्बंधित व्यक्ति से तद्धीन विनिर्दिष्ट रकम की वसूली के लिए एक आवेदन करेगा, जैसे कि यह उसके द्वारा अधिरोपित एक जुर्माना हो ।
- 157 .प्रतिभू से वसूली।-- जहां कोई व्यक्ति व्यतिक्रमी पर बकाया रकम के लिए प्रतिभू बना है, वहां इस अध्याय के अधीन उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी, जैसे कि वह व्यतिक्रमी हो ।

- 158 .किस्तों में कर और अन्य रकमों का संदाय।-- (1) किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा अधिनियम के अधीन बकाया करों या किसी रकम के संदाय के लिए समयाविध के विस्तार की ईप्सा करते हुए या धारा 80 के उपबंधों के अनुसार किस्तों में ऐसे करों या रकम के संदाय को अनुज्ञात करने सम्बन्धी आवेदन प्ररूप जीएसटी डीआरसी-20 में, इलैक्ट्रोनिक रूप से प्राप्त होने पर, आयुक्त ,उक्त रकम का संदाय करने के लिए कराधेय व्यक्ति की वित्तीय योग्यता के सम्बंध में, अधिकारिता रखने वाले अधिकारी से रिपोर्ट की माँग करेगा।
- (2) कराधेय व्यक्ति की प्रार्थना और अधिकारिता रखने वाले अधिकारी की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् आयुक्त कराधेय व्यक्ति को संदाय करने के लिए अतिरिक्त समय और/या रकम का ऐसी मासिक किस्तों में, जो चौबीस से अनिधिक हो, जैसा वह उपयुक्त समझे, संदाय अनुज्ञात करते हुए, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-21 में एक आदेश जारी कर सकेगा।
 - (3) उपनियम (2) में निर्दिष्ट स्विधा, वहां अन्जात नहीं की जाएगी, जहां—
 - (क) कराधेय व्यक्ति, अधिनियम या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन किसी रकम का संदाय करने का पहले से व्यतिक्रमी है जिसके लिए वसूली प्रक्रिया चालू है;
 - (ख) कराधेय व्यक्ति, अधिनियम या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन पूर्ववर्ती वितीय वर्ष में किस्तों में संदाय करने के लिए अस्वीकृत किया गया है;
 - (ग) कोई रकम, जिसके लिए किस्त सुविधा की अनुरोध किया गया है, पच्चीस हजार रुपयों से कम है ।
- 159. सम्पति की औपबंधिक कुर्की।-- (1) जहां आयुक्त धारा 83 के उपबंधों के अनुसार बैंक खाता सिहत, किसी सम्पत्ति की कुर्की करने का विनिश्चय करता है, वहां वह प्ररूप जीएसटी डीआरसी-22 में तद्धीन सम्पत्ति जो कुर्की की गई है, के विवरणों का उल्लेख करते हुए एक आदेश पारित करेगा।
- (2) आयुक्त कुर्की के आदेश की प्रति सम्बंधित राजस्व प्राधिकारी या परिवहन प्राधिकारी या किसी ऐसे प्राधिकारी को भेजेगा, कि वह उक्त जंगम या स्थावर सम्पत्ति पर ऋणभार रखे, जो केवल आयुक्त के इस निमित्त लिखित अनुदेशों पर ही हटाया जाएगा ।
- (3) जहां कुर्की की गई सम्पत्ति शीघ्र ख़राब होनेवाली या खतरनाक प्रकृति की है, और यदि कराधेय व्यक्ति ऐसी सम्पत्ति के बाजार मूल्य के समतुल्य रकम का संदाय करता है या ऐसी रकम का संदाय करता है जो कराधेय व्यक्ति पर संदेय है या संदेय बन जाती है, जो भी न्यून हो, तब ऐसी सम्पत्ति, संदाय के सबूत पर, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-23 में एक आदेश द्वारा तुरंत निर्मुक्त की जाएगी।
- (4) जहां कराधेय व्यक्ति शीघ्र ख़राब होनेवाली या खतरनाक प्रकृति की उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में उपनियम (3) में निर्दिष्ट रकम का संदाय करने में विफल रहता है, वहां आयुक्त ऐसी

सम्पत्ति का व्ययन कर सकेगा और तद् द्वारा प्राप्त रकम, कर, ब्याज, शास्ति, शुल्क या कराधेय व्यक्ति द्वारा संदेय किसी अन्य रकम के विरुद्ध समायोजित की जाएगी ।

- (5) कोई व्यक्ति जिसकी सम्पत्ति कुर्की की गई है, कुर्की के सात दिवसों के भीतर, उपनियम (1) के अधीन इस प्रभाव की एक आपित फाइल कर सकेगा कि कुर्की की गई सम्पत्ति कुर्की किए जाने के लिए दायी नहीं थी या है, और आयुक्त आपित फाइल करने वाले व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् प्ररूप जीएसटी डीआरसी-23 में एक आदेश द्वारा उक्त सम्पत्ति को निर्मुक्त कर सकेगा।
- (6) आयुक्त इस सम्बन्ध में संतुष्ट होने पर कि सम्पत्ति कुर्की के लिए और अधिक दायी नहीं थी या है, **प्ररुप जीएसटी डीआरसी-23** में एक आदेश जारी करते हुए ऐसी सम्पत्ति को निर्मुक्त कर सकेगा
- 160. समापनाधीन कंपनी से वसूली।-- जहां कंपनी समापनाधीन है जैसा कि धारा 88 में विनिर्दिष्ट किया गया है, वहां आयुक्त, कर, ब्याज, शास्ति दर्शित करते हुए कोई रकम या अधिनियम के अधीन बकाया सी अन्य रकम की वसूली के लिए प्ररुप जीएसटी डीआरसी-24 में समापक को अधिसूचित करेगा।
- **161. कतिपय वस्ती कार्यवाहियों का जारी रहना।--** धारा 84 के अधीन किसी माँग में कमी या वृद्धि के लिए आदेश **प्ररुप जीएसटी डीआरसी-25** में जारी किया जाएगा ।

अध्याय XIX अपराध और शास्तियाँ

- 162. अपराधों के प्रशमन के लिए प्रक्रिया।-- (1) कोई आवेदक, या तो अभियोजन के संस्थित किए जाने के पूर्व या पश्चात् धारा 138 की उपधारा (1) के अधीन प्ररूप जीएसटी सीपीडी-01 में, अपराध के प्रशमन के लिए आयुक्त को आवेदन कर सकेगा।
- (2) आवेदन की प्राप्ति पर, आयुक्त ,आवेदन में प्रस्तुत की गई विशिष्टियों या कोई अन्य सूचना, जो ऐसे आवेदन की परीक्षा के लिए सुसंगत विचार की जा सकेगी, के संदर्भ में सम्बंधित अधिकारी से एक रिपोर्ट मांगेंगा।
- (3) आयुक्त, आवेदन प्राप्त होने के नब्बे दिन के भीतर, उक्त आवेदन की अन्तर्वस्तु पर विचार करने के पश्चात् प्ररुप जीएसटी सीपीडी-02 में आदेश द्वारा या तो इस सम्बन्ध में समाधान होने पर कि आवेदक ने उसके समक्ष कार्यवाहियों में सहयोग किया है और मामले से सम्बन्धित तथ्यों का पूर्ण और सत्य प्रकटन किया है, प्रशमित रकम इंगित करते हुए आवेदन मंजूर कर सकेगा और उसे अभियोजन से उन्मुक्ति प्रदान कर सकता है या ऐसा आवेदन को नामंजूर कर सकेगा।
- (4) उपनियम (3) के अधीन आवेदन का विनिश्चय, आवेदक को उस पर सुनवाई का अवसर दिए बिना और ऐसी नामंजूरी के कारणों को अभिलिखित किए बिना नहीं किया जाएगा ।

- (5) आवेदन अनुजात नहीं किया जाएगा जबतक संदाय के लिए दायी कर, ब्याज और शास्ति का मामले में संदाय नहीं कर दिया जाता जिसके लिए आवेदन किया गया है।
- (6) आवेदक उप नियम (3) के अधीन आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिवसों की अविध के भीतर आयुक्त द्वारा आदेश की गई प्रशमित रकम का संदाय करेगा और उन्हें ऐसे संदाय का सबूत प्रस्तुत करेगा ।
- (7) यदि आवेदक उपनियम (6) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रशमित रकम का संदाय करने में विफल रहता है, तब उप नियम (3) के अधीन किया गया आदेश दूषित और शून्य हो जाएगा ।
- (8) किसी व्यक्ति को उप नियम (3) के अधीन प्रदान की गई उन्मुक्ति ,आयुक्त द्वारा किसी समय भी प्रत्याहत की जा सकेगी, यदि उसको यह समाधान हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति ने प्रशमन कार्यवाहियों के अनुक्रम में, कोई तात्विक विशिष्टियाँ छिपायी थी या मिथ्या साक्ष्य दिया था। तदुपिर ऐसे व्यक्ति का ऐसे अपराध के लिए विचारण किया जा सकेगा जिसके लिए उन्मुक्ति प्रदान की गई थी या किसी अन्य अपराध के लिए विचारण किया जा सकेगा, जो कि उसके द्वारा प्रशमन कार्यवाहियों के सम्बन्ध में कारित किया गया प्रतीत होता है और अधिनियम के उपबंध लागू होंगे, जैसे कि ऐसी कोई उन्मुक्ति प्रदान नहीं की गई थी।
 - (Xiii) बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 से संलग्न फारम का प्रतिस्थापन बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 से संलग्न "प्ररूप जीएसटी-आरएफडी-01, प्ररूप जीएसटी-आरएफडी-02, प्ररूप जीएसटी-आरएफडी-04, प्ररूप जीएसटी-आरएफडी-05, प्ररूप जीएसटी-आरएफडी-06, प्ररूप जीएसटी-आरएफडी-07 और प्ररूप जीएसटी-आरएफडी-10", "प्ररूप जीएसटी-आरएफडी-01, प्ररूप जीएसटी-आरएफडी-02, प्ररूप जीएसटी-आरएफडी-04, प्ररूप जीएसटी-आरएफडी-05, प्ररूप जीएसटी-आरएफडी-06, प्ररूप जीएसटी-आरएफडी-07, प्ररूप जीएसटी-आरएफडी-10 और प्ररूप जीएसटी-आरएफडी-11" द्वारा प्रतिस्थापित किये जाएंगे यथा-

प्ररूप – जीएसटी-आरएफडी-01 [नियम 89(1) देखें]

प्रतिदाय के लिए आवेदन

चयन - रजिस्ट्रीकृत/आकस्मिक/अरजिस्ट्रीकृत/अनिवासी कराधेय व्यक्ति

- 1. जीएसटीआईएन/अस्थायी आईडी:
- 2. विधिक नाम :
- 3. व्यपारिक नाम, यदि कोई हो :
- 4. पता :

5. कर अवधि : <िदन/मास/वर्ष> से <िदन/मास/वर्ष>

6. दावा किए गए प्रतिदाय की रकम:

अधिनियम	कर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	कुल
केन्द्रीय कर						
राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर						
एकीकृत कर						
उपकर						
कुल						

- 7. दावा किए गए प्रतिदाय के आधार (नीचे से चयन करें) :
 - (क) इलैक्ट्रानिक नकद खाता में अतिरिक्त अतिशेष :
 - (ख) सेवाओं का निर्यात--कर के संदाय सहित :
 - (ग) माल/सेवाओं का निर्यात-- कर के संदाय के बिना, उदरहणार्थः संचित इनपुट कर प्रत्यय
 - (घ) निर्धारण/अनंतिम निर्धारण/अपील/किसी अन्य आदेश के कारण—
 - (i) आदेश के प्रकार का चयन करें :निर्धारण/अनंतिम निर्धारण/अपील/ अन्य
 - (ii) निम्नलिखित ब्यौरों का उल्लेख करें -
 - 1. आदेश संख्या :
 - 2. आदेश की तारीख <कलेंडर>
 - आदेश जारी करने वाला प्राधिकारी
 - संदाय संदर्भ संख्या (प्रतिदाय के रूप दावे के लिए रकम)
 यदि (सिस्टम के अन्दर आदेश जारी किया जाता है तो 2, 3, स्वतः वासित 4 होंगे)।
 - (ङ) विपर्यस्त कर ढांचा के लिए संचित निवेश कर प्रत्यय 54 धारा (3) के परन्तुक के खंड (ii)

(च) विशेष आर्थिक जोन इकाई/विशेष आर्थिक विकासकर्ता या माने गए निर्यात प्राप्तिकर्ता को किए गए प्रदाय पर—

प्रदायकर्ता/(प्राप्तिकर्ता के प्रकार का चयन करें)

- 1. विशेष आर्थिक जोन इकाई के लिए प्रदाय
- 2. विशेष आर्थिक जोन के विकासकर्ता को प्रदाय
- 3. माने गए निर्यात के प्राप्तिकर्ता ।

विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को किए गये प्रदाय पर/विशेष आर्थिक जोन युनिट (छ) संचित इनपुट कर प्रत्यय का प्रतिदाय

प्रदय पर (ज) पूर्णतः या अंशतः संदत्त कर जिसे उपबंधित नहीं किया गया है ओर जिसके लिए बीजक जारी नहीं किया गया है।

राज्यांतरिक (झ) प्रदाय पर संदत्त कर जो अर्न्राजियक प्रदाय के रूप में पश्चात्वर्ती धारित किये गये है और विपर्ययेन ।

कर की (ञ) अधिकायी संदाय यदि कोई हो

(ट) कोई अन्य (विनिर्दिष्ट करें)

8. बैंक लेखा के ब्यौरे (रजिस्ट्रीकृत करदाता के मामले में आरसी से स्वतः वासित)

संख्या बैंक खाता (क) :

बैंक का नाम (ख)

बैंक खाता प्रकार (ग) :

खाता धारक का नाम (घ) :

बैंक शाखा का पता (ङ)

: (आईएफएससी) भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड (च)

(छ)चुम्बकीय इंक वर्ण पहचान : (एमआईसीआर)

9. क्या धारा 54(4) के अधीन आवेदक द्वारा स्व घोषणा फाइल की गई है, यदि लागू हो

		0.	
हा		नही	
Ç.,	$\overline{}$	- 1 (-1	

घोषणा

मैं, एतद्वारा, घोषणा करता हूं कि निर्यातित माल किसी निर्यात शुल्क के अधीन नहीं है। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि माल या सेवाएं या दोनों पर कोई ड्राबैक प्राप्य नहीं है और कि जिस प्रदाय के संबंध में प्रतिदाय हेतु दावा किया गया है ,मैने उस पर संदत्त एकीकृत कर के प्रतिदाय का दावा नहीं किया है।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम/ प्रास्थिति

घोषणा

मैं, एतद्वारा, घोषणा करता हूं कि आवेदन में किए गए निवेश कर प्रत्यय के दावे का प्रतिदाय शून्य दर अथवा पूर्ण कर विमूक्त प्रदाय के निर्माण में उपयोगित माल या सेवाओं पर लिए गये निवेश कर प्रत्यय लाभ को सम्मिलित नहीं करता है।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम/ प्रास्थिति

घोषणा

मैं, एतद्वारा, घोषणा करता हूं कि विशेष आर्थिक जोन ईकाई/ विशेष आर्थिक जोन कर्ता ने इस प्रदाय दावे से आच्छादित आवेदक के द्वारा संदत्त कर का निवेश कर प्रत्यय लाभ नहीं लिया है।

स्वघोषणा-

मैं/हम(आवेदक) कर अवधि..... के लिए, माल या सेवा कर पहचान संख्या/अस्थायी पहचान पत्रसत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञान और प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि कर ब्याज या ,अन्य कोई रकम से संबंधित प्रतिदाय आवेदन में किये गये दावे रूO...... के प्रतिदाय से संबंधित कर एवं ब्याज के भार को किसी अन्य व्यक्ति पर पारित नहीं किया गया है।

(इस घोषणा का ऐसे आवेदकों द्वारा दिया जाना अपेक्षित नहीं होगा जिन्होंनें धारा 54 की उपधारा (8) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) या खंड (च) के अधीन प्रतिदाय का दावा किया है)।

10 सत्यापन

मैं / हम प्रतिज्ञान और घोषणा करता सत्यनिष्ठा (करदाता का नाम)..... हूँ / करते है कि ऊपर दी गई सूचना मेरे / हमारे सर्वोत्तम ाान और विश्वास में सत्य और सही है और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है।

मैं/हम घोषणा करता हूं/करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा इस मद्दे कोई प्रतिदाय प्राप्त नहीं किया गया है ।

स्थान

प्राधिकारी का हस्ताक्षर (नाम)

तारीख

कथन 1:

(उपाबंध-1)

प्रतिदाय प्रकार : औंधे क्रम कर संरचना के कारण संचित आईटीसी [धारा 54(3) के परंतुक के खंड (//)]

भाग कः जावक प्रदाय

(जीएसटी आर-1 : सारणी 4 और 5) :

जीएसटीआईएन/	बीजव	क के ब्यं	रि	स	म्रह्म			रकम		प्रदाय का स्थान
यूआईएन	संख्या	तारीख	भूल्य		कराधेय मू	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य /संघ राज्य क्षेत्र कर	उपकर	(राज्य का नाम)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

भाग क : आवक प्रदाय :

जीएसटी आर-2 : सारणी 3 (मिलाए गए बीजक) :

ग	बीउ	नक के	ब्यौरे	दर	भूल्य	ā	कर की	ो रक	म	नाम)	,ट सेवा/ र मशीने अपात्र है	उपल	ध्ध आ	टीसी र्व	ो रकम
प्रदायकर्ता का जीएसटीआईएन	è	तारीख	मर्थेस		कराक्षय	कि कि कि	कन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	ን ቀካና	प्रदाय का स्थान (राज्य का	क्या इनपुट या इनपुट सेवा/ प्जी माल (प्लांट और मशीने सहित)/आटीसी के लिए अपात्र हैं	क नक्षिण	कन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16

टिप्पणः डाटा जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-2 से स्वतः वासित होगा

कथन 2:

प्रतिदाय का प्रकार :

कर संदाय सहित सेवाओं का निर्यात

(जीएसटीआर-1 : सारणी - 6क और सारणी -9)

1.

न जीएसटीआईएन	6	गिजक	के ब्	यौरे	1	एकीकृत र	कर		ारसी∕ ईआरसी	संशोधित मूल्य (एकीकृत	नामे नोट एकीकृत कर/	जमापत्र एकीकृत कर/	=(11/8)+12-13
प्राप्तिकर्ता का	सं०	तारीख	भूल्य	एसएसी	दर	कराधेय कर	रकम	संख्या	तारीख	कर) (यदि कोई है)	संशोधित (यदि कोई है)	संशोधित (यदि कोई है)	शुद्ध एकीकृत कर :
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6क.	निर्य	त						Γ		T			

बीआरसी/ एफआईआरसी के आज्ञापक ब्यौरे —सेवाओं के मामले में

कथन 3:

परिदाय का प्रकार:

कर के संदाय के बिना निर्यात-संचित आईटीसी

(जीएसटीआईआर-1: सारणी 6क)

1.

आईएन		बीजक के ब्यौरे							तन प र्यात		एकी	कृत क	न्र	-	एम गैरे	बीआरसी / फआईआरसी	
प्राप्तिकर्ता का जीएसटीआईएन	о́њ	धारीख	मूल्य	माल/सेवा (मा/से)	एचएसएन/एसएसी	भ्रिंक्यंस	वरिभाण	संख्यां	तारीख	ड्रांक	פנ	कराधेय मूल्य	ዞ ውን	०ंस भंदर्भ सं०	तारीख	੦ੰਝ	ਗਾਹ
1	2	2 3 4 5 6 7						9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6क.	निः	निर्यात															
																	·

टिप्पण-1. पोत परिवहन पत्र और ईजीएम आज्ञापक है — माल के मामले में ।

2. बीआरसी/ एफआईआरसी के ब्यौरे आज्ञापक है — सेवाओं के मामले में।

कथन 4:

विशेष आर्थिक जोन/विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को प्रदाय

प्रतिदाय का प्रकार:

विशेष आर्थिक जोन/विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को किए गए प्रदाय के कारण या प्राप्तिकर्ता के माने गए निर्यात

(जीएसटीआर-1 : सारणी 6ख और सारणी 9)

ा				पोत प	गरिवहन			संशोधित	नामे नोट	जमापत्र	शुद्ध एकीकृत कर	
1	बीज	क के	ज्यौरे इयौरे	पः	पत्र /		गेकृत	कर	मूल्य	एकीकृत	एकीकृत	=(10/9)+11-12
[निर्या	त पत्र				(एकीकृत	कर /	कर/	
जीएसटीआईएन	सं०	ত্র	मूल्य	यां	ত্র	दर कराधेय मूल्य रकम		कर)	संशोधित	संशोधित		
्। ह्य	l Ly	तारीख	मू	संख्यां	तारीख			(यदि	(यदि	(यदि कोई		
								कोई है)	कोई है)	(考		
प्राप्तिकर्ता							l ś					
E												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6ख. '	ഥ्य विशेष	आर्थि	क जो	 न/विशे	ष आर्थि	 क जो	। न वि	भासकत् भासकत्	<u>।</u> त्रांको कि	। यागया प्रत	<u>. </u>	

(जीएसटीआर-1 : सारणी 5 और सारणी 8)

<u>E</u>	र्ब	जिक ब्यौरे		दर	। मूल्य	रकम		प्रदाय का	संशोधित मूल्य	नामे नोट एकीकृत	जमापत्र एकीकृत	शुद्ध एकीकृत कर =(12/7)+13-14		
जीएसटीआईएन/यूआईएन	帯	तारीख	म्राज्य		कराधेय	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	ን ቀካና	स्थान (राज्य का नाम)	् (एकीकृत कर) (यदि कोई है)	कर / संशोधित (यदि कोई है)	कर / संशोधित (यदि कोई है)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

कथन 5 माने गए निर्यात आदि का प्राप्तिकर्ता (जीएसटीआर 2: सारणी 3 और सारणी 6)

जीएसटीआईएन	संo भं	तारीख क	ब्यौरे हरू हर्	दर	कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर कु	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर	का स्थान (राज्य का नाम)	न (प्लांट और मशीने सहित) आटीसी के लिए अपात्र हैं	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर के	राज्यक्षेत्र कर	उपकर	एकीकृत कर) (यदि कोई है)	कर/संशोधित (यदि कोई है)	कर/संशोधित (यदि कोई है)	कीकृत कर =(17/7)+18-19
प्राप्तिकर्ता का जीए								:/।२=त		מלומ	क्या इनपुट या इनपुट सेवा∕पूंजीमाल			राज्य/संघ		संशोधित मूल्य (आईटीसी एकीकृत कर) (यदि	नामेनोट आईटीसी एकीकृत कर/संशोधित	जमापत्र आईटीसी एकीकृत	शुद्ध आईटीसी एकीकृत कर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

कथन 6:

प्रतिदाय का प्रकार : अंतःराज्यिक प्रदाय पर संदत्त कर जो अंतर्राज्यिक प्रदाय के रूप में पश्चातवर्ती धारित है और विपर्ययेन

आदेश के ब्यौरे (धारा 77 (1) और (2) के अनुसरण में जारी, यदि कोई है):

आदेश संख्या आदेश की तिथि

जीएसटी	पूर्व	पूर्व के राज्यांतरिक / अंतर्राजियक के रूप में विच अच्छादित संव्यवहार बीजक के ब्यौरे									संव्य	वहार जि	सिके लि	ए
आईएन/			31	च्छारि	देत संव्य	गवहार ब	ोजक के	ब्यौरे		अन	तरराजि	यक/रा	न्यांतरि व	प्रदाय
यूआईएन										पश	:चातव त	र्भी धारित	न किए	गए थे
नाम (बी 2 सी के मामले)	बी	जक	के व	ज्यौरे	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर	उपकर	प्रदाय का स्थान (केवल यदि	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर	उपकर	प्रदाय का स्थान (केवल यदि
	संo	तारीख	मृल्य	कराधेय मूल्य	रकम	रकम	रकम	रकम	प्रास्थिति से भिन्न)	रकम	रकम	रकम	रकम	प्रास्थिति से भिन्न)
1	2	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15												

कथन:7

प्रदाय का प्रकार : कर की अधिकाई संदाय, यदि कोई है : अंतिम विवरणी फाइल करने की दशा में (करदाता की मामलें में जिसने अंतिम जीएसटीआर -3 विवरणी फाइल की है - सारणी 12)

क्रम	कर	विवरणी	विवरणी		₹	दिय कर	
सं.	अवधि	की संदर्भ	फाइल करने	एकीकृत	केन्द्रीय	राज्य कर/ संघ	उपकर
		सं0	की तारीख	कर	कर	राज्य क्षेत्र कर	
1	2	3	4	5	6	7	8

उपाबंध-2

<u>प्रमाणपत्र</u>

चार्टर्ड आकाऊन्टेंट/लागत लेखाकार के हस्ताक्षर :

नाम :

सदस्यता संख्या :

स्थान :

तारीख:

यह प्रमाणपत्र आवेदक द्वारा, अधिनियम की धारा 54 की उपधारा (8) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (ड.) या खंड (च) के अर्न्तगत प्रतिदाय दावा हेतू प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित नहीं है ।

अनुदेश–

1. प्रयुक्त शब्द:

(क) बी से सी: रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को

(ख) ईजीएम: निर्यात सामान्य माल सूची

(ग) जीएसटीआईएन: माल और सेवा कर पहचान संख्या

(घ) आईजीएसटी: एकीकृत माल और सेवा कर

(ङ) आईटीसी: इनपुट कर प्रत्यय

(च) पीओएस: प्रदाय का स्थान (सम्बन्धित राज्य)

(छ) एसईजेड: विशेष आर्थिक जोन

(ज) अस्थायी आईडी: अस्थायी पहचान संख्या

(झ) यूआईएन: विशिष्ट पहचान संख्या

- 2. इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में उपलब्ध अतिरिक्त रकम के प्रतिदाय का विवरणी के माध्यम से या आवेदन फाइल करके दावा किया जा सकता है ।
- 3. नामे प्रविष्टि आवेदन फाइल करने के समय इलेक्ट्रॉनिक जमा या नकद खाते में की जाएगी ।
- 4. प्ररूप जीएसटी आरएफडी-02 में अभिस्वीकृति जारी की जाएगी, यदि आवेदन सभी बाबत पूर्ण पाया जाता है ।

- 5. आईजीएसटी के संदाय सहित माल के निर्यात पर प्रतिदाय के दावे पर इस आवेदन के माध्यम से प्रक्रिया नहीं की जाएगी।
- 6. बैंक खाते के ब्यौरे रजिस्ट्रीकरण आंकड़े के अनुसार होने चाहिए । बैंक ब्यौरों में कोई परिवर्तन आवेदन में कोट करने से पूर्व रजिस्ट्रीकरण विशिष्टियों में पहले संशोधित किया जाएगा ।
- 7. घोषणा मामलों में वहां फाइल की जाएगी, जहां पर ये अपेक्षित हो ।
- शुद्ध निवेश कर प्रत्यय' से विवरण 1 के प्रयोजन के लिए सुसंगत अविध के दौरान इनपुट पर किए गए इनपुट कर प्रत्यय अभिप्रेत है और इसमें विवरण 3क और 5क के प्रयोजन के लिए भी इनपुट सेवाओं पर आईटीसी सिम्मिलित होगी ।
- 9. समायोजित कुल आवर्त' से सुसंगत अवधि के दौरान शून्य मूल्य निर्धारित माल प्रदायों से भिन्न छूट प्राप्त प्रदायों के मूल्य को अपवर्जित करते हुए धारा 2 के खंड (112) के अधीन यथा परिभाषित किसी राज्य या किसी संघराज्य क्षेत्र में आवर्त अभिप्रेत है।
- 10. विवरण 1 के प्रयोजन के लिए प्रतिदाय दावा जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-2 में रिपोर्ट किए गए प्रदायों पर आधारित होगा ।
- 11. बीआरसी या एफआईआरसी ब्यौरे वहां अनिवार्य होंगे, जहां प्रतिदाय का पोत परिवहन पत्र सेवा निर्यात के ब्यौरों के प्रति दावा किया जाता है और ईजीएम माल के निर्यात के मामले में उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा ।
- 12. जहां बीजक के ब्यौरों में संशोधन किया जाता है (निर्यात सिहत), वहां प्रतिदाय संशोधित मूल्य के आधार पर संगणना के अनुसार अनुज्ञात किया जाएगा ।
- 13. कर के संदाय के बिना किए गए निर्यात के ब्यौरे विवरण 3 में रिपोर्ट किए जाएंगे।
- 14. कर के संदाय के बिना विशेष आर्थिक जोन यूनिट या विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को किए गए प्रदायों के मामले में दावा किए जाने वाले प्रतिदाय की उपलभ्यता को नियम 89(4) में विहित फॉर्मूला के अनुसार परिकलित किया जाएगा ।
- 15. माल और सेवाओं के शून्य मूल्य निर्धारित प्रदाय का आवर्त का वही अर्थ होगा जो उसका नियम 89(4) में परिभाषित है ।

प्ररुप जीएसटी आरएफडी - 02 [नियम 90(1), 90(2) और 95(2) देखें] अभिस्वीकृति

<u> </u>
प्रतिदाय के लिए आपका आवेदन का<आवेदन संदर्भ संख्या > के विरुद्ध अभिस्वीकृत कर लिया गया

अभिस्वीकृति संख्या :
अभिस्वीकृति की तारीख:
जी एसटीआईएन/यूआईएन/अस्थायी आई डी, यदि लागू हो :
आवेदक का नाम:
प्ररुप सं. :
प्ररुप विवरण:
अधिकारिता (समुचित निशान लगाएं):
केन्द्रीय राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र:
द्वारा भरा गया
प्रतिदाय आवेदन ब्यौरा
कर अवधि
फाइल करने की तारीख और समय

दावाकृत प्रतिदाय की रकम

प्रतिदाय के लिए कारण

	कर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	कुल
केन्द्रीय कर						
राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सेवा कर						
एकीकृत कर						
उपकर						
कुल						

टिप्पण 1 : आवेदन की प्रास्थिति जीएसटी प्रणाली पोर्टल पर ट्रैक आवेदन प्रास्थिति <प्रतिदाय > के माध्यम से आवेदन संदर्भ संख्या दर्ज करने से देखी जा सकती है ।

टिप्पण 2: यह एक प्रणाली उत्पन्न अभिस्वीकृति है और इसमें हस्ताक्षर अपेक्षित नहीं है ।

प्ररुप जीएसटी आरएफडी- -04 [नियम 91(2) देखें]

मंजूरी सेवा मे	आदेश सं. : i	तारीख: <दिन /मास /वर्ष >							
	(माल और सेवा कर पहचान संख्य	Т							
	(नाम)								
	(पता)								
		ातिदाय आ	देश						
प्रतिदार	य आवेदन संदर्भ सं. (ए आर एन)	तारीख	तारीख: <ि	देन /मास /वर्ष :	>				
अभिस्व	ग्रीकृति संतारीखतारीख	<दि	न /मास /वर्ष >						
	् । /महोदया,								
•	प्रतिदाय के लिए आपके उपरोक्त वर्णित	आवेदन के	संदर्भ में. निम्नी	लेखित रकम	अनंतिम				
आधार	पर आपको स्वीकृत की जाती है :								
	The same of the sa								
क्रम	विवरण	केन्द्रीय	राज्य /	ऐकीकृत	उपकर				
सं.		कर	संघ राज्य क्षेत्र	कर					
			कर						
(i)	दावाकृत प्रतिदाय की रकम								
(ii)	दावाकृत रकम का 10% प्रतिदाय के रूप में								
	(बाद में स्वीकृत किया जाएगा)								
(iii)	बकाया रकम (i-ii)								
(iv)	स्वीकृत प्रतिदाय की रकम								
	बैंक विवरण								
(v)	आवेदन के अनुसार बैक खाता संख्या								
(vi)	बैंक का नाम								
(vii)	बैक /शाखा का पता								
(viii)	आई एफ एस सी								
(ix)	एम आई सी आर								
तारीखः	:		हस्ताक्षर (ई	ो एस सी):					
स्थान:			नाम:						
			पदनाम:						
			कार्यालय प	ताः					

प्ररूप जीएसटी आरएफडी-05 [नियम 91(3), 92(4), 92(5) और 94 देखें] संदाय परामर्श

										स	दाय	परा	मश											
संदाय	पराग	नर्श	सं.												7	तारी	ख:	<दिव	न /म	ास /व	ार्ष >			
सेवा मे	t, <ċ	गेन्द्र	ीय>	पीए	?ओ/ र	बजा	ना/अ	ारबी:	आई/	बैं क														
प्रतिदाः	य स्व	ग्रीकृ	ति ३	आदेश	ा सं.																			
आदेश	तारी	ख.		<दिन	/मा	स /व	र्ष >.																	
जी एस	र टी	आई	एन	/यू	आई	एन	/ अर	-थार्थ	ो अ	ाई डे	i <>													
नाम: <	>																							
प्रतिदाः	य रव	ьн	(आ	देश	के 3	नुस	र) :																	
प्रतिदाः						_																		
विवरण			एकीव	ृत व	न्र				केन्द्री	य क	Ţ	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर उपकर												
상의 공학 연구 공학 상의 공학 연구 기술학			ধ্য	आई	每	Æ	怎	कुल	₺	आई	每	Ę	ऋ	कुल	₩	आई	存	E	雋	कुल				
स्वीकृत																								
शुद्ध																								
प्रतिदाय की रकम																								
लंबित																								
प्रतिदाय																								
पर ब्याज																								
कुल																								
टिप्पण-कर	के लि	 ए ''	<u>।</u> 'टी'',	_{ब्याज}	के	<u>।</u> लेए "	<u>।</u> आई''	, शारि	। स्ति के	लिए	''पी''	। ', फीर	। H से	लिए	''एफ	", 3	H न्य	के दि	ोए ''.	। ओ''				
			बैंक	के व	ज्यौरे इयौरे																			
					अनु		र्शंक	ज्ञान	சு ம்	ж														
	(i)	-		ग प्र जना		XIIX	947	GIC	11 (1	941														
	(ii)				का ब	नाम	और	पता																
	(iii) (:)			 रुएस																				
	(iv) (v)	-		ईसीः																				
तारीख	:															हर	ताक्ष	र (ई	ो ए	स र्स	†):			
स्थानः																ना	मः							
																	नाम							
																का	र्याल	य प	ता:					
सेवा मे	Ť					_		-			-		_											
							रसटी	आई	एन/र	यूआई	एन/	अस्थ	गयी	आः	इंडी)									
					•	-																		
						.(पत	T)																	

प्ररुप जीएसटी आरएफडी-06 [नियम 92 (1), 92(3), 92(4), 92(5) और 96(7) देखें]

आदेश सं.	
तारीख: <दिन /मास /वर्ष >	
सेवा में,	
(जीएसटीआईएन/यूआईएन/अस्थायी	आईडी)
(नाम)	
(पता)	
कारण बताओ नोटिस संख्या (यदि लागू हो)	
अभिस्वीकृति संख्या	तारीख:<दिन /मास /वर्ष >

मंजूर किया गया प्रतिदाय/अस्वीकृत आदेश

महोदय/महोदया,

यह अधिनियम की धारा 54 के अधीन प्रतिदाय / प्रतिदाय पर ब्याज के लिए आपके उपरोक्त वर्णित आवेदन के संदर्भ में

<<प्रतिदाय मंजूर करने या नमंजूर करने के कारण, यदि कोई हो>> आपके आवेदन का परीक्षण करने पर आपको मंजूर प्रतिदाय की रकम, बकाया (जहां लागू है) के समायोजन के पश्चात् की जाएगी, जो निम्नलिखित है :-

*जहां लागू न हो उसे काट दें

विवरण	एकीकृत कर				केन्द्रीय कर राज्य/संघ रा					राज्य	ाक्षेत्र कर उ पक			कर	कर									
	4⊽	आई	₽	歌	ओ	कुल	4ਹ	आई	专	邸	ऋ	कुल	む	आई	₽	禹	缶	केल	4ਹ	आई	告	स्य	ओ	कुल
1. दावाकृत प्रतिदाय/																								
ब्याज∗ की रकम																								
2. अंनितम आधार पर																								
स्वीकृत प्रतिदाय																								
(आदेश सं0तारीख)																								
सं0तारीख)(यदि																								
लागू हो)																								
3. अग्राह्य प्रतिदाय																								
रकम <<कारण के																								
लिए नीचे करें>>																								
<अनुज्ञात के लिए बहु																								
कारण>																								
4. संदत्त की जाने																								
वाली सकल रकम (1-																								
2-3)																								
5. विद्यमान विधि या																								
अधिनियम के अधीन																								
परादेय मांग पर																								

समायोजित रकम	
(यदि कोई है) मांग	
आदेश	
संख्या,तिथि	
अधिनियम अवधि<	
बह् पंक्तियां संभव -दी	
बहु पंक्तियां संभव -दी	
6. शुद्ध संदत्त रकम	

टिप्पण-कर के लिए "टी", ब्याज के लिए "आई", शास्ति के लिए "पी", फीस से लिए "एफ", अन्य							
के लिए "ओ"							
*जो लागू <i>न हो उसे काट दें ।</i>							
$^{\&}1.$ मैं, अधिनियम $^{@}$ की धारा 56 के अधीन /अधिनियम की धारा 54 की उपधारा (5) के							
अधीन माल और सेवा कर पहचान संख्या रखने वाले मैसर्सको आई							
एन आरकी रकम की मंजूरी देता हूं ।							
[®] जो लागू न हो उसे काट दें।							
(क) और रकम को उसके द्वारा उसके आवेदन में विनिर्दिष्ट बैंक खाता में संदाय किया जायेगा ।							
(ख) रकम को उपरोक्त तालिका के क्रम संख्यां 5 पर विनिर्दिष्ट बकाया की वसूली हेतू							
समायोजित किया जायेगा ।							
(ग)रपए की रकम को उपरोक्त तालिका के क्रम संख्या 6 पर विनिर्दिष्ट बकाया							
की वसूली को समायोजित किया जाना है और शेषरुपए की रकम को उसके							
द्वारा उसके आवेदन में विनिर्दिष्ट बैंक खाता में संदाय कर दिया जायेगा ।							
[#] जो लागू न हो उसे काट दें ।							
या							
^{&} 2 मैं, अधिनियम की धारा () की उपधारा () के अधीन उपभोक्ता कल्याण निधि में							
आई एन आरकी रकम जमा करता हूं ।							
ै3 मैं, अधिनियम की धारा () की उपधारा () के अधीन माल और सेवा कर							
पहचान संख्या रखने वाले मैसर्स							
को निरस्त करता हूं ।							

- - [®] जो लागू न हो उसे काट दें ।

मैं धारा 56 के अधीन आवेदक को प्रतिदाय की रकम की तारीख तक ब्याज के संदाय का आदेश देता हूं।

तारीख:

हस्ताक्षर (डी एस सी):

स्थान:

नाम:

पदनाम:

कार्यालय पताः

प्ररुप जीएसटी आरएफडी-07 [नियम 92(1), 92(2), 96(6) देखें]

सदभ स.	तारीखः <िदेन /मास /वर्ष >
सेवा में,	
(जीएसटीआईएन/यूआईएन/अस्थायी आईडी स	i .)
नाम	
(पता)	
अभिस्वीकृति संख्या	तारीख:<दिन /मास /वर्ष >

स्वीकृत प्रतिदाय के पूर्ण समायोजन के लिए आदेश

भाग - क

महोदय/महोदया,

उपरोक्त यथानिर्दिष्ट आपके प्रतिदाय आवेदन एवं आपके द्वारा दी गई सूचना / फाइल किए गए दस्तावेज के संदर्भ में आपको स्वीकृत किए गए प्रतिदाय की रकम बकाया मांग की राशि से समायोजित कर दिया गया है जो ब्यौरे के अनुसार निम्नलिखित है :-

	प्रतिदाय गणना	एकीकृत	केन्द्रीय	राज्य	उपकर
		कर	कर	/संघ	
				राज्य	
				क्षेत्रकर	
(i)	दावाकृत प्रतिदाय की रकम				
(ii)	अनंतिम आधार पर नेट मंजूर प्रतिदाय				
	(आदेश संतिथि)				
(iii)	अस्वीकृत अग्राह्य प्रतिदाय रकम <<कारण उल्लेख				
	कीजिए >>				
(iv)	प्रतिदाय अनुज्ञेय (i-ii-iii)				
(v)	विद्यमान विधि के अधीन या इस विधि के अधीन				
	बकाया मांग (आदेश संके अनुसार) के विरुद्ध				
	समायोजित प्रतिदाय मांग आदेश सं				
	तारीख				
	<बहु-पंक्तियों में दी जा सकती है>				
(vi)	प्रतिदाय रकम का शेष	शून्य	शून्य		शून्य

मैं, यह आदेश देता हूं कि उपरोक्त यथादर्शित दावाकृत / अनुजेय प्रतिदाय की रकम इस अधिनियम के अधीन / विद्यमान विधि के अधीन बकाया मांग के विरुद्ध पूर्ण रूप से समायोजित कर ली जाए । इस आवेदन का निपटारा अधिनियम की धारा (......) की उपधारा (.....) के अधीन उपबंधों के अनुसार किया जाता है ।

या

भाग- ख

प्रतिदाय रोकने के लिए आदेश

यह आपके निर्दिष्ट प्रतिदाय आवेदन और मामले में दी गई सूचना/दस्तावेजों के संदर्भ में है । आपको मंजूर किए गए प्रतिदाय की रकम निम्नलिखि कारणों से प्रतिधारित की गई है :

प्रतिदाय आदेश सं. :				
आदेश जारी करने की तारीख:				
प्रतिदाय गणना	एकीकृत	केन्द्रीय	राज्य / संघ राज्यक्षेत्रकर	उपकर
	कर	कर		
i. मंजूर प्रतिदाय की रकम				
ii. रोके गए प्रतिदाय की रकम				
iii. अनुज्ञेय प्रतिदाय की रकम				
i, यह आदेश देता हूं कि उपरोक्त य	थादर्शित दावा	कृत अनुज्ञेय	प्रतिदाय की रकम इस अधि	<u>थ</u> ेनियम [ः]
ें यह आदेश देता हूं कि उपरोक्त य	थाटर्शित टावा	कत अनजेय	प्रतिदाय की रकम इस अधि	धेतियम ः
परोक्त वर्णित कारणों के लिए रोक दी	। गई । यह ३	आदेश इस अ	धिनियम की धारा ()	उपधारा
नधीन उपबंधों के अनुसार जारी किया	गया है			
गरीख:			हस्ताक्षर (डी एस सी)	
				١٠
			(**************************************):
श्यान:			नाम:):
):

प्ररुप जीएसटी आरएफडी-10 [नियम 95(1) देखें]

संयुक्त राष्ट्र का कोई विशिष्ट अभिकरण या कोई बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान और संगठन, कान्सुलेट या विदेशी राज्यों के दुतावास आदि द्वारा प्रतिदाय के लिए आवेदन

	*** ** **	Z	4		
1.	यूआईएन :				
2.	नाम :				
3.	पता :				
4.	कर अवधि (तिमाही)	:	दिन /मास /वर्ष से	तक<दिन /मास /वर्ष	>
	दावा प्रतिदाय की रकम		<आई एन आर><शब्दों	में>	

	रकम
केन्द्रीय कर	
राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	
एकीकृत कर	
उ पकर	
कुल	

6. बैंक खाते का ब्यौराः

- (क) बैंक खाता संख्या
- (ख) बैंक खाते का प्रकार
- (ग) बैंक का नाम
- (घ) खाता धारक / संचालक का नाम
- (ङ) बैंक शाखा का पता
- (च) आई एफ एस सी
- (छ) एम आई सी आर
- 7. संदर्भ संख्या और दिए गए प्ररूप जीएसटीआर-11 की संदर्भ संख्या और तारीख
- 8. सत्यापन

मैं, <दुतावास /अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम> का प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में सत्यिनष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास से सत्य और सही है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

यह कि हम सरकार द्वारा अधिसूचित संयुक्त राष्ट्र का विशिष्ट अभिकरण / बहुपक्षीय वितीय संस्थान और संगठन, कान्सुलेट या विदेशी राज्यों के दूतावास/ कोई अन्य व्यक्ति/ विशिष्ट व्यक्तियों का वर्ग के रुप में ऐसे प्रतिदाय दावा के पात्र हैं।

स्थान:	
तारीख:	प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
	(नाम)
	पटनास / पास्थिति

प्ररूप जीएसटी आरएफडी-11 [नियम 96क देंखें]

माल या सेवाओं के निर्यात के लिए दिया गया बंधपत्र या परिवचन पत्र

वारा ना रावाजा के विवास के स्थि दिवा रावा ववन ना नारववर्ग नन					
1. जीएसर्ट	ोआईएन				
2. नाम					
3. दिए गए	! दस्तावेज का प्रकार उपदर्शित करें		बंध	पत्र परिव	यन पत्र
4. दिए गए	! बंधपत्र का ब्यौरा				
क्रम सं0	बैंक गारंटी की संदर्भ संख्या	तारीख	•	रकम	बैंक का नाम और शाखा
1	2	3		4	5
टिप्पण :	बैंक गारंटी और बंधपत्र की ठो	स प्रति अप	धेका	रिता अधिकारी को व	द्री जाएगी ।

5. घोषणा-

- (i) ऊपर उल्लिखित बैंक गारंटी, माल और सेवाओं के निर्यात पर संदेय एकीकृत कर को सुरक्षित करने के लिए जमा की गई हैं
- (ii) मैं इसके अवसान से पूर्व बैंक गारंटी के नवीकरण का परिवचन पत्र करता हूं । मेरे/हमारे ऐसा करने में विफल रहने की दशा में, विभाग बैंक से बैंक गारंटी पर संदाय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा ।
- (iii) विभाग, माल या सेवा के निर्यात के संदर्भ में एकीकृत कर संदेय की रकम को आच्छादित करने के लिए हमारे द्वारा दी गई बैंक गारंटी को अवलंब करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होगा ।

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर
नाम
पदनाम/प्रास्थिति
तारीख

एकीकृत कर के संदाय के बिना माल या सेवाओं के निर्यात के लिए बंधपत्र (नियम ९६क देखें)

(in the second day)
मैं/हमइसमें इसके पश्चात् "बाध्यताधारी (बाध्यताधारियों)" कहा जाएगा, भारत के
राष्ट्रपति (जिन्हे इसमें इसके पश्चात् "राष्ट्रपति" कहा गया है) के प्रतिरू०की
रकम का राष्ट्रपति को संदाय करने के लिए वचनबद्ध और दृढ़तापूर्व आबद्ध हूं/हैं ।
इसका संदाय पूर्णतः और सही रूप में किए जाने के लिए मैं/हम संयुक्त रूप से और पृथकतः स्वयं
को/अपने को और अपने हमारे क्रमिक वारिसों/निष्पादकों/प्रशासकों/विधिक प्रतिनिधियों/उत्तरवर्तियों को इस
विलेख द्वारा दृढ़तापूर्वक आबद्ध करता हूं/करते हैं : तारीखको इस पर हस्ताक्षर किए गए ।

उपरोक्त आबद्धकर बाध्यताधारी द्वारा को समय-समय पर एकीकृत कर का संदाय किए बिना भारत के बाहर निर्यात के लिए माल या सेवाओं के प्रदाय के लिए अन्ज्ञप्त किया गया है ;

और बाध्यताधारी धारा 16 की उपधारा (3) के खंड (क) के उपबंधों के अनुसार माल या सेवाओं का निर्यात करने की वांछा रखता है/रखते हैं ;

और आयुक्त, बाध्यताधारी से राष्ट्रपति के पक्ष में पृष्ठांकित.....रूपए रकम की बैंक प्रतिभूति देने की अपेक्षा करता है और जबकि बाध्यताधारी ने आयुक्त के पास ऊपर उल्लिखित बैंक प्रत्याभूति जमा करके ऐसी प्रतिभूति दे दी है।

इस बंधपत्र की शर्त यह है कि बाध्यताधारी और उसका प्रतिनिधि, माल या सेवाओं के निर्यात से संबंधित अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के सभी उपबंधों का पालन करें ;

और यदि स्संगत और विनिर्दिष्ट माल या सेवाओं का सम्यक् रूप से निर्यात किया जाता है;

और यदि ऐसे एकीकृत कर और अन्य सभी विधिक प्रभारों के सभी शोध्यों का ब्याज सहित, यदि कोई हो, सम्यक रूप से, उक्त अधिकारी द्वारा लिखित में की गई उसकी मांग की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर संदाय कर दिया गया है तो यह बाध्यता शून्य हो जाएगी ;

अन्यथा और इस शर्त के किसी भाग के पालन का भंग या असफल होने के आधार पर उसका पूर्ण बल और आधार होगा ;

और राष्ट्रपति, अपने विकल्प पर, बैंक प्रत्याभूति की रकम से या ऊपर लिखित बंधपत्र के अधीन अपने अधिकारों का पृष्ठांकन करके या दोनों से सभी हानि और नुकसानों को पूरा करवाने के लिए सक्षम होंगे ।

मैं/हम यह और घोषणा करता हूं/करते हैं कि यह बंधपत्र, किसी ऐसे कृत्य के अनुपालन के लिए, जिसमें जनता हितबद्ध है, सरकार के आदेशों के अधीन दिया गया है ;

इसके साक्ष्य स्वरूप बाध्यताधारी (बाध्यताधारियों) द्वारा इसमें इसके पूर्व लिखित तारीख को इनकी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए ।

बाध्यताधारी (बाध्यताधारियों) का (के) हस्ताक्षर

तारीख :

स्थान :

साक्ष					
(1)	नाम और पता			व्यवसाय	
(2)	नाम और पता			व्यवसाय	
	मैं आज,	तारीख	(मास)	(वर्ष) को	
(पट	नाम) की उपस्थिति :	में भारत के राष्ट्रपति के लि	ए और उनकी ओर	में इसे स्वीकार करता इं	ı

एकीकृत कर के संदाय के बिना माल या सेवाओं के निर्यात के लिए परिवचनपत्र (नियम 96क देखें)

•	*
मंग	र्म

भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "राष्ट्रपति" कहा गया है), उचित अधिकारी के माध्यम से कार्य करते हए
उ मैं/हम(रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का पता),
जिसका/जिनका माल और सेवा कर पहचान संO है, इसमें इसके पश्चात् परिवचनकर्ता कहा
जाएगा, संयुक्त रूप से और पृथक् रूप से स्वयं को/अपने को, मेरे/हमारे वारिसों, निष्पादकों/प्रशासकों,
विधिक प्रतिनिधियों/उत्तरवर्तियों सिहत राष्ट्रपति के प्रति,
(क) नियम 96क के उपनियम (1) में निर्दिष्ट समय के भीतर एकीकृत कर का संदाय किए बिना माल और सेवाओं का निर्यात करने ;
(ख) माल या सेवाओं के निर्यात से संबंधित माल और सेवा कर अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के सभी उपबंधों का पालन करने ;
(ग) माल या सेवाओं के निर्यात करने में असफल होने पर एकीकृत कर का, बीजक की तारीख से संदाय की तारीख तक का ऐसे ब्याज सिहत संदाय करने के लिए, जो संदत्त न किए गए कर की रकम पर अठारह प्रतिशत वर्षिक रकम के बराबर होगी,
मैं/हम यह घोषणा करता हूं/करते हैं कि यह परिवचन ऐसी अधिनियमितियों के जिनमें जनताहितबद्ध है, अनुपालन के लिए उचित अधिकारी के आदेश के अधीन दिया जाता है। इसके साक्ष्य स्वरूप परिवचनकर्ता (परिवचनकर्ताओं) द्वारा इसमें इसके पूर्व तारीख को इनकी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।
परिवचनकर्ता (परिवचनकर्ताओं) का (के) हस्ताक्षर
तारीख :
स्थान : साक्षी
(1) नाम और पता व्यवसाय
(2) नाम और पता व्यवसाय
मैं आज,तारीख(मास)(वर्ष) को
(पदनाम) की उपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से इसे स्वीकार करता हूं ।

प्ररूप जीएसटी आईएनएस - 01 निरीक्षण और तलाशी के लिए प्राधिकरण

(नियम 139(1) देखें)

सेवा	में,														
					•										
(अधि	कारी का	नाम ३	और पदन	ाम)											
	चूंकि,	मेरे	समक्ष	सूचना	प्रस्तुत	की	गई	\$	और	मुझे	विश्वास	करने	का	कारण	8
कि															
अ. व	मैसर्स														

- माल और /या सेवाओं के प्रदाय से संबंधित संव्यवहारों को छिपाया गया है
- हस्तगत माल के स्टाक से संबंधित संव्यवहारों को छिपाया गया है
- अधिनियम के अधीन अपने हकदारी के अतिरिक्त निवेश कर प्रत्यय का दावा किया है
- अधिनियम के अधीन अपने हकदारी के अतिरिक्त प्रतिदाय का दावा किया है
- इस अधिनियम के अधीन कर का अपवंचन, उसके अधीन बनाये गए अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन में अनुग्रह किया है;

या

आ. मैसर्स.....

- माल के संदाय से बच निकलने के लिए माल परिवहन के कारबार में वचनबद्ध किया है
- कर के संदाय से बचने के लिए भांडागार या गोदाम या स्थान के स्वामी या प्रचालक द्वारा जहां माल का भंडार किया गया है
- इस अधिनियम के अधीन संदेय कर का अपवंचन करने के लिए उस रीति में लेखा या माल को रखा गया है

या

इ

• अधिनियम के अधीन प्रक्रियाओं से सुसंगत जब्ती योग्य माल/ दस्तावेजों को कारबार/ आवासीय परिसर में गुप्त रखा गया है, जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है

<<परिसरों का ब्यौरे>>

इसलिए.—

मैं, अधिनियम की धारा 67 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, मैं आपको प्राधिकृत करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आवश्यक सहायक के साथ इसके अधीन बनाये गए उक्त अधिनियम और नियमों के अधीन प्रक्रियाओं से सुसंगत माल या दस्तावेजों और/ या अन्य वस्तुओं का निरीक्षण करें।

या

मैं, अधिनियम की धारा 67 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं आपको
प्राधिकृत करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आवश्यक सहायक के साथ इसके अधीन बनाये गए
उक्त अधिनियम और नियमों के अधीन प्रक्रियाओं से स्संगत माल या दस्तावेजों और/या अन्य

वस्तुओं का निरीक्षण करें और यदि कुछ पाया जाता है, तो इसके अधीन आगे की कार्यवाही के लिए उसे जब्त करके उसे प्रस्तुत करें ।

किसी व्यक्ति द्वारा भुलावा देने का, साक्ष्य को बिगाइने का, निरीक्षण/ तलाशी की प्रक्रिया के दौरान सुसंगत प्रश्नों का उत्तर देने से इंकार करने का कोई भी प्रयत्न, भारतीय दण्ड संहिता की दारा 179, 181, 191 और 418 सपठित अधिनियम के अधीन कारावास और/ या जुर्माना के साथ दण्डनीय होगा।

दिन......वर्ष में मेरा हस्ताक्षर और मुद्रा।दिनों के लिए वैध ।

मुद्रा

स्थान जारी करने वाले प्राधिकारी का हस्ताक्षर,

नाम और पदनाम

निरीक्षण करने वाले अधिकारी/अधिकारियों का नाम, पदनाम और हस्ताक्षर

(I)

(II)

प्ररूप जीएसटी आईएनएस-02 अभिग्रहण का आदेश

(नियम 139(2) देखें)

<<परिसरों का ब्यौरे>>

जिसका स्थान/कारबार का स्थान/परिसर है/हैं

<<व्यक्ति का नाम>>

<< जीएसटीआईएन, यदि रजिस्ट्रीकृत हो >>

निम्नलिखित साक्षी/साक्षियों की उपस्थिति में :

1. << नाम और पता>>

2. << नाम और पता>>

और निरीक्षण/तलाशी के दौरान पाये गये लेखाबही, रजिस्टर, दस्तावेज/कागज और माल की संवीक्षा करना, मुझे विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम के अधीन प्रक्रियाओं के लिए या से सुसंगत जब्ती योग्य माल और/या दस्तावेज और/या पुस्तकें और/या उपयोगी वस्तुएं उपर्युक्त वर्णित स्थान (स्थानों) में गुप्त रखे गये हैं।

इसलिए मैं धारा 67 की उप-धारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित माल/पुस्तक/दस्तावेज और वस्तुओं को एतत् द्वारा अभिग्रहित करता हूं :

अ) अभिग्रहीत माल के ब्यौरे :

क्र.सं.	माल का वर्णन	मात्रा या ईकाई	मेक/चिन्ह या मॉडल	टिप्पणियां
1	2	3	4	5

आ) अभिग्रहीत की गई पुस्तकं/दस्तावेजों/वस्तुओं के ब्यौरे:

क्र. सं.	अभिग्रहीत की गई पुस्तकं/दस्तावेजों/वस्तुओं का वर्णन	अभिग्रहीत की गई पुस्तकें/दस्तावेजों/वस्तुओं की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4

और ये माल और चीजें संभाल कर सुरक्षित रखने के लिए है ;

<<नाम और पता>>

इस निर्देश के साथ कि वह समनुदेशिती की पूर्व अनुमित के बिना माल या वस्तुओं, उसके भाग या उसके साथ अन्यथा व्यवहार नहीं करेगा ।

स्थानः	अधिकारी का नाम और पदनाम
दिनांक:	

साक्षियों का हस्ताक्षर

क्र. सं.	नाम और पता	हस्ताक्षर
1.		
2.		

सेवा में:

<<नाम और पता>>

प्ररूप जीएसटी आईएनएस-03 प्रतिषेध का आदेश

(नियम 139(4) देखें)

	जबकि	मेरे	द्वारा	धारा	67	की	उप-धारा	(1)	के	अधीन	निरीक्षण	/ 3प	-धारा	(2)	के	अधीन	तलाशी,
तारीख.			/		/					पूर्वान्ह/	'अपरान्ह	को	निम्न	लिखि	वत	परिसर	⁄परिसरों
में संचा	लित कि	या ग	ाया :														

<<परिसरों के ब्यौरे>>

जिसका स्थान/कारबार का स्थान/परिसर है/हैं :

- 1. <<व्यक्ति का नाम>>
- 2. <<जीएसटीआईएन, यदि रजिस्ट्रीकृत हो>>

निम्नलिखित साक्षी/साक्षियों की उपस्थिति में :

- 1. <<नाम और पता>>
- 2. <<नाम और पता >>

और निरीक्षण/तलाशी के दौरान पाये गये लेखाबही, रजिस्टर, दस्तावेज/कागज और माल की संवीक्षा करना, मुझे विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम के अधीन प्रक्रियाओं के लिए या से सुसंगत जब्ती योग्य माल/और या दस्तावेज और/या पुस्तकें और/या उपयोगी वस्तुएं उपर्युक्त वर्णित स्थान (स्थानों) में गुप्त रखे गये हैं।

इसलिए मैं धारा 67 की उप-धारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं एतत् द्वारा आदेश करता हूं कि आप समनुदेशिती की पूर्व अनुमित के बिना माल, उसके भाग या उसके साथ अन्यथा व्यवहार नहीं करेंगे/करायेंगे :

क्र. सं.	माल का विवरण	मात्रा और ईकाई	मेक/चिन्ह और मॉडल	टिप्पणियां
1	2	3	4	5

		_
Tyt	ı	٦.
↽ч	161	١.

तारीख:

अधिकारी का नाम और पदनाम

साक्षियों के हस्ताक्षर

	नाम और पता	हस्ताक्षर
1.		
2.		

सेवा में:

<<नाम और पता>>

प्ररूप जीएसटी आईएनएस – 04 (नियम 140(1) देखें) अभिगृहीत माल के निर्मुक्त के लिए बंधपत्र

मैं के तत्पश्चात् "बाध्यताधारी" कहा गया है, भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें आगे
'राष्ट्रपति" कहा गया है) और/ (राज्यपाल) (इसमें आगे "राज्यपाल" कहा गया है) के लिए धारित
और दृढ़ आबद्ध हूं, रूपए की राशि राष्ट्रपति/राज्यपाल हेत संदत्त के लिए जिसे संदाय
किया जाएगा । मैं संयुक्त रूप से और पृथकतः रूप से स्वयं आबद्ध हूं और मेरे वारिस/निष्पादकों/विधिक
प्रतिनिधित्व और इन वर्तमान द्वारा समनुदेशित किया गया है ।
यतः धारा ६७ की उपधारा (२) के उपबंधों के अनुसार, आदेश सं० तारीख
द्वारा अभिगृहीत किया गया है, रुपए के कर की रकम अन्तर्वलित करते हुए मूल्य के
रुपए में है । अनुरोध पर माल मूल्य के बंधपत्र और प्रति रुपए की प्रतिभूति बंधपत्र के
निष्पादन पर समुचित अधिकारी द्वारा अनंतिम रूप से निर्मुक्त किए जाने के लिए अनुज्ञात की गई है जिसे
नकदी/बैंक गारंटी, राष्ट्रपति/राज्यपाल के पक्ष में प्रस्तुत किया गया है ।
यतः मैं स्वयं के लिए अनंतिम रूप से निर्मुक्त उक्त माल उत्पन्न करने के लिए परिवचन पत्र करता हूं
और जब अधिनियम के अधीन प्राधिकृत सम्यक् समुचित अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो ।
और यदि समुचित प्राधिकारी द्वारा विधिपूर्ण प्रभारित मांग द्वारा सभी करें, ब्याज, शास्ति, जुर्माना उक्त
समुचित अधिकारी द्वारा लिखित रूप में किया जाएगा, यह बाध्यता शून्य होगी ;
अन्यथा, इस दशा में किसी भाग के निष्पादन में भंग या असफल होने पर पूर्णतः बल होगा ।
और राष्ट्रपति/राज्यपाल, इसके विकल्प में सभी हानियां और उपर्युक्त लिखित बंधपत्र या दोनों के
अधीन इसके पृष्ठांकन द्वारा या प्रतिभूति निक्षेप की रकम से नुकसानी ठीक करने के लिए सक्ष म होगा ।
बाध्यताधारी (यों) द्वारा लिखित के समक्ष के समय हस्ताक्षरित किए गए हैं।
तारीख: बाध्यताधारी (यों) के हस्ताक्षर (रों)
स्थान :
साक्षी:-
(1) नाम और पता :
(2) नाम और पता :
तारीख :
स्थान :
आज तारीख (मास)वर्ष को (समुचित प्राधिकारी
का पदनाम) राष्ट्रपति/राज्यपाल के लिए और उनकी ओर से स्वीकार करता हूं ।

(अधिकारी के हस्ताक्षर)

प्ररूप जीएसटी आईएनएस-05 विकारी या संकटमय के माल/वस्तुएं के निर्मुक्त का आदेश

(नियम 141(1) देखें)

				, , ,					
निम्नलिखित प	परिसर	(परिसरों)	से		को	निम्नलिखित	माल	और/या	चीजें
अभिग्रहीत किए	गए थे	:							
«परिसर के ब्यौ	रे»								
जो स्थान/कारब	ार के स	थान/ संबंधि	त प	ारिसरों के लिए :					
«ट्यक्ति का नाम	T»								
«जीएसटी आईए	रन रजिर	म्ट्रीकृत»							

अभिग्रहीत माल के ब्यौरे

क्रम संख्या	माल का वर्णन	मात्रा या यूनिटें	मेक/चिन्ह या टिप्पण	टिप्पणियां
1	2	3	4	5

और चूंकि ये माल, विकारी या परिसंकटमय प्रकृति के हैं और चूंकि रकम रुपए (शब्दों और अंकीय में रकम) रकम समतुल्य होते हुए के लिए -□ ऐसे माल या चीजों की बाजार कीमत □ कर, ब्याज और शास्ति की रकम जोकि या संदेय हो जाता है, संदत्त किया गया है । मैं तदनुसार उपरोक्त उल्लिखित माल अविल निर्मुक्त किया जाए । अधिकारी का नाम और पदनाम स्थानः

तारीख: सेवा में,

«नाम और पदनाम»

[नियम 142(1) देखें]

संदर्भ सं0	तारीख
सेवा में	
जीएसटीआईएन/आईडी	
नाम	
पता	
कर अवधि	वितीय वर्षअधिनियम
धारा/उपधारा जिसके अधीन कारण बताओ सूचन	ना जारी की गई है
एससीएन संदर्भ सं0	तारीख
कारण बताओ	सूचना का संक्षिप्त विवरण
(क) मामले को संक्षिप्त तथ्य	
(ख) आधार	
(ग) कर और अन्य शोध्य	
	(रकम रूपया में)

क्रम	कर अवधि	अधिनियम	प्रदाय का स्थान	कर/उपकर	अन्य	योग
सं0			(राज्य का नाम)			
1	2	3	4	5	6	7
योग						

(नियम १४२(ख) देखें)

संदर्भ संख्या	तारीख
जीएसटीआईएन/आईडी	
नाम	
पता	
एससीएन संदर्भ सं0	तारीख
कथनसंदर्भ सं0	तारीख
धारा/उपधारा जिसके अधीन कथन जारी किया	। जा रहा है ।
कथन का संक्षिर	न
(क) मामले का संक्षिप्त तथ्य	
(ख) आधार	
(ग) कर और अन्य शोध्य	

(रकम रूपया में)

क्रम सं0	कर अवधि	अधिनियम	प्रदाय का स्थान (राज्य का नाम)	कर/उपकर	अन्य	योग
			((10 4 47 61101)			
1	2	3	4	5	6	7
योग						

[नियम 142(2) और 142(3) देखें]

स्वैच्छिक रूप से किये गये संदाय की सूचना या किया गया कारण बताओ सूचना (एससीएन) के प्रति या कथन

1.	जीएसर्ट	आईएन								
2.	नाम									
3.	संदाय व	के का कारण			<< c	गीचे करे>>				
						ा परीक्षा, : नेर्दिष्ट करें)		, स्वैच्छिक/	एससीएन,	अन्य
4.	वह धार	ा जिसके अधी	न स्वैच्छिक र	संदाय किय	П	नीचे करे>>				
	गया है	1								
5.	कारण व	बताओ नोटिस	का ब्यौरा, या	दि इसके		संद	र्भ संख्य	Г	जारी की	ा तारीख
	जारी के	30 दिन के 8	भीतर संदाय र्	केया गया						
	। है									
6.	वित्तीय	वर्ष							I	
7.	ब्याज ३	भौर शास्ति सर्वि	हेत किए गए	संदाय का	ब्यौरा (यदि लाग	(हो)			
						•	•		(रकम	र रुपए में)
क्रम	कर	अधिनियम	प्रदाय का	कर/	ब्याज	शास्ति,	योग	उपयोग	विकलन	विकलन
सं0	अवधि		स्थान	उपकर		यदि		किए गए	प्रविष्टि	प्रविष्टि
			(पीओएस)			प्रयोज्य		खाते	सं०	की
						हो		नगद⁄		तारीख
								क्रडिट		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

कारण, यदि कोई हो - (टेक्स्ट बॉक्स)

9. सत्यापन -

मैं तदनुसार सत्यिनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि यहां ऊपर नीचे दी गई सूचना सर्वोत्तम जानकारी में सत्य और सही है और कोई बात छिपाया नहीं गया है।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का हस्ताक्षर
नाम
पदनाम/प्रास्थिति
तारीख

[नियम 142(2) देखें]

संदर्भ सं.:	तारीख:
सेवा में,	
जीएसटीआईएन/आईडी	
नाम	
पता	
कर अवधि	वित्तीय वर्ष
एआरएन -	तारीख -

स्वेच्छा से किए गए संदाय की स्वीकृति की अभिस्वीकृति

उपरोक्त निर्दिष्ट आवेदन द्वारा आपके द्वारा किए गए संदाय की, संदत्त की गई रकम के विस्तार तक और उसमें कथित कारणों के लिए अभिस्वीकृति की जाती है।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

प्रति -

[नियम 142(3) देखें]

संदर्भ सं.:	तारीखः
सेवा में,	
जीएसटीआईएन/आईडी	
नाम	
पता	
कर अवधि	वित्तीय वर्ष
एससीएन	तारीख -
एआरएन	तारीख -

कार्यवाहियों के निष्कर्ष की सूचना

यह उपरोक्त कारण बताओ सूचना के संदर्भ में है । जैसा कि आपने.....धारा के उपबंधों के अनुसरण में लागू ब्याज और शास्ति के साथ सूचना में उल्लिखित कर की रकम और अन्य बकाया संदत्त कर दिया है, उक्त सूचना द्वारा प्रारम्भ की गई कार्यवाहियां समाप्त की जाती हैं ।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

प्रति -

[नियम 142(4) देखें]

कारण बताओ सूचना का प्रतिउत्तर

	-	
1. जीएसटीआईएन		
2. नाम		
3. कारण बताओ सूचना का ब्यौरा	संदर्भ सं.	निर्गत करने की तिथि
4. वित्तीय वर्ष		
5. प्रतिउत्तर		
<< टेक्स्ट बॉक्स>>		
6. अपलोड किया गया दस्तावेज		
<<दस्तावेजों की सूची>>		
7. वैयक्तिक सुनवाई के लिए विकल्प	□ हां	🗆 नहीं
8. सत्यापन -		

मैं सत्यिनष्ठ प्रतिज्ञान करता हूं और यह घोषणा करता हूं कि उपरोक्त दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता व	के हस्ताक्षर
नाम	
पदनाम/प्रास्थिति	
तारीख –	

[नियम 142(5) देखें]

आदेश का सार

- 1. आदेश का ब्यौरा -
 - (क) आदेश सं.
- (ख) आदेश की तारीख
- (ग) कर अवधि -

2. अंतर्निहित विवाद-<<नीचे देखें>>

वर्गीकरण, मूल्यांकन, कर की दर, व्यापारावर्त का छुपाव, आईटीसी दावे का आधिक्य, मुक्त किए गए प्रतिदाय का आधिक्य, पूर्ति का स्थान, अन्य (विनिर्दिष्ट करें)

3. मालों/सेवाओं का विवरण --

क्र. सं.	एचएसएन	विवरण

4. मांग के ब्यौरे

(रकम रुपयों में)

क्र.	कर की	व्यापारावर्त	पूर्ति का स्थान	अधिनियम	कर/उपकर	ब्याज	शास्ति
सं.	दर						
1	2	3	4	5	6	7	8

5. जमा की गई रकम

क्र.	कर की अवधि	अधिनियम	कर/उपकर	ब्याज	ब्याज शास्ति		कुल
स.							
1	2	3	4	5	6	7	8
कुल							

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

			[नियम	142(7) देखी			
संदर्भ सं.:						तारी	ख :
			आदेश	का परिशोधन			
	प्रस्ताव	ाना - << मा	नक >> (केवल	। आदेश के लिए	! लागू)		
मूल आदेश	की विशि	ष्टियां			·		
कर की अ	वधि, यदि	कोई हो					
धारा, जिस	के अधीन	आदेश पारित	न किया				
गया है							
आदेश सं.				जारी	करने की तारी	ख	
उपबंध निध	र्थारण आदे	श सं., यदि	कोई हो	आदेश	की तारीख		
एआरएन,	यदि परिशो	धिन के लिए	लागू हो	एआर ग	रन की तारीख		
मांग का ब्यं	ौरा, परिशोध	(टेक्स्ट बॉ धन के पश्चात	क्स) न्, यदि कोई	हो		(र	कम रुपयों
क्र.स.	कर की	व्यापार	प्रदाय का	अधिनियम	कर/उपकर	ब्याज	शास्ति
	दर	आवर्त	स्थान				
1	2	3	4	5	6		8
उपरोक्त आटे किया जाता			ोन निर्दिष्ट १	िक्यों के प्रयोग	ा में नीचे यथ	ग उल्लि	खेत परिशो
सेवा में, (जीएसटीआः नाम	•						

प्रति -

[नियम १४३ देखें]

सेवा में,	
व्यतिक्रमी का ब्यौरा-	
जीएसटीआईएन –	
नाम -	
मांग आदेश सं.:	तारीख:
वसूली की संदर्भ संः	तारीख:
अवधि:	
जपाप.	

विनिर्दिष्ट अधिकारी के माध्यम से धारा 79 के अधीन वसूली के लिए आदेश

जहां कर, उपकर, ब्याज और शास्ति के मद में <<----->> रुपये की राशि <<एसजीएसटी/यूटीजीएसटी/सीजीएसटी/आईजीएसटी/सेस>> अधिनियम के उपबंधों के अधीन उपरोक्त व्यक्ति, जो ऐसी रकम का संदाय करने में विफल हो चुका है, द्वारा संदेय है । बकाया के ब्यौरे नीचे दी गई सारणी में दिए गए हैं:

(रकम रुपयों में)

कार्य	कर/उपकर	ब्याज	शास्ति	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6
एकीकृत कर					
एकीकृत कर केन्द्रीय कर					
राज्य/केन्द्रशास्ति					
प्रदेश कर					
उपकर					
कुल					

<< टिप्पणि	ोयां>>
र ।८५५।०।	141>>

आपसे,	<<एसजीएसटी>>	की धा	रा 79	के	उपबंधों	के	अधीन	उपरोक्त	लिखित	<<	व्यक्ति	>>	से	बकाय
रकम व	ग्सूल करना अपेधि	सेत है।												

स्थान:	हस्ताक्षर
तारीख:	नाम

पदनाम

(नियम 144(2) देखें)

अधिनियम की धारा 79 (1)(ख) के अधीन माल के नीलामी की सूचना

मांग	आदेश	संख्याः	तारीखः
	•	••	*** **

अवधिः

मेरे द्वारा ---- रुपए और उस पर ब्याज की वसूली के लिए नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट कुर्क किए गए या करस्थम किए गए माल के विक्रय के लिए आदेश किया गया है और जो धारा 79 के उपबंधों के अनुसरण में वसूली प्रक्रिया पर उपगत व्यय ग्राह्म है।

विक्रय लोक नीलामी द्वारा किया जाएगा और माल अनुसूची में विनिर्दिष्ट लाट में विक्रय के लिए रखा जाएगा । विक्रय व्यतिक्रमी के अधिकार, शीर्षक और हितों के लिए किया जाएगा और उक्त संपितयों के लिए संलग्न दायित्व और दावे, जिस प्रकार उन्हें सुनिश्चित किया गया है, प्रत्येक लाट के सामने अनुसूची में उन्हें विनिर्दिष्ट किया गया है ।

नीलामी...... पर पूर्वाह्न/अपराह्न को आयोजित की जाएगी। नीलामी के तारीख से पूर्व देय संम्पूर्ण रकम के संदत हो जाने पर विक्रय रोक दिया जाएगा ।

प्रत्येक लाट की कीमत विक्रय के समय या समुचित अधिकारी/विनिर्दिष्ट अधिकारी के निदेशों के अनुसार संदत्त की जाएगी और संदाय के व्यतिक्रम में माल को पुनः नीलामी और पुनः विक्रय के लिए रखा जाएगा ।

अनुसूची

क्र.सं.	माल का विवरण	मात्रा
1	2	3

स्थान:	हस्ताक्षर
तारीख:	नाम
	पदनाम

(नियम 144(5) और 147(12) देखें)

सफलतापूर्वक बोली लगाने वाले के लिए सूचना

सेवा में,
कृपया लोक नीलामी निर्देश संख्यातारीखका संर्दभ लें ।
ो आयोजित नीलामी के आधार पर, तत्काल मामले में आप सफलतापूर्वक बोली लगाने वाले पाए
ए है।
आपसे एतद द्वारा नीलामी के तारीख से 15 दिन अवधि के भीतर रुपए का संदाय रने की अपेक्षा की जाती है ।
आपको माल का कब्जा बोली की रकम के पूर्णरुप से संदाय करने के पश्चात आपको
तरित किया जाएगा।
स्थान: हस्ताक्षर
तारीखः नाम
पदनाम

(नियम 144(5) और 147(12) देखें)

विक्रय प्रमाण पत्र										
मांग आदेश	मांग आदेश संख्याः									
वसूली की र	वसूली की संदर्भ संख्याः तारीखः									
अवधिः	भवधिः									
यह प्रमाणित	न किया उ	जाता है कि	निम्नलिखित	ग मालः						
			;	अनुसूची (जंग	म माल)				
क्र.सं.			माल का विव	वरण				Ŧ	गत्रा	
1			2						3	
			1	मनुसूची (स्था)				
भवन	फ्लोर	स्थान/	सड़क/गली	अवस्थान/	जिला	राज्य	पिनकोड	अक्षान्तर		देशांन्तर
सं./फ्लैट	सं.	भवन		ग्राम				(दि	ोकल्प)	(विकल्प)
सं.		का नाम								
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
				अनुसूची (१	शेयर)					
क्र.सं.		7	நंपनी का नाम	•			मात्रा		र्व	गेमत
1			2			3 4				4
<i>८८</i> गम.चीगम	टी /राटी.र्ज	ग्रामटी /मीः	ग्रीग्रमटी / भार्द	जीएसटी/सीई	حسسر	्र भशि	नियम की ९	דנוו	79 (1°) (ख) (हा)
			•	ं बनाए गए ¹						
				पर		_				
-	है और उक्त (क्रेता) ने विक्रय के समय उक्त माल के क्रेता होने के घोषणा कर दी है। उक्त माल की विक्रय कीमत को प्राप्त हुई थी । विक्रय को सुनिश्चित किया गया था ।									
ापक्रय फान	Π	. વગ પ્રાત (55 था । । पप्र	P4	का सीट	וושה ו	कथा गया थ	1 1		
∓ थ	ान:						हस्ता	तर		
	ीख:						नाम			
·	·									

(नियम 145(1) देखें)

धारा 79(1)(ग) के अधीन तीसरे व्यक्ति के लिए सूचना

सवा म,	
व्यतिक्रमी की विशिष्टियां	
जीएसटीआईएन	
नाम	
मांग आदेश संख्याः	तारीखः
वसूली की संदर्भ संख्याः	तारीख :
अवधि :	

कर, उपकर, ब्याज और शास्ति की रकम पर <<.....>> रुपए की रकम <जीएसटीआईएन >> धारण करने वाले <<कराधेय व्यक्ति का नाम>> जो ऐसी रकम का संदाय करने में विफल हो गया है, के द्वारा<<एसजीएसटी/यूटीजीएसटी/सीजीएसटी/आईजीएसटी/सीईएसएस>> अधिनियम के उपबंधों के अधीन संदाय योग्य है; और/या

यह प्रेक्षित है कि आपसे उक्त कराधेय व्यक्ति के लिए......रुपए की रकम देय है या देय हो सकती है: या

यह प्रेक्षित है कि उक्त व्यक्ति के लिए या उस पररुपए की रकम आपके पास है या आपके पास होने की संभावना है।

आपको एतद् द्वारा निदेश दिया जाता है कि अधिनियम की धारा 79 की उपधारा(1) के खंड (ग) (i) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुपालन में देय होने या हो सकने वाले धन......रुपए की रकम का संदाय सरकार को तुरत करें।

कृपया नोट करें कि इस सूचना के अनुपालन में आपके द्वारा किया गया कोई संदाय, उक्त कराधेय व्यक्ति के प्राधिकार के अधीन किए जाने के प्रति उक्त अधिनियम की धारा 79 के अधीन समझा जाएगा और प्ररुप जीएसटी डीआरसी-14 में सरकार से प्राप्त प्रमाण पत्र आपके दायित्व का प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट रकम की सीमा तक ऐसे व्यक्ति के प्रति उत्तम और पर्याप्त रुप से निर्वहन समझा जायेगा।

कृपया यह भी नोट करें कि इस सूचना की प्राप्ति के पश्चात् आप उक्त कराधेय व्यक्ति के किसी दायित्व का निर्वहन करते हैं तो कराधेय व्यक्ति के दायित्व की सीमा या कर, उक्त कर, ब्याज एवं शास्ति की सीमा तक जो भी कम हो, के लिए अधिनियम की धारा 79 के अधीन राज्य/केन्द्रीय सरकार के प्रति व्यक्तिगत रुप से दायी होंगे।

कृपया नोट करें कि इस सूचना के अनुसरण में संदाय करने में आप विफल होते हैं, तो आपको इस सूचना में विनिर्दिष्ट रकम के संबंध में व्यतिक्रमी समझा जाएगा और अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियम का पालन किया जाएगा ।

स्थान:	हस्ताक्षर
तारीख:	नाम
	पटनास

(नियम 145(2) देखें)

तीसरे व्यक्ति के लिए संदाय का प्रमाण पत्र

प्ररुप जीएसटी डीआरसी-13 में संदर्भ संख	त्या तिथि आपको जारी सूचना	के
प्रतिउत्तर में आपके द्वारा नीचे दिए गए व्यतिक्रमी	के नाम के लिएरपए का संदाय कर	ते
हुऐ अपने दायित्व का निर्वहन कर दिया गया है	:	
जीएसटीआईएन		
नाम		
मांग आदेश संख्याः	तारीखः	
वस्ली की संर्दभ संख्याः	तारीख :	
अवधि		
यह प्रमाण ऊपर उल्लिखित व्यतिक्रमी हे	तु प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट रकम की सीमा त	क
आपके दायित्व का उतम एवं पर्याप्त रुप निर्वहन वि	भया समझा जायेगा।	
स्थान:	हस्ताक्षर	
तारीख:	नाम	
	पदनाम	

(नियम 146 देखें)

डिक्री के लिए निष्पादन का अनुरोध करने के लिए सिविल न्यायालय के समक्ष आवेदन

सेवा में,		
न्यायालय का न्यायाधीश/	⁄मजिस्ट्रेट	
मांग आदेश संख्याः	तारीखः	अवधि
महोदय/महोदया,		
आपको यह सूचि	ात किया जाता है कि	20की वाद संख्या में
(व्यतिक्रमी का नाम) के द्वारा 20	की तारीख को आपके न्यायालय में
अभिप्राप्त डिक्री के अनुसार उक्त	व्यक्ति के प्रति	.रुपए का संदेय किया जाना है । तथापि,
उक्त व्यक्ति आदेश संख्या	तारीख द्वारा	<<एसजीएसटी/ यूटीजीएसटी/ सीजीएसटी/
आईजीएसटी/ सीईएसएस>> अधि	नियम के उपबंधों के अध	ीनरपए की रकम का संदाय करने
के लिए दायी है ।		
आपसे डिक्री का निष्पादन करने	और ऊपर यथाउल्लिखि	त बकाया वसूल योग्य रकम का निपटान
करने के लिए शुद्ध आगम प्रत्यय	के लिए अनुरोध किया उ	गता है।
स्थानः		
तारीखः		

समुचित अधिकारी/विनिर्दिष्ट अधिकारी

			{नियम	147(1) अं	ौर 151(1) देखें}			
सेवा में									
जीएसटीआई	एन								
नाम									
पता		-							
मांग आदेश	सं0				7	तारीख:			
वसूली की र	संदर्भ सं0				;	तारीख:			
अवधि :									
	धारा 79	के अधीन र	स्थावर / ज	ांगम मार्लो∕१	शेयरों की	कुर्की अ	ौर विक्र	ज्य हेतु सूचना	1
<<एसजीए	सटी/यूटीर्ज	ोएसटी/सीजी	एसटी/आ	ईजीएसटी/3	पकर>>3	ाधिनिय	म के उ	उपबंधों के अ	ाधीन आपके
ा़रा संदेय	कर/उपकर	/ब्याज/शासि	त/फीस	के बकाया		रू० की	ो रकम	का संदाय व	_{रिने} में आप
असफल रहे	1 है								
इसलिए नीच	वे दी गई र	प्तारणी में उल	लेखित स	थावर मालों	को कुर्क	किया उ	गता है	और उक्त रक	म की वसूली
के लिये विक	क्रय किया	जायेगा । अत	नः आपक	ो किसी भी	प्रकार से	उक्त मा	लका	अन्तरण करने	या उस पर
प्रभार सृजित	त करने से	प्रतिषेध किय	ग जाता	है और आपवे	के द्वारा वि	केया गर	ग कोई	अन्तरण या	सृजित प्रभार
अवैध होगा	I								
				अनूसूची ((जंगम)				
क्र.सं.			मार्लो का	वर्णन				परिमाण	Г
1			2					3	
				अनूसूची (स्थावर)				
भवन	तल सं.	परिसर/	सड़क	परिक्षेत्र/	जिला	राज्य	पिन	अक्षांश	देशांतर
सं./	****	भवन का	/	ग्राम		,	कोड	(वैकल्पिक)	(वैकल्पिक)
फ्लैट सं.		नाम	मार्ग				_		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1		<u> </u>	
				अनुसूची ((शेयर)				
क्र.सं.	कंपनी का नाम परिमाण							 ज	
1	2 3								
₹₹	थानः					हर	न्ताक्षर		
ता	तारीखः नाम								
					पदनाम				

{नियम 147(4) देखें}

धारा 79(1) (घ) के अधीन स्थावर/जंगम सम्पति की नीलामी हेतू सूचना ।

मांग आदेश संO. तारीख : वस्ली की संदर्भ संO तारीख :

अवधि :

धारा 79 के उपबंधों के अनुसरण में -----रू० और उस पर ब्याज तथा वसूली प्रक्रिया में उपगत ग्राह्म व्यय की वसूली के लिए नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट कुर्क किये गये या करस्थम किये गये मालों की विक्रय हेत् मेरे द्वारा एक आदेश किया गया है।

विक्रय सार्वजनिक नीलामी द्वारा किया जायेगा और माल को अनुसूची में विनिर्दिष्ट लाट में विक्रय के लिए रखा जायेगा । विक्रय व्यतिक्रमी के अधिकार, स्वत्वधिकार और हितों का होगा और उक्त संपित से उपाबद्ध दायित्व और दावों, जहां तक उन्हें अभिनिश्चित किया गया है, वे होगें जिन्हें प्रत्येक लाट के समक्ष अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया है ।

मुल्तवी किये जाने के किसी आदेश की अनुपस्थिति में नीलामी----- पूर्वाह्न/अपराहन (बजे)------ (तारीख) को होगी । सूचना के जारी होने से पहले जहाँ बकाया संपूर्ण रकम संदत्त कर दी गई है कि दशा में, नीलामी रद्द कर दी जायेगी ।

प्रत्येक लाट की कीमत सम्चित अधिकारी/विनिर्दिष्ट अधिकारी के निदेशों के अनुसार विक्रय के समय संदत्त की जायेगी और संदाय के व्यतिक्रम में, माल को दोबारा नीलामी के लिए रखा जाएगा तथा पुनः विक्रय किया जायेगा ।

अनूसूची (जंगम)

क्र.सं.	मालों का वर्णन	परिमाण
1	2	3

अनूसूची (स्थावर)

				- •					
भवन सं./	तल सं.	परिसर/भवन	सड़क/	परिक्षेत्र/	जिला	राज्य	पिन	अक्षांश	देशांतर
फ्लैट सं.		का नाम	मार्ग	ग्राम			कोड	(वैकल्पिक)	(वैकल्पिक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

अनूसूची (शेयर)

क्र.सं.	कंपनी का नाम	परिमाण
1	2	3

स्थानः हस्ताक्षर

तारीखः नाम

पदनाम

{नियम 155 देखें}

सेवा में	
जिला कलक्टर का नाम और पता	
मांग आदेश सं0.	तारीख :
वसूली की संदर्भ सं0	तारीख :
अवधि :	
धारा 79 की उपधारा (1) के खंड	(ङ) के अधीन नीलामी प्रमाण पत्र ।
	प्रमाणित करता हूँ कि अधिनियम <<एसजीएलटी/
यूटीजीएसटी/सीजीएसटी/आईजीएसटी/उपकर>>के	अधीन जीएसटीआईएनधारित
सर्वश्रीसंरु० वि	ो ऐसी राशि की मांग की गई है जो उसके द्वारा
संदेय है, लेकिन संदत्त नहीं की गई है और अधिनि	नेयम के अधीन उपबंधित रीति से उक्त व्यतिक्रमी से
वसूल नहीं की जा सकती है ।	
<< मांग '	विवरण >>
उक्त जीएसटीआईएन धारक आपकी अ	धिकारिता में संपत्ति का स्वामित्व रखता है/निवास
करता है/ कारोबार करता है, जिसके व्यौरे नीचे र्द	ो गई है-
<<वप	र्गन >>
आप से निवेदन है कि उक्त व्यतिक्रमी	ो सेरूपये की राशि को इस प्रकार से
वसूल करें जैसे कि यह भूमि राजस्व का कोई बक	ाया हो के लिए शीध्र कदम उठायें ।
स्थानः	हस्ताक्षर
तारीख:	नाम

पदनाम

प्ररूप जीएसटी डीआरसी - 19 [नियम 156 देखें]

सवा म,	
मजिस्ट्रेट	
<<न्यायालय का नाम और पता>>	
मांग आदेश सं0.	तारीख :
वसूली की संदर्भ सं0	तारीख :
अनिष .	

जुर्माने के रूप में वसूली के लिए मजिस्ट्रेट को आवेदन ।

......र० की कोई राशि अधिनियम के उपबंधों के अधीन संदेय कर ब्याज और शास्ति के कारण <<जीएसटीआईएन>> धारित <<कराधेय व्यक्ति का नाम>> से वसूली योग्य है । आपसे निवेदन है कि कृपया अधिनियम की धारा 79 की उप-धारा (1) के खंड (च) के उपबंधों के अनुसरण में इस रकम को इस प्रकार से वसूल करें जैसे कि यह किसी मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित कोई जुर्माना हो ।

रकम का विवरण					
विवरण	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर	
कर/उपकर					
ब्याज					
शास्ति					
फीस					
अन्य					
योग					

स्थान:	हस्ताक्षर
तारीख:	नाम
	पदनाम

{नियम 158(1) देखें}

आस्थगित संदाय/किश्तों में संदाय के लिए आवेदन

1. कराधेय र्व्या	क्ते का नाम			
2. जीएसटीआई	एन			
3. अवधि				
अधिनियम की ध	गरा 80 के अनुसरण	में, मैं आपसे निवेदन	करता हूँ कि मुझे	कर/अन्य बकायों के
		के समय का विस्तार	., -	
बकायों को नीचे	दिये गये कारणों से	किश्तं	ों में संदाय करने वे	र्फ लिए अनुज्ञात करें-
मांग आईडी				
वर्णन	केन्द्रीय कर	राज्य/	एकीकृत कर	उपकर
		संघ राज्यक्षेत्र कर		
कर/उपकर				
ब्याज				
शास्ति				
फीस				
अन्य				
योग				
कारण : -				अपलोड किये
				गये दस्तावेज
		सत्यापन		
मैं एतद्	द्वारा प्रतिज्ञान कर	ता हूँ/घोषणा करता हूँ	कि इसमें ऊपर	दी गई सूचना मेरी
,		 मही है तथा इसमें से कु	`	·
प्रधिकृत हस्ताक्षर	ो के हस्ताक्षर			
स्थान				

[नियम 158(2) देखें]

सदभ स० <<>>	<< ताराख >>
सेवा में,	
जीएसटीआईएन	
नाम	
पता	
मांग आदेश सं॰	तारीखः
वसूली का संदर्भ संख्या :	तारीख:
अविध -	
आवेदन संदर्भ सं० (एआरएन) -	तारीखः

आस्थगित संदाय/किस्तों में संदाय के लिए आवेदन के स्वीकार/अस्वीकार के लिए आदेश

यह, अधिनियम की धारा 80 के अधीन फाइल किए गए आपके उपरोक्त निर्दिष्ट आवेदन के संदर्भ में है आस्थिगत संदाय/कर के संदाय/ किस्तों में अन्य देय के लिए आपके आवेदन का परीक्षण कर लिया गया है और इस संबंध में, आपको तारीख.......तक कर और अन्य देय संदाय करने की अनुजा दी जाती है या इस संबंध में आपको......रूपए.......मासिक किस्तों में कर और अन्य देय संदाय करने की अनुजा दी जाती है।

या

यह, अधिनियम की धारा 80 के अधीन फाइल किए गए आपके उपरोक्त निर्दिष्ट आवेदन के संदर्भ में है । आस्थिगित संदाय/ कर के संदाय/ किस्तों में अन्य देय के लिए आपके आवेदन का परीक्षण कर लिया गया है और इसको निम्नलिखित कारणों से आपके अनुरोध को मान लेना बिलकूल भी संभव नहीं है ;

अस्वीकार के लिए कारण	
स्थानः	हस्ताक्षर
तारीख:	नाम
	पदनाम

[नियम 159(1) देखें]

संदर्भ सं :	तारीख:
सेवा में,	
नाम	
ਧਗ	
(बैंक/ डाक खाना/वित्तीय संस्थान/अचल संपति रजिस्ट्रीकरण	प्राधिकरण)
धारा 83 के अधीन संपति	की अंनतिम कुर्की
आपको यह सूचित किया जाता है कि सर्वश्री	(नाम) कारोबार का मूल
स्थान(पता) रजिस्ट्रीकरण संख्या के रूप	प में (जीएसटीआईएन/आईडी),
पी.ए.एन <<एसजीएसटी/सीजीएसटी>> अधिनियम के उ	अधीन एक रजिस्ट्रीकृत कराधेय व्यक्ति है।
उक्त व्यक्ति से कर या कोई अन्य रकम निर्धारित	करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा
<<>> के अधीन पूर्वोक्त कराधेय व्यक्ति के विरुद्ध क	गर्यवाहियां आरंभ की गई है । विभाग के
पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, मेरी नोटिस में यह आ	या है कि उक्त व्यक्ति का-
<<बचत/ चालू / एफ डी/ आर डी / निक्षेप >>खाता आपके<<	बैंक/डाक खात/ वित्तीय संस्थान>> में खाता
संख्या << खाता सं०>>;	
या	
<< संपति आई डी और स्थान>> पर संपति स्थित है ।	
राजस्व के हितों का संरक्षण करने के लिए और अधिनियम	की धारा 83 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का
प्रयोग करते हुए, मैं (वाम), (पदनाम), पूर्वोक्त खाता/ संपति की अंनतिम कुर्की
करता हूं ।	
कोई विकलन इस विभाग की पूर्व अनुज्ञा के बिना उसी पै	न न० पर पूर्वोक्त व्यक्ति द्वारा संचालित
उक्त खाता या कोई अन्य खाता से अनुज्ञात नहीं करने दि	या जाएगा ।
या	
उपरोक्त उल्लिखित संपति इस विभाग की पूर्व अनुज्ञा वे	n बिना निपटान करने को अनुजात नहीं
किया जाएगा ।	
	हस्ताक्षर
	नाम
	पदनाम

प्रति :-

[नियम 159(3), 159(5) और 159(6) देखें]

संदर्भ संख्या :- -	तारीख:
सेवा में,	
नाम	
पता	
बैंक/ डाक खाता/वित्तीय संस्थान/अचल	न संपति रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण)
आदेश संदर्भ संख्या :	तारीख –

धारा 83 के अधीन अनंतिम रूप से कुर्क संपति तारीख बैंक खाता का प्रत्यावर्तन

कृपया, व्यक्ति के विरुद्ध राजस्व के हित की सुरक्षा में आरंभ की गई कार्यवाहियों के संबंध में उपरोक्त निर्दिष्ट आदेश द्वारा कुर्क <<बचत / चालू / एफ डी/आर डी>> खाता संख्या आपके << बैंक /डाक खाना /वितीय संस्थान>> में खाता संख्या <<----->>, की कुर्की का संदर्भ लें । अब, ऐसी कोई कार्यवाहियां व्यक्तिक्रम व्यक्ति के विरुद्ध लंबित नहीं है जिसका उक्त खाता की कुर्की का वारंट था । इसलिए, उक्त संबंद्ध व्यक्ति का खाता अब का प्रत्यावर्तन किया जा सकता है।

या

कृपया, व्यक्ति के विरुद्ध आरंभ की गई कार्यवाहियों में राजस्व के हित की सुरक्षा के संबंध में उपरोक्त निर्दिष्ट आदेश द्वारा कुर्क << आई डी /अवस्थान>> संपति की कुर्की का संदर्भ लें । अब, ऐसी कोई कार्यवाहियां व्यतिक्रम व्यक्ति के विरुद्ध लिम्बत नहीं है जिसका उक्त संपति की कुर्की का वारंट था । इसलिए अब संबद्ध व्यक्ति के उक्त संपति को प्रत्यावर्तित किया जा सकता है ।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

प्रति : --

[नियम 160 देखें]

सेवा में,		
समापक/प्रापक,		
कराधेय व्यक्ति का नाम		
जीएसटीआईएन:		
मांग आदेश संख्या:	तारीख:	अवधि:

रकम की वसूली के लिए समापक को सूचित करना

यह आपके पत्र <<सूचना संख्या और तारीख>> के संदर्भ में, <<कम्पनी का नाम>> <<जीएसटीआईएन >> रखने वाले के लिए समापक के रूप में आपकी नियुक्ति की सूचना दी जा रही है । इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि उक्त कम्पनी राज्य सरकार/ केन्द्रीय सरकार को निम्नलिखित राशि का देनदार/संभावित देनदार है:

चालू / प्रत्याशित मांग

(रुपयों में राशि)

अधिनियम	कर	ब्याज	शास्ति	अन्य देना	कुल बकाया
1	2	3	4	5	6
केन्द्रीय कर					
राज्य / संघ राज्यक्षेत्र					
कर					
एकीकृत कर					
उपकर					

अधिनियम की धारा 88 के उपबंधों के अनुपालन में आपको यह निदेशित किया जाता है कि कम्पनी के अंतिम परिसमापन से पहले चालू और प्रत्याशित दायित्वों के उन्मोचन के लिए प्रयात्प उपबंध बनाए ।

स्थान:	
तारीख:	नाम
	पदनाम

[नियम 161 देखें]

• -c •					•
संदर्भ सं॰ << >>					<< तारीख >>
सेवा में,					
जीएसटीआईएन	-				
नाम					
पता					
मांग आदेश सं॰:					तारीख:
वसूली का संदर्भ संख्या :					तारीख:
अवधिः					
अपील या पुनरीक्षण या क	ई अन्य	कार्यवाही	में संदर्भ संख	<u>ज्या</u> ता	रीख:
	7	ासूली कार्यव	ग्राहियों का च	गलू रहना	
रुपए वे	न लिए उ	परोक्त नि	र्दिष्ट वसूली	संदर्भ संख्या द्व	ारा आपके विरुद्ध वसूली र्क
कार्यवाहियों को शुरू करने	के संदर्भ	में है।			
अपील /पुनरीक्षण प्राधिकारी	/ न्याया	लय		<< प्राधिकरण व	n नाम / न्यायालय>>आदेश
सं॰तारीख		द्वारा उप	रोक्त उल्लि	खित मांग आदे	श सं॰ तारीख
द्वारा समावेश देय को व	बढ़ा देगा	/ कम क	र देगा और	अब देय	रुपए रह गई है । अपील
या पुनरीक्षण के निपटान	से तत	काल पहले	खड़ी उन	वसूली कार्यवाहि	ज्यों पर प्रक्रम से बढ़ी हुई
-					अपील/पुनरीक्षण प्रभाव देने
के पश्चात् मांग की पुनरी				3	· ·
वित्तीय वर्ष					
					(रकम रुपए में)
अधिनियम	कर	ब्याज	शास्ति	अन्य देय	कुल बकाया
1	2	3	4	5	6
केन्द्रीय कर					

जायानयम	प्रस	्था ज	रागस्त	जन्य दथ	पुल बकाया
1	2	3	4	5	6
केन्द्रीय कर					
राज्य / संघ राज्यक्षेत्र कर					
एकीकृत कर					
उपकर					

स्थानः	हस्ताक्षर
तारीख:	नाम
	पदनाम

प्ररूप जीएसटी सीपीडी – 01 [नियम 162(1) देखे] अपराध के प्रशमन के लिए आवेदन

1	0 0 (0 (0	
1.	जीएसटीआईएन / अस्थायी आईडी	
2.	आवेदक का नाम	
3.	पता	
4.	अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन जिसके लिए अभियोग	
	संस्थित या अन्ध्यात किया जाता है ।	
5.	न्यायनिर्णय आदेश/नोटिस का ब्यौरा	
	संदर्भ संख्या	
	तारीख	
	कर	
	ब्याज	
	शास्ति	
	जुर्माना, यदि कोई हो	
6.	मामले का संक्षिप्त तथ्य और भारित अपराध (अपराधों) की	
	विशिष्टियां	
7.	क्या यह अधिनियम के अधीन पहला अपराध है	
8.	यदि सं॰७ का उत्तर नकारात्मक है तो पिछले मामलो का ब्यौरा	
9.	क्या उसी या कोई अन्य अपराध के लिए कोई कार्यवाहियां किसी	
	अन्य विधि के अधीन अन्ध्यात हैं ।	
10.	यदि सं॰ ९ का उत्तर सकारात्मक है तो उसका ब्यौरा	
10.	·	

घोषणा

- (1) मैं, आयुक्त द्वारा यथानियत प्रशमन रकम संदाय करुगा ।
- (2) मैं, समझता हूं कि मैं अधिकार पूर्वक दावा नहीं करूगा कि अधिनियम के अधीन मेरे द्वारा कारित उस अपराध का शमन किया जाएगा ।

आवेदक के हस्ताक्षर नाम

प्ररूप जीएसटी सीपीडी-02

[नियम 162(3) देखें]

		[4]
सदंभ सं०:		तारीख:
सेवा में,		
जीएसटीआई	एन/आईडी	
नाम		
पता		
एआरएन		तारीख –
	शमनीय अप	ाराध के अस्वीकार / मोक के लिए आदेश
यह उपरोक्त	न निर्दिष्ट आपके आवेदन	न के संदर्भ में है । आपके आवेदन का विभाग में परीक्षण कर
लिया गया है	है और निष्कर्ष नीचे अभि	लेख किया गया है :
		<<पाठ >>
<u> </u>	यन्त्राट टं कि भाग प्रनंध	ा (3) में दार्यित प्रशमन रकम संदाय पर नीचे दी गई तालिका के
	• ",	बंध में शमनीय अपराध को अनुज्ञात करने की अपेक्षाओं को पूरा
	न पगयत जपराया पर स	वयं में रामनाय अपराय या अनुसात पारन या अपदााआ या पूर
करते हैं:-		
क्रम सं॰	अपराध	प्रशमन रकम (रुपए)
(1)	(2)	(3)
		द्वारा किया गया अपराध स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट एक से अधिक
		ा स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट ऐसी रकम होगी जो ऐसे प्रवर्ग के
सामने विनि	दिष्ट अधिकतम रकम है,	, जिनमें शमन किए जाने के लिए इच्छित अपराधों को वर्गीकृत
किया जा स	कता है ।	
एतट	द्र द्वारा आपको निर्देशित	किया जाता है कि तारीख तक पूर्वोक्त शमनीय रकम
संदाय कर व	दे और शमनीय रकम के	संदाय पर, आपको पूर्वोक्त तालिका के स्तंभ (2) में सूचीबद्ध
	लिए अभियोजन से उन्मु	
	J	या
एत	नद द्वारा आपका आवेदन :	अस्वीकार किया जाता है ।
		हस्ताक्षर
		नाम
		пган

[(सं०सं०-ब्रिक़ी-कर/जी0एस0टी0/विविध-10/2017-3238)] बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुजाता चतुर्वेदी, वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

1 सितम्बर 2017

एस०ओ० 144, एस०ओ० 143, दिनांक 1 सितम्बर 2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार—राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाषित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं०सं०-ब्रिक्री-कर/जी०एस०टी०/विविध-10/2017-3238)] बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुजाता चतुर्वेदी, वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

1st September 2017

S.O 143, Dated 1st September 2017—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12 of 2017), the Governor of Bihar is pleased to make the following rules to amend the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017,:-

- 1. (1) These rules may be called the Bihar Goods and Services Tax (First Amendment) Rules, 2017.
 - (2) They shall come into force with effect from the 1st day of July, 2017.
 - 2. Amendment in Rule 44 of Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017.-
 - (a) The words "integrated tax and central tax", in sub-rule (2) of Rule 44 of Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017 shall be substituted by the words "central tax, State tax, Union territory tax and integrated tax";
 - (b) The words "IGST and CGST" in sub-rule (6) of Rule 44 of Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017 shall be substituted by the words "central tax, State tax, Union territory tax and integrated tax";
 - 3. Amendment in Rule 96 of Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017-
 - (a) The words, figures and letters "or FORM GSTR-3B, as the case may be" shall be inserted after the words and figures "FORM GSTR 3" in clause (b) of sub-rule(1) of Rule 96 of Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017.-
 - (b) The words, figures and letters "or FORM GSTR-3B, as the case may be" shall be inserted after the words and figures "FORM GSTR 3" in sub-rule (3) of Rule 96 of Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017;
 - 4. After rule 96, the following rule shall be inserted, namely:-
 - "96A.Refund of integrated tax paid on export of goods or services under bond or Letter of Undertaking.- (1)Any registered person availing the option to supply goods or services for export without payment of integrated tax shall furnish, prior to export, a bond or a Letter of Undertaking in FORM GST RFD-11 to the jurisdictional Commissioner, binding himself to pay the tax due along with the interest specified under sub-section (1) of section 50 within a period of—
 - (a) fifteen days after the expiry of three months from the date of issue of the invoice for export, if the goods are not exported out of India; or
 - (b) fifteen days after the expiry of one year, or such further period as may be allowed by the Commissioner, from the date of issue of the invoice for export, if the payment of such services is not received by the exporter in convertible foreign exchange.
 - (2) The details of the export invoices contained in FORM GSTR-1 furnished on the common portal shall be electronically transmitted to the system designated by Customs and a confirmation that the goods covered by the said invoices have been exported out of India shall be electronically transmitted to the common portal from the said system.

- (3) Where the goods are not exported within the time specified in sub-rule (1) and the registered person fails to pay the amount mentioned in the said sub-rule, the export as allowed under bond or Letter of Undertaking shall be withdrawn forthwith and the said amount shall be recovered from the registered person in accordance with the provisions of section 79.
- (4) The export as allowed under bond or Letter of Undertaking withdrawn in terms of sub-rule (3) shall be restored immediately when the registered person pays the amount due.
- (5) The Board, by way of notification, may specify the conditions and safeguards under which a Letter of Undertaking may be furnished in place of a bond.
- (6) The provisions of sub rule (1) shall apply, *mutatis mutandis*, in respect of zerorated supply of goods or services or both to a Special Economic Zone developer or a Special Economic Zone unit without payment of integrated tax.";
- **5.** Amendment in Rule 119 of Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017- In the heading after the words "stocks held by a", the words "principal and job worker or" shall be inserted.
- 6. Substitution of Rule 122 of Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017- Rule 122 of Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017 shall be substituted, namely:-
 - "122. Constitution of the Authority The constitution of the Authority shall be in accordance with the provisions of Rule 122 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017."
- 7. Substitution of Rule 123 of Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017- Rule 123 of Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017 shall be substituted, namely:-
 - "123. Constitution of the Standing Committee and Screening Committee The constitution of the Standing Committee and Screening Committee shall be in accordance with the provisions of Rule 123 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017."
- 8. Substitution of Rule 124 of Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017- Rule 124 of Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017 shall be substituted, namely:-
 - "124. Appointment, salary, allowances and other terms and conditions of service of the Chairman and Members of the Authority The appointment, salary, allowances and other terms and conditions of service of the Chairman and Members of the Authority shall be in accordance with the provisions of Rule 124 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017."
- 9. Substitution of Rule 125 of Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017- Rule 125 of Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017 shall be substituted, namely:-
 - "125. Secretary to the Authority The Secretary to the Authority shall be in accordance with the provisions of Rule 125 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017."
- 10. Substitution of Rule 126 of Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017- Rule 126 of Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017 shall be substituted, namely:-
 - "126. Power to determine the methodology and procedure The Power to determine the methodology and procedure of the Authority shall be in accordance with the provisions of Rule 126 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017."
- 11. Substitution of Rule 137 of Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017- Rule 137 of Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017 shall be substituted, namely:-
 - "137. Tenure of Authority The tenure of Authority shall be accordance with the provisions of Rule 137 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017."
- **12.** Amendment in Rule 138 of Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017- The words and figures '138. E-Way Rule' shall be inserted before words 'Till such time' in 'Chapter XVI, E-Way Rules' of Hindi version of Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017.
- 13. After rule 138, the following chapters, Rules, Forms, statements, schedules and annexures shall be inserted, namely:-

"Chapter – XVII Inspection, Search and Seizure

- 139. *Inspection, search and seizure.*—(1) Where the proper officer not below the rank of a Joint Commissioner has reasons to believe that a place of business or any other place is to be visited for the purposes of inspection or search or, as the case may be, seizure in accordance with the provisions of section 67, he shall issue an authorisation in **FORM GST INS-01** authorising any other officer subordinate to him to conduct the inspection or search or, as the case may be, seizure of goods, documents, books or things liable to confiscation.
- (2) Where any goods, documents, books or things are liable for seizure under sub-section (2) of section 67, the proper officer or anauthorised officer shall make an order of seizure in **FORM GST INS-02**.
- (3) The proper officer or anauthorised officer may entrust upon the the owner or the custodian of goods, from whose custody such goods or things are seized, the custody of such goods or things for safe upkeep and the said person shall not remove, part with, or otherwise deal with the goods or things except with the previous permission of such officer.
- (4) Where it is not practicable to seize any such goods, the proper officer or the authorised officer may serve on the owner or the custodian of the goods, an order of prohibition in **FORM GST INS-03** that he shall not remove, part with, or otherwise deal with the goods except with the previous permission of such officer.
- (5) The officer seizing the goods, documents, books or things shall prepare an inventory of such goods or documents or books or things containing, *interalia*, description, quantity or unit, make, mark or model, where applicable, and get it signed by the person from whom such goods or documents or books or things are seized.
- **140.** Bond and security for release of seized goods.— (1) The seized goods may be released on a provisional basis upon execution of a bond for the value of the goods in **FORM GST INS-04** and furnishing of a security in the form of a bank guarantee equivalent to the amount of applicable tax, interest and penalty payable.
- Explanation.- For the purposes of the rules under the provisions of this Chapter, the "applicable tax" shall include central tax and State tax or central tax and the Union territory tax, as the case may be and the cess, if any, payable under the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017 (15 of 2017).
- (2) In case the person to whom the goods were released provisionally fails to produce the goods at the appointed date and place indicated by the proper officer, the security shall be encashed and adjusted against the tax, interest and penalty and fine, if any, payable in respect of such goods.
- **141.** *Procedure in respect of seized goods.* (1) Where the goods or things seized are of perishable or hazardous nature, and if the taxable person pays an amount equivalent to the market price of such goods or things or the amount of tax, interest and penalty that is or may become payable by the taxable person, whichever is lower, such goods or, as the case may be, things shall be released forthwith, by an order in FORM GST INS-05, on proof of payment.
- (2) Where the taxable person fails to pay the amount referred to in sub-rule (1) in respect of the said goods or things, the Commissioner may dispose of such goods or things and the amount realized thereby shall be adjusted against the tax, interest, penalty, or any other amount payable in respect of such goods or things.

CHAPTER - XVIII DEMANDS AND RECOVERY

- **142.** *Notice and order for demand of amounts payable under the Act.* (1) The proper officer shall serve, along with the
 - (a) notice under sub-section (1) of section 73 or sub-section (1) of section 74 or sub-section (2) of section 76, a summary thereof electronically in **FORM GST DRC-01**.
 - (b) statement under sub-section (3) of section 73 or sub-section (3) of section 74, a summary thereof electronically in **FORM GST DRC-02**, specifying therein the details of the amount payable.
- (2) Where, before the service of notice or statement, the person chargeable with tax makes payment of the tax and interest in accordance with the provisions of sub-section (5) of section 73 or, as the case may be, tax, interest and penalty in accordance with the provisions of sub-section (5) of section 74, he shall inform the proper officer of such payment in **FORM GST DRC-03** and the proper officer shall issue an acknowledgement, accepting the payment made by the said person in **FORM GST DRC-04**.
- (3) Where the person chargeable with tax makes payment of tax and interest under subsection (8) of section 73 or, as the case may be, tax, interest and penalty under sub-section (8) of section 74 within thirty days of the service of a notice under sub-rule (1), he shall intimate the proper officer of such payment in **FORM GST DRC-03** and the proper officer shall issue an order in **FORM GST DRC-05** concluding the proceedings in respect of the said notice.
- (4) The representation referred to in sub-section (9) of section 73 or sub-section (9) of section 74 or sub-section (3) of section 76 shall be in **FORM GST DRC-06**.
- (5) A summary of the order issued under sub-section (9) of section 73 or sub-section (9) of section 74 or sub-section (3) of section 76 shall be uploaded electronically in **FORM GST DRC-07**, specifying therein the amount of tax, interest and penalty payable by the person chargeable with tax.
 - (6) The order referred to in sub-rule (5) shall be treated as the notice for recovery.
- (7) Any rectification of the order, in accordance with the provisions of section 161, shall be made by the proper officer in **FORM GST DRC-08**.
- **143.** Recovery by deduction from any money owed.—Where any amount payable by a person (hereafter referred to in this rule as "the defaulter") to the Government under any of the provisions of the Act or the rules made thereunder is not paid, the proper officer may require, in **FORM GST DRC-09**, a specified officer to deduct the amount from any money owing to such defaulter in accordance with the provisions of clause (a) of sub-section (1) of section 79.

Explanation.—For the purposes of this rule, "specified officer" shall mean any officer of the Central Government or a State Government or the Government of a Union territory or a local authority, or of a Board or Corporation or a company owned or controlled, wholly or partly, by the Central Government or a State Government or the Government of a Union territory or a local authority.

- **144.** Recovery by sale of goods under the control of proper officer.— (1)Where any amount due from a defaulter is to be recovered by selling goods belonging to such person in accordance with the provisions of clause (b) of sub-section (1) of section 79, the proper officer shall prepare an inventory and estimate the market value of such goods and proceed to sell only so much of the goods as may be required for recovering the amount payable along with the administrative expenditure incurred on the recovery process.
- (2) The said goods shall be sold through a process of auction, including e-auction, for which a notice shall be issued in **FORM GST DRC-10** clearly indicating the goods to be sold and the purpose of sale.

(3) The last day for submission of bid or the date of auction shall not be earlier than fifteen days from the date of issue of the notice referred to in sub-rule (2):

Provided that where the goods are of perishable or hazardous nature or where the expenses of keeping them in custody are likely to exceed their value, the proper officer may sell them forthwith.

- (4) The proper officer may specify the amount of pre-bid deposit to be furnished in the manner specified by such officer, to make the bidders eligible to participate in the auction, which may be returned to the unsuccessful bidders, forfeited in case the successful bidder fails to make the payment of the full amount, as the case may be.
- (5)The proper officer shall issue a notice to the successful bidder in **FORM GST DRC-11** requiring him to make the payment within a period of fifteen days from the date of auction. On payment of the full bid amount, the proper officer shall transfer the possession of the said goods to the successful bidder and issue a certificate in **FORM GST DRC-12**.
- (6)Where the defaulter pays the amount under recovery, including any expenses incurred on the process of recovery, before the issue of the notice under sub-rule (2), the proper officer shall cancel the process of auction and release the goods.
- (7) The proper officer shall cancel the process and proceed for re-auction where no bid is received or the auction is considered to be non-competitive due to lack of adequate participation or due to low bids.
- **145.** Recovery from a third person.— (1) The proper officer may serve upon a person referred to in clause (c) of sub-section (1) of section 79 (hereafter referred to in this rule as "the third person"), a notice in **FORM GST DRC-13** directing him to deposit the amount specified in the notice.
- (2)Where the third person makes the payment of the amount specified in the notice issued under sub-rule (1), the proper officer shall issue a certificate in **FORM GST DRC-14** to the third person clearly indicating the details of the liability so discharged.
- **146.** Recovery through execution of a decree, etc.—Where any amount is payable to the defaulter in the execution of a decree of a civil court for the payment of money or for sale in the enforcement of a mortgage or charge, the proper officer shall send a request in **FORM GST DRC-15** to the said court and the court shall, subject to the provisions of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), execute the attached decree, and credit the net proceeds for settlement of the amount recoverable.
- **147.** Recovery by sale of movable or immovable property.— (1) The proper officer shall prepare a list of movable and immovable property belonging to the defaulter, estimate their value as per the prevalent market price and issue an order of attachment or distraint and a notice for sale in **FORM GST DRC- 16** prohibiting any transaction with regard to such movable and immovable property as may be required for the recovery of the amount due:

Provided that the attachment of any property in a debt not secured by a negotiable instrument, a share in a corporation, or other movable property not in the possession of the defaulter except for property deposited in, or in the custody of any Court, shall be attached in the manner provided in rule 151.

- (2) The proper officer shall send a copy of the order of attachment or distraint to the concerned Revenue Authority or Transport Authority or any such Authority to place encumbrance on the said movable or immovable property, which shall be removed only on the written instructions from the proper officer to that effect.
 - (3) Where the property subject to the attachment or distraint under sub-rule (1) is-
 - (a) an immovable property, the order of attachment or distraint shall be affixed on the said property and shall remain affixed till the confirmation of sale;
 - (b) a movable property, the proper officer shall seize the said property in accordance with the provisions of chapter XIV of the Act and the custody of the said property shall either be taken by the proper officer himself or an officer authorised by him.

- (4) The property attached or distrained shall be sold through auction, including e-auction, for which a notice shall be issued in **FORM GST DRC- 17** clearly indicating the property to be sold and the purpose of sale.
- (5) Notwithstanding anything contained in the provision of this Chapter, where the property to be sold is a negotiable instrument or a share in a corporation, the proper officer may, instead of selling it by public auction, sell such instrument or a share through a broker and the said broker shall deposit to the Government so much of the proceeds of such sale, reduced by his commission, as may be required for the discharge of the amount under recovery and pay the amount remaining, if any, to the owner of such instrument or a share.
- (6) The proper officer may specify the amount of pre-bid deposit to be furnished in the manner specified by such officer, to make the bidders eligible to participate in the auction, which may be returned to the unsuccessful bidders or, forfeited in case the successful bidder fails to make the payment of the full amount, as the case may be.
- (7) The last day for the submission of the bid or the date of the auction shall not be earlier than fifteen days from the date of issue of the notice referred to in sub-rule (4):

Provided that where the goods are of perishable or hazardous nature or where the expenses of keeping them in custody are likely to exceed their value, the proper officer may sell them forthwith.

- (8) Where any claim is preferred or any objection is raised with regard to the attachment or distraint of any property on the ground that such property is not liable to such attachment or distraint, the proper officer shall investigate the claim or objection and may postpone the sale for such time as he may deem fit.
- (9) The person making the claim or objection must adduce evidence to show that on the date of the order issued under sub-rule (1) he had some interest in, or was in possession of, the property in question under attachment or distraint.
- (10) Where, upon investigation, the proper officer is satisfied that, for the reason stated in the claim or objection, such property was not, on the said date, in the possession of the defaulter or of any other person on his behalf or that, being in the possession of the defaulter on the said date, it was in his possession, not on his own account or as his own property, but on account of or in trust for any other person, or partly on his own account and partly on account of some other person, the proper officer shall make an order releasing the property, wholly or to such extent as he thinks fit, from attachment or distraint.
- (11) Where the proper officer is satisfied that the property was, on the said date, in the possession of the defaulter as his own property and not on account of any other person, or was in the possession of some other person in trust for him, or in the occupancy of a tenant or other person paying rent to him, the proper officer shall reject the claim and proceed with the process of sale through auction.
- (12) The proper officer shall issue a notice to the successful bidder in **FORM GST DRC-11** requiring him to make the payment within a period of fifteen days from the date of such notice and after the said payment is made, he shall issue a certificate in **FORM GST DRC-12** specifying the details of the property, date of transfer, the details of the bidder and the amount paid and upon issuance of such certificate, the rights, title and interest in the property shall be deemed to be transferred to such bidder:

Provided that where the highest bid is made by more than one person and one of them is a co-owner of the property, he shall be deemed to be the successful bidder.

- (13) Any amount, including stamp duty, tax or fee payable in respect of the transfer of the property specified in sub-rule (12), shall be paid to the Government by the person to whom the title in such property is transferred.
- (14) Where the defaulter pays the amount under recovery, including any expenses incurred on the process of recovery, before the issue of the notice under sub-rule (4), the proper officer shall cancel the process of auction and release the goods.

- (15) The proper officer shall cancel the process and proceed for re-auction where no bid is received or the auction is considered to be non-competitive due to lack of adequate participation or due to low bids.
- **148.** Prohibition against bidding or purchase by officer.— No officer or other person having any duty to perform in connection with any sale under the provisions of this Chapter shall, either directly or indirectly, bid for, acquire or attempt to acquire any interest in the property sold.
- **149. Prohibition against sale on holidays.**—No sale under the rules under the provision of this chapter shall take place on a Sunday or other general holidays recognized by the Government or on any day which has been notified by the Government to be a holiday for the area in which the sale is to take place.
- **150.** Assistance by police.—The proper officer may seek such assistance from the officer-in-charge of the jurisdictional police station as may be necessary in the discharge of his duties and the said officer-in-charge shall depute sufficient number of police officers for providing such assistance.
- **151.** Attachment of debts and shares, etc.— (1) A debt not secured by a negotiable instrument, a share in a corporation, or other movable property not in the possession of the defaulter except for property deposited in, or in the custody of any court shall be attached by a written order in FORM GST DRC-16 prohibiting.-
 - (a) in the case of a debt, the creditor from recovering the debt and the debtor from making payment thereof until the receipt of a further order from the proper officer:
 - (b) in the case of a share, the person in whose name the share may be standing from transferring the same or receiving any dividend thereon;
 - (c) in the case of any other movable property, the person in possession of the same from giving it to the defaulter.
- (2) A copy of such order shall be affixed on some conspicuous part of the office of the proper officer, and another copy shall be sent, in the case of debt, to the debtor, and in the case of shares, to the registered address of the corporation and in the case of other movable property, to the person in possession of the same.
- (3) A debtor, prohibited under clause (a) of sub-rule (1), may pay the amount of his debt to the proper officer, and such payment shall be deemed as paid to the defaulter.
- **152.** Attachment of property in custody of courts or Public Officer.—Where the property to be attached is in the custody of any court or Public Officer, the proper officer shall send the order of attachment to such court or officer, requesting that such property, and any interest or dividend becoming payable thereon, may be held till the recovery of the amount payable.
- **153.** Attachment of interest in partnership.— (1) Where the property to be attached consists of an interest of the defaulter, being a partner, in the partnership property, the proper officer may make an order charging the share of such partner in the partnership property and profits with payment of the amount due under the certificate, and may, by the same or subsequent order, appoint a receiver of the share of such partner in the profits, whether already declared or accruing, and of any other money which may become due to him in respect of the partnership, and direct accounts and enquiries and make an order for the sale of such interest or such other order as the circumstances of the case may require.
- (2) The other partners shall be at liberty at any time to redeem the interest charged or, in the case of a sale being directed, to purchase the same.
- **154.** Disposal of proceeds of sale of goods and movable or immovable property.—The amounts so realised from the sale of goods, movable or immovable property, for the recovery of dues from a defaulter shall-
 - (a) first, be appropriated against the administrative cost of the recovery process;
 - (b) next, be appropriated against the amount to be recovered;
 - (c) next, be appropriated against any other amount due from the defaulter under the Act or the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017or the Union Territory

- Goods and Services Tax Act, 2017or any of the State Goods and Services Tax Act, 2017and the rules made thereunder; and
- (d) any balance, be paid to the defaulter.
- **155.** Recovery through land revenue authority.—Where an amount is to be recovered in accordance with the provisions of clause (e) of sub-section (1) of section 79, the proper officer shall send a certificate to the Collector or Deputy Commissioner of the district or any other officer authorised in this behalf in FORM GST DRC- 18 to recover from the person concerned, the amount specified in the certificate as if it were an arrear of land revenue
- **156.** *Recovery through court.*—Where an amount is to be recovered as if it were a fine imposed under the Code of Criminal Procedure, 1973, the proper officer shall make an application before the appropriate Magistrate in accordance with the provisions of clause (f) of sub-section (1) of section 79 in FORM GST DRC- 19 to recover from the person concerned, the amount specified thereunder as if it were a fine imposed by him.
- **157.** *Recovery from surety.*—Where any person has become surety for the amount due by the defaulter, he may be proceeded against under this Chapter as if he were the defaulter.
- **158.** Payment of tax and other amounts in installments.— (1) On an application filed electronically by a taxable person, in **FORM GST DRC- 20**, seeking extension of time for the payment of taxes or any amount due under the Act or for allowing payment of such taxes or amount in instalments in accordance with the provisions of section 80, the Commissioner shall call for a report from the jurisdictional officer about the financial ability of the taxable person to pay the said amount.
- (2) Upon consideration of the request of the taxable person and the report of the jurisdictional officer, the Commissioner may issue an order in **FORM GST DRC- 21** allowing the taxable person further time to make payment and/or to pay the amount in such monthly instalments, not exceeding twenty-four, as he may deem fit.
 - (3) The facility referred to in sub-rule (2) shall not be allowed where-
 - (a) the taxable person has already defaulted on the payment of any amount under the Act or the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017or the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 or any of the State Goods and Services Tax Act, 2017, for which the recovery process is on;
 - (b) the taxable person has not been allowed to make payment in instalments in the preceding financial year under the Act or the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 or the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 or any of the State Goods and Services Tax Act, 2017;
 - (c) the amount for which instalment facility is sought is less than twenty–five thousand rupees.
- **159.** *Provisional attachment of property.* (1) Where the Commissioner decides to attach any property, including bank account in accordance with the provisions of section 83, he shall pass an order in **FORM GST DRC-22** to that effect mentioning therein, the details of property which is attached.
- (2) The Commissioner shall send a copy of the order of attachment to the concerned Revenue Authority or Transport Authority or any such Authority to place encumbrance on the said movable or immovable property, which shall be removed only on the written instructions from the Commissioner to that effect.
- (3) Where the property attached is of perishable or hazardous nature, and if the taxable person pays an amount equivalent to the market price of such property or the amount that is or may become payable by the taxable person, whichever is lower, then such property shall be released forthwith, by an order in **FORM GST DRC-23**, on proof of payment.
- (4) Where the taxable person fails to pay the amount referred to in sub-rule (3) in respect of the said property of perishable or hazardous nature, the Commissioner may dispose of such property and the amount realized thereby shall be adjusted against the tax, interest, penalty, fee or any other amount payable by the taxable person.

- (5) Any person whose property is attached may, within seven days of the attachment under sub-rule (1), file an objection to the effect that the property attached was or is not liable to attachment, and the Commissioner may, after affording an opportunity of being heard to the person filing the objection, release the said property by an order in **FORM GST DRC-23**.
- (6) The Commissioner may, upon being satisfied that the property was, or is no longer liable for attachment, release such property by issuing an order in **FORM GST DRC-23**.
- **160.** *Recovery from company in liquidation.*—Where the company is under liquidation as specified in section 88, the Commissioner shall notify the liquidator for the recovery of any amount representing tax, interest, penalty or any other amount due under the Act in **FORM GST DRC -24**.
- **161.** *Continuation of certain recovery proceedings.*—The order for the reduction or enhancement of any demand under section 84 shall be issued in **FORM GST DRC-25**.

Chapter - XIX OFFENCES AND PENALTIES

- **162.** Procedure for compounding of offences.— (1)An applicant may, either before or after the institution of prosecution, make an application under sub-section (1) of section 138 in **FORM GST CPD-01** to the Commissioner for compounding of an offence.
 - (2) On receipt of the application, the Commissioner shall call for a report from the concerned officer with reference to the particulars furnished in the application, or any other information, which may be considered relevant for the examination of such application.
 - (3) The Commissioner, after taking into account the contents of the said application, may, by order in **FORM GST CPD-02**, on being satisfied that the applicant has cooperated in the proceedings before him and has made full and true disclosure of facts relating to the case, allow the application indicating the compounding amount and grant him immunity from prosecution or reject such application within ninety days of the receipt of the application.
 - (4) The application shall not be decided under sub-rule (3) without affording an opportunity of being heard to the applicant and recording the grounds of such rejection.
 - (5) The application shall not be allowed unless the tax, interest and penalty liable to be paid have been paid in the case for which the application has been made.
 - (6) The applicant shall, within a period of thirty days from the date of the receipt of the order under sub-rule (3), pay the compounding amount as ordered by the Commissioner and shall furnish the proof of such payment to him.
 - (7) In case the applicant fails to pay the compounding amount within the time specified in sub-rule (6), the order made under sub-rule (3) shall be vitiated and be void.
 - (8) Immunity granted to a person under sub-rule (3) may, at any time, be withdrawn by the Commissioner, if he is satisfied that such person had, in the course of the compounding proceedings, concealed any material particulars or had given false evidence. Thereupon such person may be tried for the offence with respect to which immunity was granted or for any other offence that appears to have been committed by him in connection with the compounding proceedings and the provisions the Act shall apply as if no such immunity had been granted.";
- (xiii) Substitution of Forms appended to Bihar Goods and Service Tax Act Rule, 2017.—
 "FORM GST-RFD-01, FORM GST-RFD-02, FORM GST-RFD-04, FORM GST-RFD-05 FORM GST-RFD-06, FORM GST-RFD-07 and FORM GST-RFD-10", appended to Bihar Goods and Service Tax Act Rule, 2017 shall be substituted by "FORM GST-RFD-01, FORM GST-RFD-02, FORM GST-RFD-04, FORM GST-RFD-05, FORM GST-RFD-06, FORM GST-RFD-07, FORM GST-RFD-10 and FORM GST-RFD-11", namely:-

[See rule 89(1)]

Application for Refund

Select: Registered / Casual / Unregistered / Non-resident taxable person

- 1. GSTIN/Temporary ID:
- 2. Legal Name:
- 3. Trade Name, if any:
- 4. Address:
- 5. Tax Period: From <DD/MM/YY> To <DD/MM/YY>
- 6. Amount of Refund Claimed:

Act	Tax	Interest	Penalty	Fees	Others	Total
Central Tax						
State /UT Tax						
Integrated Tax						
Cess						
Total						

7. Grounds of Refund Claim: (select from the drop down):

- (a) Excess balance in Electronic Cash ledger
- (b) Exports of services- With payment of Tax
- (c) Exports of goods / services- Without payment of Tax, i.e., ITC accumulated
- (d) On account of assessment/provisional assessment/ appeal/ any other order
 - (i) Select the type of Order:

Assessment/ Provisional Assessment/ Appeal/ Others

- (ii) Mention the following details:
 - 1. Order No.
 - 2. Order Date <calendar>
 - 3. Order Issuing Authority
 - 4. Payment Reference No. (of the amount to be claimed as refund)

(If Order is issued within the system, then 2, 3, 4 will be auto populated)

- (e) ITC accumulated due to inverted tax structure (clause (ii) of proviso to section 54(3)
- (f) On account of supplies made to SEZ unit/ SEZ Developer or Recipient of Deemed Exports

(Select the type of supplier/ recipient)

- 1. Supplies to SEZ Unit
- 2. Supplies to SEZ Developer
- 3. Recipient of Deemed Exports
- (g) Refund of accumulated ITC on account of supplies made to SEZ unit/ SEZ Developer
- (h) Tax paid on a supply which is not provided, either wholly or partially, and for which invoice has not been issued
- (i) Tax paid on an intra-State supply which is subsequently held to be inter-State supply and vice versa
- (j) Excess payment of tax, if any
- (k) Any other (specify)

8. Details of Bank Account (to be au	uto populated from RC in case of registered taxpayer)
(a) Bank Account Number	:
(b) Name of the Bank	:
(c) Bank Account Type	:
(d) Name of account holder	:
(e) Address of Bank Branch	:
(f) IFSC	:
(g) MICR	:
9. Whether Self-Declaration filed by	Applicant u/s 54(4), if applicable Yes ☐ No ☐
	ECLARATION
	ods exported are not subject to any export duty. I also drawback on goods or services or both and that I have
	thed tax paid on supplies in respect of which refund is
claimed.	ed tax paid on supplies in respect of which retailed is
Signature	
Name –	
Designation / Status	CLARATION
	und of ITC claimed in the application does not include
	sed for making nil rated or fully exempt supplies.
Signature	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Name –	
Designation / Status	
DE	CLARATION
	ecial Economic Zone unit /the Special Economic Zone
	put tax credit of the tax paid by the applicant, covered
under this refund claim.	
Signature	
Name – Designation / Status	
•	DECLARATION
I/We	(Applicant) having GSTIN/ temporary Id
	in respect of the refund amounting to Rs/ with
	other amount for the period fromto, claimed in
* *	ace of such tax and interest has not been passed on to
any other person. (This Declaration is not re	quired to be furnished by applicants, who are claiming
· ·	o) or clause (c) or clause (d) or clause (f) of sub-section
(8) of section 54)	of clause (e) of clause (a) of clause (i) of sub-section
10. Verification	
	reby solemnly affirm and declare that the information
-	prrect to the best of my/our knowledge and belief and
nothing has been concealed theref	
We declare that no refund on Place	this account has been received by us earlier. Signature of Authorised Signatory
Date	(Name)
	Designation/ Status

STATEMENT -1 (ANNEXURE 1)

Refund Type: ITC accumulated due to inverted tax structure [clause (ii) of proviso to section 54(3)]

Part A: Outward Supplies (GSTR- 1: Table 4 and 5)

GSTIN/	Invo	oice	details	te	Taxable		Amo	ount		Place of
UIN	No.	Date	Value	Rai	value	Integrated Tax	Central Tax	State / UT Tax	Cess	Supply (Name of State)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Part B: Inward Supplies

[GSTR 2: Table 3 (Matched Invoices)]

er		ivoic etails		Rate	value	A	Amoun	t of Ta	X	Place of	Whether input or		ount availa		С
GSTIN of supplier	0N	Date	Value		Taxable v	Integrated tax	Central Tax	State/ UT Tax	CESS	supply (Name of State)	input service/ Capital goods (incl plant and machinery)/ Ineligible for ITC	Integrated Tax	Central Tax	State/UT Tax	Cess
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Note -The data shall be auto-populated from GSTR-1 and GSTR-2.

Statement-2

Refund Type: Exports of services with payment of tax

(GSTR- 1: Table 6A and Table 9)

1.

ent	Ir	ivoice	deta	ails	Int	egrat Tax			RC/ RC	Amended Value	Debit Note Integrated	Credit Note	Net Integrated Tax
GSTIN of recipient	No.	Date	Value	SAC	Rate	Taxable value	Amt.	No.	Date	(Integrated Tax) (If Any)	Tax / Amended (If any)	Integrated Tax / Amended (If any)	= (11/8)+12-13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6A. Ex	por	ts											_

BRC/ FIRC details are mandatory—in case of services

STATEMENT- 3

REFUND TYPE: EXPORT WITHOUT PAYMENT OF TAX-ACCUMULATED ITC

(GSTR- 1: Table 6A)

			Inv	oice d	letail	ls				g bill/ xport	Integ	grated	l Tax		GM ails	BRC/ FIRC	
GSTIN of recipient	No.	Date	Value	Goods/ Services (G/S)	HSN/ SAC	noc	QTY	No.	Date	Port Code	Rate	Taxable value	Amt.	Ref No.	Date	No.	Date
1	2	2 3 4 5 6 7 8						9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6A. F	6A. Exports																

Note - 1. Shipping Bill and EGM are mandatory; - in case of goods.

STATEMENT 4 SUPPLIES TO SEZ/ SEZ DEVELOPER

REFUND TYPE: ON ACCOUNT OF SUPPLIES MADE TO SEZ UNIT/ SEZ DEVELOPER

(GSTR- 1: Table 6B and Table 9)

GSTIN of recipient		nvoice letails		b Bi	oping ill/ ll of port	Into	egrated T	Гах	Amended Value (Integrated Tax) (If Any)	Debit Note Integrated Tax / Amended (If any)	Credit Note Integrated Tax / Amended (If any)	Net Integrat ed Tax = (10/9) + 11 - 12
GSTIN	No.	Date	Value	No	Date	Rate	Taxable Value	Amt.	Amt.	Amt.	Amt.	Amt.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6B:	Suppl	ies ma	ide to	SEZ	/ SEZ	develo	per			·		

(GSTR- 5: Table 5 and Table 8)

	-	nvoi					Amo	ount	;		(Net Integrated
	(detai	s								Any)		_	Tax
GSTIN/ UIN	No.	Date	Value	Rate	Taxable value	Integrated Tax	Central Tax	State /UT Tax	Cess	Place of Supply (Name of State)	Amended Value (Integrated Tax) (If	Debit Note Integrated Tax / Amended (If any)	Credit Note Integrated Tax / Amended (If any)	= (12/7) + 13-14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

^{2.} BRC/FIRC details are mandatory—in case of Services

STATEMENT 5 RECIPIENT OF DEEMED EXPORTS ETC.

(GSTR-2: TABLE 3 AND TABLE 6)

(0311		nvoic				A	Amount of Tax			ıte)	C B	An	nount	of IT	С			(y	
		detail		Rate	value		Ta	ax		State)	good r IT		avail	able			y)	f an	
GSTIN of supplier	ON	Date	Value		Taxable	Integrated Tax	Central Tax	State/ UT Tax	Cess	Place of supply (Name of	Whether input or input service/ Capital goods (incl plant and machinery)/ Incligible for ITC	Integrated Tax	Central Tax	State/ UT Tax	Cess	Amended Value (ITC Integrated Tax) (If Any)	Debit Note ITC Integrated Tax / Amended (If any)	Credit Note ITC Integrated Tax/Amended (If any)	Net ITC Integrated Tax= (17/7) + 18 - 19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Statement 6:

Refund Type: Tax paid on an intra-State supply which is subsequently held to be inter-State supply and vice versa

Order Details (issued in pursuance of Section 77 (1) and (2), if any:

Order No: Order Date:

	uci		Det		ered as	oice co s intra	–State	g trans e / inter						e held inter subsequently
GSTIN/ UIN Name (in case B2C)		Invoice	details		Integrated Tax	Central Tax	State/ UT Tax	Cess	Place of Supply (only if different from the	Integrated Tax	Central Tax	State/ UT Tax	Cess	Place of Supply (only if different from the
GSTIN/ UIN N	Ta						location of recipient)	Amount	Amount	Amount	Amount	location of recipient)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Statement 7:

Refund Type: Excess payment of tax, if any in case of Last Return filed. Refund on account excess payment of tax

(In case of taxpaver who filed last return GSTR-3 - table 12)

Sr.	Tax	Reference no.	Date of		Tax Payal	ble	
No.	period	of return	filing return	Integrated Tax	Central Tax	State/ UTTax	Cess
1	2	3	4	5	6	7	8

ANNEXURE-2 CERTIFICATE

This is to certify that in respect of the refund amounting to INR <>>> ------ (in words) claimed by M/s ------ (Applicant's Name) GSTIN/ Temporary ID----- for the tax period < ---->, the incidence of tax and interest, has not been passed on to any other person. This certificate is based on the examination of the Books of Accounts, and other relevant records and Returns particulars maintained/ furnished by the applicant.

Signature of the Chartered Accountant/ Cost Accountant:

Name:

Membership Number:

Place:

Date:

This Certificate is not required to be furnished by the applicant, claiming refund under clause (a) or clause (b) or clause (c) or clause (d) or clause (f) of sub-section (8) of section 54 of the Act.

Instructions -

2. Terms used:

(a) B to C: From registered person to unregistered person

(b) EGM: Export General Manifest

(c) GSTIN: Goods and Services Tax Identification Number

(d) IGST: Integrated goods and services tax

(e) ITC: Input tax credit

(f) POS: Place of Supply (Respective State)

(g) SEZ: Special Economic Zone

(h) Temporary ID: Temporary Identification Number

(i) UIN: Unique Identity Number

- 2. Refund of excess amount available in electronic cash ledger can also be claimed through return or by filing application.
- 3. Debit entry shall be made in electronic credit or cash ledger at the time of filing the application.
- 4. Acknowledgement in Form GST RFD-02 will be issued if the application is found complete in all respects.
- 5. Claim of refund on export of goods with payment of IGST shall not be processed through this application.
- 6. Bank account details should be as per registration data. Any change in bank details shall first be amended in registration particulars before quoting in the application.
 - 7. Declaration shall be filed in cases wherever required.
- 8. 'Net input tax credit' means input tax credit availed on inputs during the relevant period for the purpose of Statement-1 and will include ITC on input services also for the purpose of Statement-3A and 5A.
- 9. 'Adjusted total turnover' means the turnover in a State or a Union territory, as defined under clause (112) of section 2 excluding the value of exempt supplies other than zero-rated supplies, during the relevant period.
- 10. For the purpose of Statement-1, refund claim will be based on supplies reported in GSTR-1 and GSTR-2.
- 11. BRC or FIRC details will be mandatory where refund is claimed against export of services details of shipping bill and EGM will be mandatory to be provided in case of export of goods.
- 12. Where the invoice details are amended (including export), refund shall be allowed as per the calculation based on amended value.
 - 13. Details of export made without payment of tax shall be reported in Statement-3.
- 14. Availability of refund to be claimed in case of supplies made to SEZ unit or SEZ developer without payment of tax shall be worked out in accordance with the formula prescribed in rule 89(4).
- 15. 'Turnover of zero rated supply of goods and services' shall have the same meaning as defined in rule 89(4).";

[See rules90(1), 90(2) and 95(2)]

ACKNOWLEDGMENT

Your application for refund is hereby acknowledged against < Application Reference Number>

Acknowledgement Number	:
Date of Acknowledgement	:
GSTIN/ UIN/ Temporary ID, if ap	oplicable :
Applicant's Name	:
Form No.	:
Form Description	:
Jurisdiction (tick appropriate)	:
Centre State/	Union Territory:
Filed by :	
Rei	fund Application Details
Tax Period	
Date and Time of Filing	
Reason for Refund	
,	

Amount of Refund Claimed:

	Tax	Interest	Penalty	Fees	Others	Total
Central Tax						
State /UT tax						
Integrated Tax						
Cess						
Total						

Note 1: The status of the application can be viewed by entering ARN through <Refund> Track Application Status" on the GST System Portal.

Note 2: It is a system generated acknowledgement and does not require any signature.

[See rule 91(2)]

Sanction	n Order No:			Date: <dd m<="" th=""><th>M/YYYY></th></dd>	M/YYYY>
To					
	(GSTIN)				
	(Name)				
	(Address)				
	Provisional I	Refund Ord	er		
	Application Reference No. (ARN)ledgement NoDated<				
Sir/Mad	lam,				
With ref	erence to your above mentioned application	on for refund	d, the follow	wing amount is	sanctioned to
you on a	provisional basis:				
Sr. No	Description	Central Tax	State / UT tax	Integrated Tax	Cess
(i)	Amount of refund claimed				
(ii)	10% of the amount claimed as refund (to be sanctioned later)				
(iii)	Balance amount (i-ii)				
(iv)	Amount of refund sanctioned				
	Bank Details				
(v)	Bank Account No. as per application				
(vi)	Name of the Bank				
(vii)	Address of the Bank /Branch				
(viii)	IFSC				
(ix)	MICR				
Date: Place:			Name: Designa	are (DSC): ation: Address:	

[See rule 91(3), 92(4), 92(5) & 94]

Payment Advice

(as per (Order	<> r):	(>	••••																
ntegrate	ed Ta	ax	Central Tax St							te/	UI	T ta	X	Cess						
I P F	O	Total	T	I	F	О	Total	Т	I	P	F	O	Total	Т	Ι	P	F	O	Total	
tands for tails of the Accounter of the Earnd Accounter and Accounter the Earnd Accoun	or Oth the B nt no a Bank	hers ank as p	s er app	lica	tion		; 'P	' sta	nds	for	· Pe	enal	ty;	F' st	and	ls f	or	Fee	and	
8													Nan Desi	ie: gnat	ion	:				
ame)		Ter	mpora	ury]	(D)								On I	u A	.uu1	Cos	•			
	tands Tands for Accounter of the eand Accounter of the eard Accoun	tands Tax; 'I tands for Ot tails of the Bank e and Addres	tands Tax; 'I' stands for Other tails of the Bank e and Address of R ESTIN/ UIN/ Tellame)	tands Tax; 'I' stands for Others tails of the Bank Account no as per app e of the Bank and Address of the Bank R R SSTIN/ UIN/ Tempora	I P F O E T I F T T T T T T T T T T T T T T T T T	I P F O T I P F ands Tax; 'I' stands for Intertands for Others tails of the Bank Account no as per application e of the Bank and Address of the Bank /brance R STIN/ UIN/ Temporary ID) Iame)	I P F O T I P F O T A T T T T T T T T T T T T T T T T T	I P F O	I P F O	Integrated Tax Central Tax Start I P F O	I P F O E T I P F O E T I P F O E T I P E Stands for Interest; 'P' stands for tands for Others tands of the Bank Account no as per application e of the Bank e and Address of the Bank /branch R State/ T I P F O E T I P P P F O E T I P P P F O E T I P P P F O E T I P P P F O E T I P P P P P P P P P P P P P P P P P P	Integrated Tax Central Tax State/ UT I P F O	Integrated Tax Central Tax State/ UT tax I P F O	Integrated Tax Central Tax State/ UT tax I P F O	Integrated Tax Central Tax State/ UT tax I P F O	Integrated Tax Central Tax State/ UT tax I P F O	Integrated Tax Central Tax State/ UT tax Contral Tax State/ UT tax Contral T	Integrated Tax Central Tax State/ UT tax Cess I P F O	The property of the Bank and Address of the Bank /branch State/ UT tax Cess The property of the Bank /branch Signature (DSC): Name: Designation: Office Address: Cess The property of the Bank /branch Signature (DSC): Name: Designation: Office Address:	

[See rule 92(1), 92(3), 92(4), 92(5) & 96(7)]

Order No.: To		Date: <dd mm="" yyyy=""></dd>
	(GSTIN/ UIN/ Temporary ID)	
	(Name)	
	_(Address)	
Show cause n	otice No. (If applicable)	
Acknowledge	ement No	Dated
<dd <="" td=""><td>MM/YYYY></td><td></td></dd>	MM/YYYY>	

Refund Sanction/Rejection Order

Sir/Madam,

This has reference to your above mentioned application for refund filed under section 54 of the Act*/interest on refund*.

<< reasons, if any, for granting or rejecting refund >>

Upon examination of your application, the amount of refund sanctioned to you, after adjustment of dues (where applicable) is as follows:

^{*}Strike out whichever is not applicable

Description		Integrated Tax					Central Tax						Sta	ate	U'	T t	ax	Cess						
	Т	Ι	P	F	O	Total	Т	Ι	P	F	0	Total	Т	I	P	F	O	Total	T	I	P	F	0	Total
1. Amount of refund/ interest* claimed																								
2. Refund sanctioned on provisional basis (Order Nodate) (if applicable)																								
3. Refund amount inadmissible < <reason dropdown="">> <multiple allowed="" be="" reasons="" to=""></multiple></reason>																								

Description		Int	egr	atec	l Ta	ıx		Ce	ent	ral	Tax			Sta	ate	/ U	T t	ax	Cess						
	Т	I	P	F	0	Total	Т	Ι	P	F	0	Total	Т	Ι	P	F	O	Total	T	Ι	P	F	0	Total	
4. Gross amount to be paid (1-2-3)																									
5. Amount adjusted against outstanding demand (if any) under the existing law or under the Act. Demand Order No date, Act Period <multiple add="" be="" given="" possible-="" row="" rows="" to=""></multiple>																									
6. Net amount to be paid																									
Note – 'T' sta 'O' stands for Others *Strike out wh ^{&} 1. I hereby under sub-section	<i>ich</i> san	ever	<i>r is</i> n a	<i>not</i> n ar	<i>app</i> nou	<i>lica</i> nt o	ble of II	٧R				_ to	o M	⁄I/s									d FIN		

[®]Strike out whichever is not applicable (a) #and the amount is to be paid to the bank account specified by him in his application; (b) the amount is to be adjusted towards recovery of arrears as specified at serial number 5 of the Table above; (c) an amount of ----rupees is to be adjusted towards recovery of arrears as specified at serial number 5 of the Table above and the remaining amount of ----rupees is to be paid to the bank account specified by him in his application[#]... *Strike-out whichever is not applicable. &2. I hereby credit an amount of INR ______ to Consumer Welfare Fund under sub-section (...) of Section (...) of the Act. . &3. I hereby reject an amount of INR ______ to M/s _____ under sub-section (...) of Section (...) of the Act. &Strike-out whichever is not applicable Date: **Signature (DSC):** Place: Name: **Designation: Office Address**

[See rule 92(1), 92(2) & 96(6)]

[See rule 92($(1), 92(2) \propto 90(0)$
Reference No.	Date: <dd mm="" yyyy=""></dd>
To	
(GSTIN/UIN/Temp.ID No.)	
(Name)	
(Address)	
Acknowledgement No	Dated <dd mm="" yyyy=""></dd>
Order for Complete adj	ustment of sanctioned Refund
<u> </u>	Part- A
Sir/Madam,	
With reference to your refund application as ref	erred above and further furnishing of information/
filing of documents against the amount of refun	d sanctioned to you has been completely adjusted
against outstanding demands as per details below	w:

Refund Calculation Integrated Central State/ Cess Tax Tax UT Tax (i) **Amount of Refund claimed** Net Refund Sanctioned on Provisional Basis (Order No...date) (ii) Refund amount inadmissible rejected << reason dropdown>> (iii) Refund admissible (i-ii-iii) (iv) Refund adjusted against outstanding demand (as per order (v) no.) under existing law or under this law. . Demand Order No..... date..... <Multiple rows may be given> **Balance** amount of refund Nil Nil Nil (vi)

I hereby, order that the amount of claimed / admissible refund as shown above is completely adjusted against the outstanding demand under this Act / under the existing law. This application stands disposed as per provisions under sub-section (...) of Section (...) of the Act.

OR Part-B

Order for withholding the refund

This has reference to your refund application referred to above and information/ documents furnished in the matter. The amount of refund sanctioned to you has been withheld due to the following reasons:

Refund	Order No.:				
Date of i	issuance of Order:				
Sr. No.	Refund Calculation	Integrated Tax	Central Tax	State/UT Tax	Cess
(i)	Amount of Refund Sanctioned				
(ii)	Amount of Refund Withheld				
(iii)	Amount of Refund Allowed				

Reasons for	withholding of the refund:

	<u> </u>
Í	< <text>></text>
I la analari	and an that the amount of alaimed / admissible refund as about about is withheld for the

I hereby, order that the amount of claimed / admissible refund as shown above is withheld for the above mention reasons. This order is issued as per provisions under sub-section (...) of Section (...) of the Act.

Date:	Signature (DSC)
Place:	Name:
	Designation:
	Office Address:

3. Address

FORM GST RFD-10

[See rule 95(1)]

Application for Refund by any specialized agency of UN or any Multilateral Financia	al
Institution and Organization, Consulate or Embassy of foreign countries, etc.	

1.	UIN	:
2.	Name	:

: : From <DD/MM/YY>To <DD/MM/YY> 4. Tax Period (Quarter)

5. Amount of Refund Claim : <INR><In Words>

	Amount
Central Tax	
State /UT Tax	
Integrated Tax	
Cess	
Total	

6. Details of Bank Account:

- a. Bank Account Number
- b. Bank Account Type
- c. Name of the Bank
- d. Name of the Account Holder/Operator
- e. Address of Bank Branch
- f. IFSC
- g. MICR

7. Reference number and date of furnishing FORM GSTR-11

8	T 7_	<u>.</u> • • • .	ratin	
ж.	V 4	riti/	"OTIA	m

I _____ as an authorised representative of << Name of Embassy/international organization >> hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed

That we are eligible to claim such refund as specified agency of UNO/Multilateral Financial Institution and Organization, Consulate or Embassy of foreign countries/ any other person/ class of persons specified/ notified by the Government.

Date:	•	Signature of Authorised Signatory:
Place:		Name:
		Designation / Status

FORM GST RFD-11

[See rule 96A]

Furnishing of bond or Letter of Undertaking for export of goods or services

1. GSTIN	1			
2. Name				
3. Indicate the type of document furnished		Bond:	Letter (of Undertaking
4. Details	of bond furnished			
Sr. No.	Reference no. of the bank guarantee	Date	Amount	Name of bank and branch
1	2	3	4	5
Note –	Hard copy of the bank guarantee officer.	and bond sh	all be furnis	shed to the jurisdictional
5. Declar	ation -			
(The above-mentioned bank grayable on export of goods or 		ubmitted to	secure the integrated tax
(ii) I undertake to renew the bank guarantee well before its expiry. In comparison to do so the department will be at liberty to get the payment fragainst the bank guarantee.				
(1	<i>ii</i>) The department will be at libe cover the amount of integrate services.			
		Sig	gnature of A	uthorized Signatory
		Na	me	

Designation / Status -----

Date -----

Bond for export of goods or services without payment of integrated tax	
(See rule 96A)	,
I/We	
to the President of India (hereinafter called "the President") in the sum ofrupees	to be
paid to the President for which payment will and truly to be made.	
	utors/ Dated
thisday of;	
WHEREAS the above bounden obligor has been permitted from time to time to so	apply
goods or services for export out of India without payment of integrated tax;	1
and whereas the obligor desires to export goods or services in accordance with	n the
provisions of clause (a) of sub-section (3) of section 16;	
AND WHEREAS the Commissioner has required the obligor to furnish bank guarante	
an amount of rupees endorsed in favour of the President and wh	
the obligor has furnished such guarantee by depositing with the Commissioner the bank guar	antee
as afore mentioned;	
The condition of this bond is that the obligor and his representative observe al	I the
provisions of the Act in respect of export of goods or services, and rules made thereunder;	
AND if the relevant and specific goods or services are duly exported;	.1
AND if all dues of Integrated tax and all other lawful charges, are duly paid to	
Government along with interest, if any, within fifteen days of the date of demand thereof	being
made in writing by the said officer, this obligation shall be void;	41
OTHERWISE and on breach or failure in the performance of any part of this condition same shall be in full force and virtue:	n, the
	and
AND the President shall, at his option, be competent to make good all the loss	
damages, from the amount of bank guarantee or by endorsing his rights under the above-w bond or both;	ritten
	or tha
I/We further declare that this bond is given under the orders of the Government for performance of an act in which the public are interested;	or the
IN THE WITNESS THEREOF these presents have been signed the day hereinb	efore
written by the obligor(s).	
Signature(s) of obligor(s).	
Date:	
Place:	
Witnesses	
(1) Name and Address Occupation	
(2) Name and Address Occupation	

Accepted by me this......day of (month)..... (year)......of

..... (Designation) for and on behalf of the President of India.".

Letter of Undertaking for export of goods or services without payment of integrated tax (See rule 96A)

lent"), acting through the proper officer
(address of the registere
on Number No
our respective heirs, executors/ administrator
e presents, hereby jointly and severally undertal
dent
plied without payment of integrated tax within
e 96A;
ne Goods and Services Tax Act and rules made
goods or services;
n the event of failure to export the goods
al to eighteen percent interest per annum on the
te of invoice till the date of payment.
under the orders of the proper officer for the
sted.
ts have been signed the day hereinbefore writte
,
Occupation
Occupation
o coupuiton
(month) (year)of
······································
a

FORM GST INS-1 AUTHORISATION FOR INSPECTION OR SEARCH

[See rule 139 (1)]

То	
(Naı	me and Designation of officer)
	Whereas information has been presented before me and I have reasons to believe that—/s
	has suppressed transactions relating to supply of goods and/or services has suppressed transactions relating to the stock of goods in hand, has claimed input tax credit in excess of his entitlement under the Act has claimed refund in excess of his entitlement under the Act has indulged in contravention of the provisions of this Act or rules made thereunder to evade tax under this Act; OR
B. M	Vs
	is engaged in the business of transporting goods that have escaped payment of tax is an owner or operator of a warehouse or a godown or a place where goods that have escaped payment of taxhave been stored has kept accounts or goods in such a manner as is likely to cause evasion of tax payable under this Act.
	OR
C.	goods liable to confiscation / documents relevant to the proceedings under the Act are secreted in the business/residential premises detailed herein below < <details of="" premises="" the=""></details>
The	refore,—
	in exercise of the powers conferred upon me under sub-section (1) of section 67 of the Act, I authorize and require you to inspect the premises belonging to the above mentioned person with such assistance as may be necessary for inspection of goods or documents and/or any other things relevant to the proceedings under the said Act and rules made there under. OR
	in exercise of the powers conferred upon me under sub-section (2) of section 67 of the Act, I authorize and require you to search the above premises with such assistance as may be necessary, and if any goods or documents and/or other things relevant to the proceedings under the Actare found, to seize and produce the same forthwith before me for further action under the Act and rules made thereunder. Any attempt on the part of the person to mislead, tamper with the evidence, refusal to
prov	ver the questions relevant to inspection / search operations, making of false statement or riding false evidence is punishable with imprisonment and /or fine under the Act read with ion 179, 181, 191 and 418 of the Indian Penal Code.
	en under my hand & seal this day of (month) 20 (year). Valid for day(s).
Plac	Signature, Name and designation of the issuing authority
Nan	ne, Designation & Signature of the Inspection Officer/s
	(i)
	(ii)

FORM GST INS-02 ORDER OF SEIZURE

[See rule 139 (2)]

Whereas an inspection under sub-section (1)/search under sub-section (2) of Section 67 was conducted by me on __/_/__ at __:_ AM/PM in the following premise(s):

<<Details of premises>>

which is/are a place/places of business/premises belonging to:

<<Name of Person>>

<<GSTIN, if registered>>

in the presence of following witness(es):

- 1. <<Name and address>>
- 2. <<Name and address>>

and on scrutiny of the books of accounts, registers, documents / papers and goods found during the inspection/search, I have reasons to believe that certaingoods liable to confiscation and/or documents and/or books and/or things useful for or relevant to proceedings under this Act are secreted in place(s) mentioned above.

Therefore, in exercise of the powers conferred upon me under sub-section (2) of section 67, I hereby seize the following goods/ books/ documents and things:

A) Details of Goods seized:

Sr. No	Description of goods	Quantity or units	Make/mark or model	Remarks
1	2	3	4	5

B) Details of books / documents / things seized:

Sr. No	Description of books / documents / things seized	No. of books / documents / things seized	Remarks
1	2	3	4

and these goods and or things are being handed over for safe upkeep to:

<<Name and address>>

with a direction that he shall not remove, part with, or otherwise deal with the goods or things except with the previous permission of the undersigned.

Place: Name and Designation of the Officer

Date:

Signature of the Witnesses

Sr. No.	Name and address	Signature
1.		
2.		

To:

FORM GST INS-03 ORDER OF PROHIBITION

[See rule 139(4)]

	Whereas an inspection u	under sub-section (1)	gaarah undar sub sa	ation (2) of Section
	conducted on//	* *		* *
	ils of premises>>	_ at AIVI/FIVI III	the following prem	180(8).
	s/are a place/places of b	ucinace/pramicae bala	naina to:	
	ne of Person>>	usiness/piennses belo	iigiiig to.	
	IN, if registered>>	h., () .		
	resence of following wit			
	< <name address="" and=""></name>			
	< <name address="" and=""></name>		1	1 1 0 1
	scrutiny of the books of	_		_
	the inspection/search,			
	ation and/or document			for or relevant to
-	lings under this Act are s	-		
	ore, in exercise of the po			
	y order that you shall no			otherwise deal with
the goo	ds except without the pr	evious permission of	the undersigned:	
Sr.	Description	Quantity or units	Make/mark or	Remarks
No	of goods		model	
1	2	3	4	5
Place:				
D		Na	me and Designation	n of the Officer
Date:		144.	ine and Designation	ii oi tiit oilitei
Signatu	ire of the Witnesses			
	N I	ad adduses	a.	
	Name ar	nd address	Sig	gnature
1.	Name ar	nd address	Sig	gnature

To:

<<Name and address>>

FORM GST INS-04 BOND FOR RELEASE OF GOODS SEIZED

[See rule 140(1)]

Ihereinafter called "obligor(s)" am held andfirmly bound to
the President of India (hereinafter called "the President") and/or the Governor of
(State) (hereinafter called "the Governor") in the sum ofrupees to
be paid to the President / the Governor for which payment will be made. I jointly and
severally bind myself and myheirs/ executors/ administrators/legal representatives/
successors and assigns by these presents; datedthisday of
WHEREAS in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 67, the
goods have been seized vide order number
rupees involving an amount of tax of rupees. On my request
the goods have been permitted to be released provisionally by the proper officer on
execution of the bond of valuerupees and a security of
rupees against which cash/bank guarantee has been furnished in favour
of the President/ Governor; and
WHEREAS I undertake to produce the said goods released provisionally to me as
and when required by the proper officer duly authorized under the Act.
And if all taxes, interest, penalty, fineand other lawful chargesdemanded by the
proper officer are duly paid within ten days of the date of demand thereof being made in
writing by the said proper officer, this obligation shall be void.
OTHERWISE and on breach or failure in the performance of any part of
this condition, the same shall be in full force:
AND the President/Governor shall, at his option, be competent to make good all
thelosses and damages from the amount of the security deposit or by endorsinghis rights
under the above-written bond or both;
IN THE WITNESS THEREOF these presents have been signed the dayhereinbefore
written by the obligor(s).
Signature(s) of obligor(s).
Date:
Place:
Witnesses
(1) Name and Address
(2) Name and Address
Date
Place
Accepted by me thisday of(month)(year)
(designation of officer) for and on behalf of the President /Governor.

(Signature of the Officer)

FORM GST INS-05 ORDER OF RELEASE OF GOODS/ THINGS OF PRISHABLE OR HAZARDOUS NATURE

[See rule 141(1)]

		[200 / 100 1 / 1 / 1	/1	
	Whereas the following ng premise(s):	goods and/or things	were seized on _	/_/ from the
< <deta< td=""><td>ils of premises>></td><td></td><td></td><td></td></deta<>	ils of premises>>			
which is	s/are a place/places of bo	usiness/premises belo	nging to:	
< <gst< th=""><th>ne of Person>> TIN, if registered>> of goods seized:</th><th></th><th></th><th></th></gst<>	ne of Person>> TIN, if registered>> of goods seized:			
	OI GOODS SUILEUR			
Sr. No	Description of goods	Quantity or units	Make/mark or model	Remarks
1	2	3	4	5
Rs	equivalent to the:	-		
	market price of such goo the amount of tax, intere n paid, I hereby order th	est and penalty that is		
Place:		Na	ame and Designation	on of the Officer
Date:				
To:				
< <nam< td=""><td>e and Designation>></td><td></td><td></td><td></td></nam<>	e and Designation>>			

			LOWIN	GSI DKC - VI			
			[See	rule 142(1)]			
Reference No):						Date:
To							
	C	CTIN/ID					
		STIN/ID					
	A	ddress					
Tax Period			F.Y.	,	Act	-	
Section / sub-	-section	under whi	ch SCN	is being issued -			
SCN Referen				Date			
SCIVILLICIOI CII	100 1 101		Sur	mary of Show Cau	ıse Notice		
			Sun	illiary of Show Cat	ise Monee		
() D	• • • •	e 41					
` ,		s of the case	9				
(b) G1	rounds						
(c) Ta	ax and o	ther dues					
,						(Amoun	t in Rs.)
	Sr.	Tax	Act	Place of supply	Tax/	Others	Total
		Period	Act			Others	Total
	No.			(name of State)	Cess		
	1	2	3	4	5	6	7
7	Total						
<u> </u>	-						
			FORM	I GST DRC -02			
				rule 142(1)(b)]			
D.C. N.			[See I	uie 142(1)(0)]			D.4.
Reference No) :						Date:
To							
		STIN/ID					
	N	lame					
		ddress					
	11						
	SCN I	Ref. No		n	ate –		
		nent Ref. N			ate – ate -		
	Staten	nent Ket. N	()	D	aie -		

- (a) Brief facts of the case
- (b) Grounds
- (c) Tax and other dues

(Amount in Rs.)

Sr.	Tax	Act	Place of supply	Tax/	Others	Total
No.	Period		(name of State)	Cess		
1	2	3	4	5	6	7
Total						

Section /sub-section under which statement is being issued -

Summary of Statement

[See rule 142(2) & 142 (3)]

Intimation of payment made voluntarily or made against the show cause notice (SCN) or statement

1.	GSTIN									
2.	Name									
3.	Cause of	f paym	ent			<< drop dow	n>>			
						Audit, invest (specify)	igation,	voluntary,	SCN, ot	hers
4.	Section is made	under w	vhich vol	untary pa	yment	<< drop down>>				
5.	Details of show cause notice, if payment is made within 30 days of its issue					Reference No	0.	Date of	issue	
6.	Financia	ıl Year								
7.	Details of	of paym	ent mad	e includir	ng interes	st and penalty,	if applic	able		
								(Amount	in Rs.)
Sr. No.	Tax Period	Act	Place of supply (POS)	Tax/ Cess	Interest	Penalty, if applicable	Total	Ledger utilised (Cash / Credit)	Debit entry no.	Date of debit entry
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

8. Reasons, if any - << Te

<< Text box>>

9. Verification-

I hereby solemnly affirm and declare that the information given hereinabove is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

Signature of Authorized Signatory
Name
Designation / Status
Date –

		FORM GST DRC – 04 [See rule 142(2)]	
Reference No:			Date:
Го	- Name		
Tax Period		F.Y	
ARN -		Date -	
Copy to -		ne amount paid and for the reason	Signature Name Designation
Reference No:		FORM GST DRC- 05 [See rule 142(3)]	Date:
Го			

Intimation of conclusion of proceedings

This has reference to the show cause notice referred to above. As you have paid the amount of tax and other dues mentioned in the notice along with applicable interest and penalty in accordance with the provisions of section ---- , the proceedings initiated vide the said notice are hereby concluded.

F.Y. -----

Date -

Date -

Signature Name Designation

----- Name

SCN -

ARN -

_____ Address

Tax Period -----

[See rule 142(4)]

Reply to the Show Cause Notice

1. GSTIN		
2. Name		
3. Details of Show Cause Notice	Reference No.	Date of issue
4. Financial Year		
5. Reply		
<< Text box >>		
(D		
6. Documents uploaded		
<< List of documents >>		
7. Option for personal hearing	Yes	¬ No
		J
8. Verification-		
I hereby solemnly affirm and declare that	at the information giv	en hereinabove is true and cor
the best of my knowledge and belief and i	nothing has been conc	ealed therefrom.
	g.	4 64 41 • 10• 4
	Signa	ture of Authorized Signatory
	Name	·
	Desig	nation / Status

[See rule 142(5)]

Summary of the order

- 1. Details of order -
 - (a) Order no.
- (b) Order date
- (c) Tax period -

2. Issues involved -<< drop down>>

classification, valuation, rate of tax, suppression of turnover, excess ITC claimed, excess refund released, place of supply, others (specify)

3. Description of goods / services -

Sr. No.	HSN	Description

4. Details of demand

(Amount in Rs.)

Sr. No.	Tax rate	Turnover	Place of supply	Act	Tax/ Cess	Interest	Penalty
1	2	3	4	5	6	7	8

5. Amount deposited

Sr. No.	Tax Period	Act	Tax/ Cess	Interest	Penalty	Others	Total
1	2	3	4	5	6	7	8
Total							

Signature

Name

Designation

Copy to - -

[See rule 142(7)]

\mathbf{r}	c	•		ce	TA 1	r .	
ĸ	Δt	ρr	'nη	CO		Λ	•
1	u	u			Τ.4	v.	

Date:

Rectification of Order

Preamble - << Standard >> (Applicable for orders only)

Particulars of original order	
Tax period, if any	
Section under which order is passed	
Order no.	Date of issue
Provision assessment order no., if any	Order date
ARN, if applied for rectification	Date of ARN

	Your application for rectification of the orderreferred to above has been found to be satisfactory;
\bigcup	satisfactory;
$\overline{}$	It has come to my noticethat the above said order requires rectification;
	Reason for rectification -

<< text box >>

Details of demand, if any, after rectification

(Amount in Rs.)

Sr. No.	Tax rate	Turnover	Place of supply	Act	Tax/ Cess	Interest	Penalty
1	2	3	4	5	6	7	8

The aforesaid order is rectified in exercise of the powers conferred under section 161 as under:

	<< lext>>
То	
	(GSTIN/ID)
	Name
	(Address)
Copy to -	

[See rule 143]

То						
Particulars of de	faulter -					
GSTIN – Name - Demand order no Reference no. of Period:		Date: Date:				
Order for recovery through specified officer under section 79 Whereas a sum of Rs. <<>> on account of tax, cess, interest and penalty is payable under the provisions of the < <sgst cess="" cgst="" igst="" utgst="">> Act by the aforesaid person who has failed to make payment of such amount. The details of arrears are given in the table below: (Amount in Rs.)</sgst>						
Act	Tax/Cess	Interest	Penalty	Others	Total	
Act	Tax/Cess		Penalty 4			
1		Interest 3	_	Others 5	Total 6	
			_			
1 Integrated tax			_			
1 Integrated tax Central tax			_			
1 Integrated tax Central tax State/UT tax			_			
1 Integrated tax Central tax State/UT tax Cess		3	_			
1 Integrated tax Central tax State/UT tax Cess	required und	< Ren	narks>>	n 79 of the <<	6	

Designation

[See rule 144(2)]

Notice for Auction of Goods under section 79 (1) (b) of the Act

	nand order no.:	Date:						
Per	iod:	- h		1 1 .				
ene		s been made by me for sale of the		-				
	specified in the Schedule below for recovery of Rs and interest thereon and admissible expenditure incurred on the recovery process in accordance with the provision							
	ection 79.	fred on the recovery process in ac	cordance with the pro	J V 1510115				
		action and the goods shall be put u	n for sale in the lots s	necified				
	* -	yill be of the right, title and interest	-	-				
		d to the said properties, so far as the						
	se specified in the Schedu		J	,				
		at AM/PM. In the event	the entire amount due	e is paid				
	ore the date of auction, th			1				
		be paid at the time of sale or as pe	er the directions of the	e proper				
offi	cer/ specified officer an	d in default of payment, the goo	ds shall be again put	t up for				
auct	tion and resold.							
		Schedule						
	Serial No.	Description of goods	Quantity					
	1	2	3					
Place: Date:		Signature Name Designation						
		FORM GST DRC - 11						
		[See rule 144(5) & 147(12)]						
		Notice to successful bidder						
-								
To,								
		c Auction Reference no.		On				
		ed on, you have been for	ound to be a successfu	l bidder				
in th	ne instant case.							
	You are hereby requ	ired to make payment of Rs	within a n	eriod of				
15 (days from the date of auc		within a p	criou or				
15 (ays from the date of ade	tion.						
nav	The possession of the ment of the bid amount.	e goods shall be transferred to you	after you have made	the full				
Place Dat			nature me					

Designation

[See rule 144(5) & 147(12]

Sale Certificate

Demand order no.:	Date:
Reference no. of recovery:	Date:
Period:	

This is to certify that the following goods:

Schedule (Movable Goods)

Sr. No.	Description of goods	Quantity
1	2	3

Schedule (Immovable Goods)

Building No./ Flat No.	Floor No.	Name of the Premises/ Building	Road/ Street	Locality/ Village	District	State	PIN Code	Latitude (optional)	Longitude (optional)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Schedule (Shares)

Sr. No.	Name of the Company	Quantity	Value
1	2	3	4

have been sold to	at	in pub	olic auction	of the goods
held for recovery of rupees ir	accordance w	ith the provision	ons of section	179(1)(b)/(d)
of the < <sgst cgst="" igs<="" th="" utgst=""><th>T/ CESS>> Ac</th><th>ct and rules ma</th><th>ade thereund</th><th>er on</th></sgst>	T/ CESS>> Ac	ct and rules ma	ade thereund	er on
and the said	. (Purchaser) h	as been declar	ed to be the	purchaser of
the said goods at the time of sal	e. The sale p	orice of the s	aid goods v	was received
on The sale was confi	rmed on			
DI.		G!		

Place: Signature Date: Name Designation

[See rule 145(1)]

Notice to a third	l person under section 79(1) (c)
To	
The	
Particulars of defaulter -	
GSTIN – Name -	
Demand order no.: Reference no. of recovery:	Date: Date:
the provisions of the < <sgst td="" ut<=""><td>count of tax, cess, interest and penalty is payable under GST/CGST/ IGST>> Act by <<name amount;="" and="" as="" failed="" make="" of="" or<="" payment="" such="" taxable="" td="" to=""></name></td></sgst>	count of tax, cess, interest and penalty is payable under GST/CGST/ IGST>> Act by < <name amount;="" and="" as="" failed="" make="" of="" or<="" payment="" such="" taxable="" td="" to=""></name>
It is observed that a sum of rupees person from you; or	is due or may become due to the said taxable
It is observed that you hold or are like the said person.	ely to hold a sum of rupees for or on account of
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	of rupees to the Government forthwith or upon d in compliance of the provisions contained in clause of the Act.
under section 79 of the Act to have been and the certificate from the government	by you in compliance of this notice will be deemed en made under the authority of the said taxable person ent in FORM GST DRC - 14 will constitute a good ty to such person to the extent of the amount specified
this notice, you will be personally liab	any liability to the said taxable person after receipt of ole to the State /Central Government under section 79 ty discharged, or to the extent of the liability of the dipenalty, whichever is less.
•	ake payment in pursuance of this notice, you shall be the amount specified in the notice and consequences r shall follow.
Place: Date:	Signature Name Designation

[See rule 145(2)]

Certificate of Payment to a Third Person

-	<u> </u>	discharged your liability by making a
payment of Rs.		
GSTIN – Name - Demand order no.: Reference no. of recovery: Period: This certificate will constitute to the experience of the experience o	•	cient discharge of your liability to above
Place: Date:		Signature Name Designation
APPLICATION BEFORE To The Magistrate /Judge of t	A DECRI	RT REQUESTING EXECUTION FOR EEE
Demand order no.: Sir/Ma'am,	Date:	Period
20 by of 20, a sum of rupees	(nam is payable to the sa under the provi	d in your Court on the day of e of defaulter) in Suit No
You are requested to execu outstanding recoverable amo		dit the net proceeds for settlement of the ve.
Place: Date:		

[See rule 147(1) & 151(1)]

-
,

GSTIN -

Name -

Address -

Demand order no.: Date: Reference no. of recovery: Date:

Period:

Notice for attachment and sale of immovable/movable goods/shares under section 79

Whereas you have failed to pay the amount of Rs....., being the arrears of tax/cess/interest/penalty/ fee payable by you under the provisions of the <<SGST/UTGST/CGST/IGST/CESS>> Act.

The immovable goods mentioned in the Table below are, therefore, attached and will be sold for the recovery of the said amount. You are hereby prohibited from transferring or creating a charge on the said goods in any way and any transfer or charge created by you shall be invalid.

Schedule (Movable)

Sr. No.	Description of goods	Quantity
1	2	3

Schedule (Immovable)

No./ No. Flat No.	o. the Premises	Street	Village			Code	(optional)	(optional)
1 2	/Building	4	5	6	7	8	9	10

Schedule (Shares)

Sr. No.	Name of the Company	Quantity
1	2	3

Place: Signature Date: Name Designation

[See rule 147(4)]

Notice for Auction of Immovable/Movable Property under section 79(1) (d)

Demand order no.:	Date:
Reference number of recovery:	Date:
Period:	
Whereas an order has been made by m	e for sale of the attached or distrained goods
specified in the Schedule below for recover	ery of Rs and interest thereon and
admissible expenditure incurred on the recove	ry process in accordance with the provisions

of section 79.

The sale will be by public auction and the goods shall be put up for sale in the lots specified in the Schedule. The sale will be of the right, title and interests of the defaulter. And the liabilities and claims attached to the said properties, so far as they have been ascertained, are those specified in the Schedule against each lot.

The price of each lot shall be paid at the time of sale or as per the directions of the proper officer/ specified officer and in default of payment, the goods shall be again put up for auction and resold.

Schedule (Movable)

Sr. No.	Description of goods	Quantity
1	2	3

Schedule (Immovable)

Selledate (Illillio (dale)									
Building	Floor	Name of the	Road/	Locality/	District	State	PIN	Latitude	Longitude
No./	No.	Premises	Street	Village			Code	(optional)	(optional)
Flat No.		/Building							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Schedule (Shares)

Sr. No.	Name of the Company	Quantity
1	2	3

Place:	Signature
Date:	Name
	Designation

[See rule 155]

To						
Name & Address of District Collector						
Demand order no.: Reference number of recovery: Period: Certificate action under clause (e) of so	Date: Date: ub-section (1) section 79					
I do hereby certify that a statement of the demanded from and is payable by M/s	holding GSTINunder not been paid and cannot be recovered					
<< demand details >>						
The said GSTIN holder owns property/resides/carrie particulars of which are given hereunder: -	s on business in your jurisdiction the					
< <description>></description>						
You are requested to take early steps to realise the s defaulter as if it were an arrear of land revenue.	sum of rupees from the said					
Place: Date:	Signature Name Designation					

[See rule 156]

То,						
Magistrate,						
< <name add<="" and="" td=""><td>lress of the Court></td><td>>></td><td></td><td></td></name>	lress of the Court>	>>				
Demand order no.: Reference number of recovery: Period:			Date: Date:			
	Application to	the Magistrate for	Recovery as Fine			
A sum of Rs. << >>is recoverable from < <name of="" person="" taxable="">> holding <<gstin>> on account of tax, interest and penalty payable under the provisions of the Act. You are requested to kindly recover such amount in accordance with the provisions of clause (f) of sub-section (1) of section 79 of the Act as if it were a fine imposed by a Magistrate.</gstin></name>						
	I	Details of Amount				
Description	Central tax	State /UT tax	Integrated tax	CESS		
Tax/Cess						
Interest						
Penalty						
Fees						
Others						
Total						
Place: Date:			Signature Name Designation			

[See rule 158(1)]

Application for Deferred Payment/ Payment in Instalments

4. Name of the ta	xable person-			
5. GSTIN -				
6. Period				
extension of time	upto for pa		t, I request you to allow me dues or to allow me w:	
Demand ID				
Description	Central tax	State /UT tax	Integrated tax	CESS
Tax/Cess				
Interest				
Penalty				
Fees				
Others Total				
Total				
Reasons: -			Uploa	ad Document
		Verification		
•	•		ion given hereinabo g has been concealed	
Signature of Auth	orized Signatory			
Name				
Place -				
Date -				

[See rule 158(2)]

Reference No <<>>	<< Date >>
To	
GSTIN Name	
Address	
Tital CSS	
Demand Order No.	Date:
Reference number of recovery:	Date:
Period -	Da4a
Application Reference No. (ARN) -	Date -
Order for acceptance/rejection of applica instalm This has reference to your above referred. Act. Your application for deferred payment / peen examined and in this connection, you are (date) or in this connection you are allowed rupees in monthly instalments.	red application, filed under section 80 of the payment of tax/other dues in instalments has a allowed to pay tax and other dues byto pay the tax and other dues amounting to
	red application, filed under section 80 of the payment of tax/other dues in instalments has
Reasons for rejection	
reasons for rejection	
Place:	Signature
Date:	Name
	Designation

[See ri	ule 159(1)]
Reference No.: To	Date:
Name Address (Bank/ Post Office/Financial Institution/I	mmovable property registering authority)
It is to inform that M/s(address) bearing registration is a registered taxable person under the launched against the aforesaid taxable per	of property under section 83 (name) having principal place of business at number as (GSTIN/ID), PAN < <sgst cgst="">> Act. Proceedingshave been son under section <<>> of the said Act to due from the said person. As per information of my notice that the said person has a</sgst>
< <saving current="" depository="" fd="" rd=""> institution>> having account no. << A/c no</saving>	>account in your << bank/post office/financial o. >>;
or	
property located at << property ID & location	on>>.
-	and in exercise of the powers conferred under e), (designation), hereby provisionally
	the said account or any other account operated ithout the prior permission of this department.
or	
The property mentioned above shall not be permission of this department.	be allowed to be disposed of without the prior
	Signature Name
	Designation

[See rule 159(3), 159(5) & 159(6)]

Reference No.:	Date:
To	
Name	
Address	
(Bank/ Post Office/Financial Instit	cution/Immovable property registering authority)
Order reference No	Date –

Restoration of provisionally attached property / bank account under section 83

Please refer to the attachment of << saving / current / FD/RD>> account in your<< bank/post office/financial institution>> having account no. <<----->>, attached vide above referred order, to safeguard the interest of revenue in the proceedings launched against the person. Now, there is no such proceedings pending against the defaulting person which warrants the attachment of the said accounts. Therefore, the said account may now be restored to the person concerned.

or

Please refer to the attachment of property << ID /Locality>> attached vide above referred order to safeguard the interest of revenue in the proceedings launched against the person. Now, there is no such proceedings pending against the defaulting person which warrants the attachment of the said property. Therefore, the said property may be restored to the person concerned.

Signature Name Designation

Copy to -

Date:

FORMGST DRC-24 [See rule 160]

To					
The Liquidator/Red	ceiver,				
Name of the taxable	person:				
GSTIN:					
Demand order no.:	Date	:		Period:	
	Intimatio	n to Liquid	lator for re	ecovery of amount	
This has reference appointment as liquoconnection, it is inforto the State / Central	uidator formed that	or the < the said co ent: 	company r	name>> holding es / likely to owe the	< <gstin>>.In this</gstin>
Act	Tax	Interest	Penalty	Other Dues	Total Arrears
1	2	3	4	5	6
Central tax			<u> </u>		0
State / UT tax					
Integrated tax					
Cess					
In compliance of the sufficient provision winding up of the co	for discha				•
Place:				Name	

Designation

[See rule 161]

Reference No << >>			<< Date >>		
To GSTIN Name Address					
Demand Order No.: Reference number of rec Period:	covery:			Date: Date:	
Reference No. in Appea	l or Rev	ision or any	other proc	eeding -	Date:
	Conti	nuation of l	Recovery F	Proceedings	
recovery reference number The Appellate /Revision Court>>has enhanced/re No	onal auteducedThe stage vision.	thority /Cou the dues co vide or e recovery at which the	urt overed by der no of enhance e recovery p	the above menti dateded/reduced amount proceedings stood	oned demand order and the dues now ant of Rs
Act	Tax	Interest	Penalty	Other Dues	Total Arrears
1	2	3	4	5	6
Central tax					
State / UT tax					
Integrated tax					
Cess					
Place: Date:				Signature Name Designation	 1

FORM GST CPD-01

[See rule 162(1)]

Application for Compounding of Offence

11.	GSTIN / Temporary ID		
12.	Name of the applicant		
13.	Address		
14.	The violation of provisions of the Act for which		
	prosecution is instituted or contemplated		
15.	Details of adjudication order/notice		
	Reference Number		
	Date		
	Tax		
	Tun		
	Interest		
	Penalty		
	Tr. 10		
	Fine, if any		
16.	6. Brief facts of the case and particulars of the offence (s) charged:		
10.			
17.	Whether this is the first offence under the Act		
- / ·	Whether this is the first offence under the 7 tet		
18.	If answer to 7 is in the negative, the details of previous		
	cases		
19.	Whether any proceedings for the same or any other offence		
	are contemplated under any other law.		
20.	If answer to 9 is in the affirmative, the details thereof		

DECLARATION

- (3) I shall pay the compounding amount, as may be fixed by the Commissioner.
- (4) I understand that I cannot claim, as a matter of right, that the offence committed by me under the Act shall be compounded.

Signature of the applicant Name

FORM GST CPD-02

a rula 162(3)1

		[See rule 102(3)]
Reference No	0:	Date:
To		
GSTIN/ID -		
Name		
Address		
	ARN	Date –
	rence to your applicat	n / allowance of compounding of offence ion referred to above. Your application has been the findings are as recorded below:
	<< text >>	
respect of the	•	equirements to be allowed to compound the offences in lumn (2) of the table below on payment compounding
Sr. No.	Offence	Compounding amount (Rs.)
(1)	(2)	(3)
(3), which is offence sough You are hereb payment of the	the maximum of the at to be compounded to by directed to pay the	aforesaid compounding amount by (date) and unt, you will be granted immunity from prosecution for
or		
Your applicat	tion is hereby rejected	d.
Place: Date:		Signature Name Designation
		[(Eila Na Bilmi Iran/CST/Mividh 10/2017 2229)]
		[(File No. Bikri-kar/GST/Vividh-10/2017-3238)] By the order of Governor of Bihar,
		= 1

Commissioner-cum-Principal Secretary, Commercial Taxes Department.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,

बिहार गजट (असाधारण) 784-571+10-डी 0टी 0पी 0।

Website: http://egazette.bih.nic.in